



## चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

### CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Limited (A Govt. of India Navratna Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J & K Enterprise)



## 14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वार्षिक आम बैठक का आयोजन मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 जम्मू और कश्मीर में।

# चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011GOI003321

## निदेशक मंडल

श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष (22.11.2019 से)
श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक (20.10.2022 से)
श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएएस	निदेशक (31.08.2023 से)
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (04.09.2024 से)
श्री रमेश मुखिया	प्रबंध निदेशक (05.12.2023 से)
श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक (21.12.2022 से)
श्री अनुज कपूर	निदेशक (23.07.2025 से)
श्री विजय कुमार सिन्हा	निदेशक *
श्री राम स्वरूप	निदेशक **
श्री आर पी गोयल	निदेशक ***

\*\* श्री विजय कुमार सिन्हा 31.07.2024 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

\*\* श्री राम स्वरूप 04.09.2024 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

\*\*\* श्री आर पी गोयल 23.07.2025 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

### कंपनी सचिव

श्री सुधीर आनंद

### विषय-वस्तु :

निदेशक मंडल .....	2
निदेशको की प्रोफाइल .....	3
अध्यक्ष का संदेश .....	7
एजीएम की सूचना .....	11
बोर्ड का प्रतिवेदन .....	15
अनुलग्नक I - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट .....	105
अनुलग्नक II - फॉर्म सं. एओसी-2 .....	109
अनुलग्नक III - प्रबंधन के उत्तरों के साथ सीएजी की टिप्पणियां .....	110
अनुलग्नक IV - फॉर्म एमजीटी- 9 .....	119
अनुलग्नक V - सीएसआर और संधारणीयता गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट- 2024-25.....	126
अनुलग्नक VI - प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण .....	149
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट .....	161
तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा .....	175

### पंजीकृत कार्यालय और निवेशक संबंध प्रकोष्ठ

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012-जम्मू और कश्मीर।

### सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स वी.ए.के. एण्ड एसोसिएट्स

### सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स रमित्त माम एंड एसोसिएट्स

## निदेशक मंडल



**श्री सुरेश कुमार, आईएस-सेवानिवृत्त**  
अध्यक्ष और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति  
डीआईएन: **06440021**

श्री सुरेश कुमार, एक सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी (जेके 1986) हैं और उनकी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है। उन्हें वर्ष 1996 में चुनावों के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार करने और उनके सफल संचालन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया और वर्ष 2011 में ईमानदारी/सत्यनिष्ठा और मेधावी सार्वजनिक सेवा के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

श्री सुरेश कुमार 22 नवंबर, 2019 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



**श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएस**  
**निदेशक - जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति**  
डीआईएन: **06516512**

श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएस, 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री. प्रसाद ने वाणिज्य विषयक्षेत्र में स्नातक किया है और इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से एम.पी.एम. और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से एल.एल.बी. का अध्ययन पूर्ण किया। वह वर्तमान में प्रधान सचिव, पीडीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार हैं।

श्री एच. राजेश प्रसाद 20 अक्टूबर, 2022 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



**श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएएस  
निदेशक - जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति  
डीआईएन: 05340193**

श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएएस, 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री वैद्य, वर्तमान में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके पास जेकेआईडीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है।

श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य 31 अगस्त, 2023 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



**श्री संजय कुमार सिंह  
निदेशक - एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति  
डीआईएन : 10718481**

श्री संजय कुमार सिंह, एसजेवीएन लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। भारत और भूटान में मेगा और प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में विद्युत और अवसंरचना क्षेत्र में उनके पास 32 वर्षों से अधिक का विशाल और विविध अनुभव है। उनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल) की डिग्री है। एसजेवीएन में, उन्होंने सुन्नी डैम एचईपी (निर्माण चरण), नैटवार मोरी एचईपी (निर्माण चरण), लुहरी एचईपी चरण II (एसएंडआई चरण), जखोल संकरी एचईपी (एसएंडआई चरण) के परियोजना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एसटीपीएल (एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में भी कार्य किया है।

श्री संजय कुमार सिंह, 4 सितंबर, 2024 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



**श्री रमेश मुखिया**  
**प्रबंध निदेशक-एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति**  
**डीआईएन : 10415607**

श्री रमेश मुखिया जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने 1990 में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1991 में रंगित पावर स्टेशन, सिक्किम में प्रोबेशनरी एक्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया और वर्ष 2000 में रंगित पावर स्टेशन को चालू किए जाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2008 में तीस्ता-V पावर स्टेशन, वर्ष 2013 में तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन को चालू किए जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, तीस्ता लो डैम-IV जल विद्युत परियोजना में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने परियोजना की सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और निर्माण गतिविधियों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रमेश मुखिया तीस्ता-IV परियोजना (500 मेगावाट) और पकल दूल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) के परियोजना प्रमुख रह चुके हैं और उन्होंने कार्यकारी निदेशक के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय, बनीखेत का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। परियोजना और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में, उन्होंने प्रमुख निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे परियोजना के साथ-साथ पावर स्टेशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

श्री रमेश मुखिया ने 05 दिसंबर 2023 को सीवीपीपीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।



**श्री अनुज कपूर**  
**निदेशक-एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति**  
**डीआईएन : 10137420**

श्री अनुज कपूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के एसोसिएट सदस्य हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। श्री कपूर को एनएचपीसी लिमिटेड में वित्त के प्रमुख क्षेत्रों में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन से जुड़े वित्तीय, संविदात्मक और विनियामक मुद्दों की गहन समझ और ज्ञान शामिल है।

श्री अनुज कपूर 23 जुलाई, 2025 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



**श्रीमती मधुस्मिता पानी**  
एनएचपीसी लिमिटेड की नामिति  
डीआईएन: **09319007**

श्रीमती मधुस्मिता पानी एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक (विधि) है।

श्रीमती मधुस्मिता पानी 21 दिसम्बर, 2022 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुईं।

## अध्यक्ष का भाषण



"समावेशी और सतत विकास लाने के लिए परानुभूति और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा संगठन बनना"

### प्रिय शेयरधारको

आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीवीपीपीएल की 14वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सीवीपीपीएल बोर्ड की ओर से, मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय निकालने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

बोर्ड की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा।

मैं मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सीवीपीपीएल की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख करूंगा।

### ● वित्तीय कार्यनिष्पादन का अवलोकन

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, जो अभी भी निर्माणाधीन हैं। कंपनी ने केवल 'अन्य आय' अर्जित की है अर्थात बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर ब्याज आय।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन और अन्य आय से राजस्व 10.89 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में यह 35.75 करोड़ रुपये था।

### ● वर्ष की मुख्य विशेषताएं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सीवीपीपीएल ने कई उपलब्धियाँ हासिल कीं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

#### पकल दुल जलविद्युत परियोजना:

1. पकल दुल परियोजना की 7,350 मीटर लंबी हेड रेस टनल-2 (एचआरटी-2) के निर्माण के लिए दूसरी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) मई 2024 में लॉन्च की गई और अक्टूबर 2024 में एडिट-2 का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एचआरटी-2 की खुदाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। एचआरटी की खुदाई अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई थी।

2. पकल दुल जलविद्युत परियोजना के चालू होने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, यूनिट-1 के लिए 07.11.2024 को और यूनिट-2 के लिए 30.11.2024 को 270 मीट्रिक टन वजन वाले स्टेटर को नीचे उतारने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
3. पकल दुल जलविद्युत परियोजना के बांध स्थल के कट ऑफ वॉल क्षेत्र में कट ऑफ वॉल के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य वर्ष के दौरान शुरू किया गया है और कट ऑफ वॉल क्षेत्र में कर्टेन ग्राउटिंग का कार्य अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया गया है।

### किरु जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

1. सीवीपीपीएल ने 3,738.53 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए सफलतापूर्वक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे परियोजना के लिए वित्तीय समापन प्राप्त हुआ।
2. वर्ष के दौरान, यूनिट #1 में ड्राफ्ट ट्यूब डिफ्यूजर को नीचे उतारने और ड्राफ्ट ट्यूब के इरेक्शन के साथ ई एंड एम कार्य शुरू किए गए, जो 14.02.2025 को यूनिट #1 में पूरा हुआ और यूनिट #2 में ड्राफ्ट ट्यूब सेगमेंट का इरेक्शन 26.03.2025 को पूरा हुआ।
3. किरु जलविद्युत परियोजना ने पावर हाउस कार्यों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जैसे कि सभी 4 यूनिटों में ईओटी क्रेन बीम स्तर तक स्तंभों का कंक्रीटिंग कार्य 29.03.2025 को पूरा किया गया।
4. जल-यांत्रिक कार्यों के इन्क्लाइन्ड प्रेशर शाफ्टों में स्टील लाइनर का इरेक्शन कार्य 19.12.2024 को प्रारंभ किया गया।

### कार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)

1. वर्ष के दौरान, कार परियोजना के शेष कार्य पैकेज अर्थात् विद्युत-यांत्रिक और जल-यांत्रिक सफलतापूर्वक प्रदान किए गए।
2. बांध की एबटमेंट स्ट्रिपिंग (2.5 लाख घन मीटर) का कार्य सितंबर 2024 को पूरा कर लिया गया।
3. एस2 ब्लॉक की सबसे गहरी नींव से बांध की कंक्रीटिंग का कार्य निर्धारित समय से पहले 04.12.2024 को शुरू कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का शुभआरंभ एनएचपीसी के माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर निदेशक (परियोजनाएं एवं तकनीकी), एनएचपीसी और सीवीओ, एनएचपीसी के साथ-साथ सीवीपीपीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सप्लीमेंट्री प्रमोटर्स एग्रीमेंट के खंड 8 के अनुसार:

8.2 जम्मू-कश्मीर सरकार को परियोजनाओं से उत्पादित 12% मुफ्त विद्युत मिलेगी। कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% मुफ्त विद्युत भी प्रदान की जाएगी। यह निधि जल विद्युत नीति 2008 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शेष 87% विद्युत में से, जम्मू-कश्मीर सरकार को कंपनी की इक्विटी में जेकेएसपीडीसी की हिस्सेदारी के अनुपात में नियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से खरीदने का अधिकार होगा। इसके बाद, शेष विद्युत एनएचपीसी द्वारा बाजार मूल्य पर क्रेता को बेची जाएगी और इनकार करने का पहला अधिकार जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास विभाग को दिया जाएगा।

मैं पकल दुल, कार और किरु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) और उनकी ओर से प्राप्त सहमति का विवरण देना चाहूंगा, जो निम्नानुसार हैं:

पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)		कार जल विद्युत परियोजना ( 540 मेगावाट)		किरु जल विद्युत परियोजना ( 624 मेगावाट)	
पीपीए हस्ताक्षरकर्ता/ हस्ताक्षर की तिथि	मेगावाट	पीपीए हस्ताक्षरकर्ता/ हस्ताक्षर की तिथि	मेगावाट	पीपीए हस्ताक्षरकर्ता/ हस्ताक्षर की तिथि	मेगावाट
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (20.06.2023)	250	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (20.06.2023)	100	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (15.07.2024)	250.00
गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (08.08.2023)	443.70	गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (08.08.2023)	239.60	गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (08.08.2023)	542.88
				उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (29.07.2023)	542.88
जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. 13% (12% निःशुल्क विद्युत और 1% एलएडीएफ) (14.10.2023)	350	जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. 13% (12% निःशुल्क विद्युत और 1% एलएडीएफ) ( 14.10.2023)	100	जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. 13% (12% निःशुल्क विद्युत और 1% एलएडीएफ) (12.09.2024)	- 81.12
उप - जोड़ (जम्मू-कश्मीर)	480		170.2		81.12
सकल जोड़	1173.70		509.8		1416.88

टिप्पणी : उपर्युक्त उल्लिखित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत आवंटन हेतु अंतिम आदेश विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उचित समय पर जारी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित से सहमति पत्र प्राप्त हुआ है :

पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)		कार जल विद्युत परियोजना ( 540 मेगावाट)		किरु जल विद्युत परियोजना ( 624 मेगावाट)	
सहमति प्राप्त हुई	मेगावाट	सहमति प्राप्त हुई	मेगावाट	सहमति प्राप्त हुई	मेगावाट
हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र	250	हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र	200	हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र	624
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	100	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	54	-	-
पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड	444	पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड	240	पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड	543
-	-	-	-	बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	300
-	-	-	-	ग्रिडको लिमिटेड, ओडिशा	100

-	-	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100
-	-	-	-	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, दिल्ली	50
-	-	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, दिल्ली	50	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, दिल्ली	100
आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति	88.8*	आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति	48*	-	-

❖ अद्यतन तिथि को पकल दुल जल विद्युत में उपलब्ध शेष विद्युत शून्य और कार जल विद्युत में 30.2 मेगावाट है।

### ● कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीवीपीपीएल अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और संधारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को प्रोत्साहित करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयोजनार्थ निरंतर प्रयास करता है। सीएसआर क्रियाकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जैसा कि बोर्ड की रिपोर्ट में वर्णित किया गया है।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीएल के प्रमोटरों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके बिना कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति अपना आभार व्यक्त स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

मैं सीवीपीपीएल में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए भी हृदय से सराहना करता हूँ।

धन्यवाद।

स्थान : जम्मू  
दिनांक: 05.08.2025

हस्ता./-  
सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)  
अध्यक्ष  
डीआईएन-06440021



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फ़ोन नं.: 0191-2479531

Email : cs@cvppindia.com

## वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की **14वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** सीवीपीपीएल पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, जम्मू एवं कश्मीर में निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थल सीवीपीपीएल पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, जम्मू एवं कश्मीर माना जाएगा।

### साधारण कार्य:

1. **31 मार्च, 2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. श्री एच. राजेश प्रसाद-आईएस (डीआईएन: **06516512**) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर, जेकेएसपीडीसी लिमिटेड/जेएंडके सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं।
3. श्रीमती मधुस्मिता पानी (डीआईएन: **09319007**) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने पर, एनएचपीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करती हैं।
4. वित्तीय वर्ष **2025-26** के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना और यदि उचित समझा जाए, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के साथ पठित धारा 142 के उपबंधों और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (इसमें उसके तत्समय प्रवृत्त सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल हैं) के अन्य सभी लागू उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल को वर्ष **2025-26** के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

स्थान : जम्मू

दिनांक : 08.09.2025



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फ़ोन नं.: 0191-2479531

Email : cs@cvppindia.com

## टिप्पणियां:

- (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 25 सितम्बर 2023, 28 दिसम्बर 2022, 5 मई 2022, 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसम्बर 2021 और 14 दिसम्बर 2021 के परिपत्रों के साथ पठित 19 सितम्बर, 2024 के अपने परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से 30 सितंबर 2025 तक एक समान स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बुलाने की अनुमति दी है। अतः उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
- (ii) वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:
- क) बैठक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स/जूम एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- ख) सदस्य माइक्रोसॉफ्ट टीम्स/जूम एप या डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से पंजीकृत ई-मेल आईडी पर एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए लिंक का उपयोग करके बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- ग) एंड्रॉइड/आईफोन कनेक्शन के मामले में, साझेदारों को मेल में दिए गए उपयुक्त एप्लिकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- घ) इसके अलावा, सदस्यों को मोबाइल ऐप पर बैठक को व्यवस्थित करते समय कैमरे की अनुमति देने और इंटरनेट ऑडियो सेटिंग्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- ङ) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से बैठक में जुड़ने वाले साझेदारों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए किसी समुचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- च) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व से खुली रखी जाएगी। बैठक के समापन पर बजे बंद कर दी जाएगी।
- छ) किसी भी सहायता के लिए सदस्य कंपनी सचिव को [cs@cppindia.com](mailto:cs@cppindia.com) पर ई-मेल भेज सकते हैं या **+91-9419181543** पर संपर्क करें।
- (iii) एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और उसकी ओर से मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि एजीएम को परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- (iv) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए माना जाएगा।
- (v) चूंकि एजीएम को ओसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, इस सूचना के साथ मार्ग मानचित्र संलग्न नहीं है।
- (vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, श्री एच.राजेश प्रसाद-आईएस और श्रीमती मधुस्मिता पानी, निदेशक पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं। निदेशक मंडल उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।



**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम  
CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय  
COMPANY SECRETARIAT  
फोन नं.: 0191-2479531  
Email : cs@cvppindia.com

(vii) वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

नाम	श्री एच.राजेश प्रसाद-आईएसएस	श्रीमती मधुस्मिता पानी
जन्म तिथि और आयु	1 जून, 1967 (58 वर्ष)	7 मई, 1966 (59 वर्ष)
योग्यता	बी.कॉम और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंगलोर, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से एम.पी.एम. और दिल्ली विश्वविद्यालय से एल.एल.बी.।	बी.ए., एल.एल.बी., एल.एल.एम., एमबीए (एचआर)
नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और पारिश्रमिक का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जेकेएसपीडीसी लिमिटेड/ जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार	नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	20/10/2022	20/12/2022
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और केएमपी के साथ संबंध	कोई नहीं	कोई नहीं
वर्ष 2024-25 के दौरान भाग ली गई और आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	7/9	8/9
अन्य कंपनियों में समितियों में धारित निदेशक पद, सदस्यता/अध्यक्षता	1. जेकेएसपीडीसी लिमिटेड (नामित निदेशक/प्रमोटर)। 2. जेपीडीसी लिमिटेड (नामित निदेशक/प्रमोटर)। 3. आरएचपीसीएल (नामित निदेशक/प्रमोटर)। ❖ एमसीए डाटा के अनुसार।	1. एनएचडीसी (नामित निदेशक)। ❖ एमसीए डाटा के अनुसार।
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिती के रूप में 01 (एक) इक्विटी शेयर	शून्य

(viii) परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जानी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

(ix) कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिनियम की धारा 113 के अनुसरण में, अपने प्रतिनिधि को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप) भेजें। उक्त संकल्प/प्राधिकार कंपनी सचिव को पंजीकृत ई-मेल पते से ई-मेल द्वारा **cs@cvppindia.com** को भेजा जाएगा।

(x) मतदान पहली बार में हाथ दिखाकर किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न लें या कोई सदस्य मतदान के लिए मांग करें। यदि अध्यक्ष द्वारा मतदान का निर्णय लिया जाता है या मांग की जाती है, तो मतदान तुरंत आयोजित किया जाएगा और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक के दौरान मतदान संचालित किए जाने के समय प्रत्येक मद पर अपनी सहमति या असहमति **cs@cvppindia.com** पर उस ईमेल आईडी के माध्यम से भेजें, जिस पर उन्हें एजीएम के दौरान एजीएम की सूचना मिली है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फोन नं.: 0191-2479531

Email : cs@cvppindia.com

- (xi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं, जिनमें निदेशकों का हित है, का रजिस्टर कंपनी की एजीएम के समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज भी सदस्यों द्वारा सूचना के प्रचलन की तिथि से लेकर एजीएम की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) बताते हुए कंपनी सचिव को **cs@cvppindia.com** पर ई-मेल भेज सकते हैं।
- (xii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से तय किया जाना चाहिए। सदस्य बोर्ड द्वारा उचित समझे गए अनुसार बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सी एण्ड एजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों का उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।
- (xiii) कंपनी का कोई भी निदेशक अपनी व्यावसायिक/नियोजन क्षमता को छोड़कर किसी भी तरह से एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

## बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

हमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीवीपीपीएल के निष्पादन संबंधी 14वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा शामिल है।

वर्ष 2024-25 कंपनी के लिए महत्वपूर्ण प्रगति का काल रहा, विशेष रूप से प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं - पकल दुल, किरु और क्वार के निर्माण को आगे बढ़ाने और किरथाई-॥ परियोजना के लिए परिवर्तन ज्ञापन के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में इन परियोजनाओं में उल्लेखनीय गति देखी गई, जिससे उन्हें समय पर पूरा करने की दिशा में आवश्यक प्रोत्साहन मिला। कंपनी न केवल संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में, बल्कि पूरे देश में जलविद्युत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है।

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- पकल दुल परियोजना की 7,350 मीटर लंबी हेड रेस टनल-2 (एचआरटी-2) के निर्माण के लिए दूसरी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) मई 2024 में प्रारंभ की गई और अक्टूबर 2025 में एडिट-2 का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई है और एचआरटी-2 के उत्खनन को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अन्य परियोजना मोर्चों पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसमें यूनिट 1 और 2 में 270 मीट्रिक टन स्टेटर की कमी, वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट में स्टील लाइनर इरेक्शन का कार्य, बाँध स्थल पर कट-ऑफ वॉल का कार्य प्रारंभ करना आदि शामिल हैं।
- सीवीपीपीएल ने 3,738.53 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए सफलतापूर्वक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे परियोजना का वित्तीय समापन हो गया। इस वर्ष सभी कार्य मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई। प्रमुख उपलब्धियों में ड्राफ्ट ट्यूब को नीचे करने के साथ इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों की शुरुआत, इंकलाइंड प्रेशर शाफ्ट में स्टील लाइनर इरेक्शन का कार्य, और यूनिट-4 के लिए ईओटी क्रेन बीम स्तर तक स्तंभों की कंक्रीटिंग का कार्य पूरा करना शामिल था।
- वर्ष के दौरान, क्वार परियोजना के शेष कार्य पैकेज, अर्थात् इलेक्ट्रो-मैकेनिकल और हाइड्रो-मैकेनिकल, सफलतापूर्वक आवंटित किए गए। कॉफ़र डैम के पुनर्निर्माण के बाद, बांध की कंक्रीटिंग निर्धारित समय से पहले 04.12.2024 को शुरू हो गई। परियोजना की सभी चल रही गतिविधियाँ निर्धारित समयानुसार आगे बढ़ रही हैं। कार्यान्वयन की वर्तमान प्रगति को देखते हुए, परियोजना के निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पकल दुल और किरु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत लेने के लिए जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल), उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

## 1. वित्तीय परिणाम:

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन का सार नीचे दिया गया है:  
(लाख रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
राजस्व (प्रचालन से प्राप्त एवं अन्य आय)	1,089.13	3,575.40
कर पूर्व लाभ	(1,002.90)	1,971.10
कर व्यय	269.72	898.85
वर्ष के लिए लाभ (विनियामक डिफरल खाता शेष की शुद्ध गतिविधियों से पूर्व)	(1,272.62)	1,072.25
विनियामक डिफरल खाता शेष (कर पश्चात निवल)	24.51	(4.06)
वर्ष के लिए लाभ	(1,248.11)	1,068.19
अन्य समग्र आय	00	00
कुल समग्र आय	(1,248.11)	1,068.19
घटाएं: विनियोजन	00	00
<b>प्रतिधारित आय का समापन शेष आरक्षित एवं अधिशेष में आगे बढ़ाया गया</b>	<b>(1,248.11)</b>	<b>1,068.19</b>

## 2. कार्यों की स्थिति:

कंपनी ने अभी तक निर्माणाधीन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए प्रचालन से राजस्व शून्य है। कंपनी ने केवल अन्य आय अर्जित की है, अर्थात् बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेशित अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर ब्याज आय।

## 3. परियोजनाओं की स्थिति:


### 1. पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट):

#### संक्षिप्त परिचय:

पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की सहायक नदी मरुसुदर पर निर्माणाधीन है। यह परियोजना एक भंडारण योजना है और सिंधु जल संधि के अंतर्गत 0.1 एमएएफ के अनुमेय भंडारण का उपयोग करेगी। इस परियोजना में 167 मीटर ऊँचा कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम, 7.20 मीटर व्यास और 9.6 किलोमीटर लंबाई वाली 2 हेड रेस टनल, 250 मेगावाट वर्टिकल फ्रॉंसिस टर्बाइन की 4 यूनिटों वाला एक भूमिगत विद्युत गृह और 5.5 मीटर व्यास वाली हॉर्स शू के आकार की प्रत्येक 125 मीटर लंबी टेल रेस टनल शामिल हैं। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 3230 मिलियन यूनिट होगा।

इस परियोजना की आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 19 मई 2018 को रखी थी।

## परियोजना लेआउट



### परियोजना की स्थिति:

#### i. सांविधिक मंजूरी

परियोजना के संबंध में सभी सांविधिक मंजूरीयां केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से प्राप्त कर ली गई हैं, जैसे - सीईए द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), एमओईएफ द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन्यजीव मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी आदि।

#### ii. सीसीईए अनुमोदन

भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा 28.10.2014 को मार्च 2013 के मूल्य स्तर पर 8112.12 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत पर निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया।

##### • जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई छूट

- सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत
- जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए
- डब्ल्यूसीटी, प्रवेश कर और टोल टैक्स से छूट

##### • भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता

- 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 2500 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण।
- परियोजना में जेकेएसपीडीसी द्वारा 1192 करोड़ रुपए का इक्विटी योगदान दिया जाएगा, जिसे सीवीपीपीएल को अनुदान के रूप में जारी किया जाएगा।

#### iii. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 22.02.2017 के आदेश द्वारा परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 07.03.2019 के आदेश द्वारा मुआवज़े में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। ज़िला प्रशासन द्वारा योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है।


#### iv. 31 मार्च, 2025 तक प्रमुख कार्य पैकेजों की प्रगति

परियोजना को पाँच प्रमुख पैकेजों में क्रियान्वित किया जा रहा है: विद्युत गृह पैकेज, डैम पैकेज, ई एंड एम पैकेज, एचएम पैकेज और एचआरटी-टीबीएम पैकेज। 31.03.2025 तक प्राप्त भौतिक प्रगति इस प्रकार है:


क्रम.	पैकेज	एजेंसी	कार्य सौंपे जाने की तारीख	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
1	पीएच पैकेज	मेसर्स एफकॉन्स - जेएएल जेवी	21.02.2018	64 प्रतिशत
2	बांध पैकेज	मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	21.06.2018	52 प्रतिशत
3	एचएम पैकेज	मेसर्स पीईएस लिमिटेड	26.08.2019	60 प्रतिशत
4	ई एंड एम पैकेज	मेसर्स वॉयथ हाइड्रो लिमिटेड	02.01.2019	79 प्रतिशत
5	एचआरटी-टीबीएम	मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड	03.07.2020	48 प्रतिशत

प्रमुख कार्यों की स्थिति (31.03.2025 के अनुसार):

क. विद्युत गृह पैकेज

क्रम सं.	गतिविधि	चित्र
1.	<p><b>विद्युत गृह</b>  <b>क) उत्खनन (घन मीटर):</b>  कुल मात्रा : 145693  निष्पादित : 145693  (100 प्रतिशत)  <b>पूर्ण हुई।</b>  <b>ख) विद्युत गृह मशीन हॉल</b>  <b>कंक्रीटिंग (घन मीटर):</b>  कुल मात्रा : 54000  निष्पादित : 40087 (74 प्रतिशत)  शेष : 13913</p>	
2.	<p><b>प्रेसर शाफ्ट</b>  <b>क) वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट</b>  <b>(1 से 4):</b>  उत्खनन (मीटर)  कुल मात्रा : 1164  निष्पादित : 1123 (97 प्रतिशत)  शेष : 41</p>	

वीपीएस - 1

<p>3.</p>	<p><b>सर्ज शाफ्ट</b>  <b>क) सर्जशाफ्ट-2</b>      स्लैशिंग (मी.)      कुल मात्रा : 200      निष्पादित : 117.7 (59 प्रतिशत)      शेष : 82.3</p> <p><b>ख) अपर सर्ज गैलरी-1</b>  <b>(260 मीटर) पूर्ण</b></p> <p><b>ग) अपर सर्ज गैलरी-2</b>  <b>(257 मीटर) पूर्ण</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>सर्ज शाफ्ट - 2</b></p>
<p>4.</p>	<p><b>वाल्व हाउस उत्खनन</b>  <b>(17295 घन मीटर): पूर्ण</b></p> <p>स्तंभों और बीमों की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।</p>	

**ख. डैम पैकेज**

क्रम सं.	गतिविधि	चित्र
1.	<p><b>सीएफआरडी रॉक फिलिंग (घन मीटर)</b></p> <p>कुल मात्रा : 7546000  निष्पादित : 4462938 (59 प्रतिशत)  शेष : 3083062</p>	 <p><b>बांध का अपस्ट्रीम दृश्य</b></p>
		 <p><b>कट ऑफ वाल एरिया</b></p>
		 <p><b>ग्रावेल ड्रेन - 880 मिमी व्यास, 30 मीटर गहराई वाले छिद्र</b></p>

## 2. पावर इंटेक संरचना

क) सतह उखनन (घन मीटर):

कुल मात्रा : 447500

निष्पादित : 366196(82 प्रतिशत)


शेष : 81304

ख) एचआरटी के लिए गेट  
शाफ्ट की टनल स्पिलवे-1 (मी.)

कुल मात्रा : 467

निष्पादित :

शेष :



बल्कहेड गेट शाफ्ट प्लेटफॉर्म



पावर इंटेक सर्विस गेट शाफ्ट प्लेटफॉर्म

3. टनल स्पिलवे के लिए गेट शाफ्ट का उत्खनन-1(मी)  
 कुल मात्रा : 67  
 निष्पादित : 20.5 (31 प्रतिशत)  
 शेष : 46.5

सुरंग स्पिलवे के लिए गेट शाफ्ट का उत्खनन-2(मी)  
 कुल मात्रा : 67  
 निष्पादित : 35 (52 प्रतिशत)  
 शेष : 32



4. सतही(सरफेस) स्पिलवे

सतह उत्खनन (घन मीटर)  
 कुल मात्रा : 778000  
 निष्पादित : 762807  
 (98 प्रतिशत)  
 शेष : 15193



सतह स्पिलवे

**5. टनल स्पिलवे आउटलेट**

**सतह उत्खनन (घन मीटर):**  
 कुल मात्रा : 420000  
 निष्पादित : 400365  
 (95 प्रतिशत)  
 शेष : 19635



**6. एचआरटी का उत्खनन (डीबीएम द्वारा)**

**क) उत्खनन (मीटर):**  
 कुल मात्रा : 4117  
 निष्पादित : 4025.8  
 (98 प्रतिशत)  
 शेष : 91.2

**ख) कंक्रीट लाइनिंग (मीटर):**  
 कुल मात्रा : 4117  
 निष्पादित : 2585  
 (63 प्रतिशत)  
 शेष : 1532




एचआरटी की कंक्रीट लाइनिंग

ग. एचआरटी-टीबीएम पैकेज

क्रम सं.	गतिविधि	चित्र
1.	<p>हेड रेस टनल</p> <p>क) एचआरटी-1 (मीटर)</p> <p>कुल मात्रा : 7350 निष्पादित : 3172.73 (43 प्रतिशत)</p> <p>शेष : 4117.2</p> <p>ख) एचआरटी-2 (मीटर)</p> <p>कुल मात्रा : 7350 निष्पादित : 2809 (38 प्रतिशत)</p> <p>शेष : 4541</p>	 <p>एचआरटी-1</p>  <p>एचआरटी-2</p>
2.	<p>कास्ट किए गए सेगमेंट (संख्या)</p> <p>कुल मात्रा : 58800 निष्पादित : 29811 (51 प्रतिशत)</p> <p>शेष : 28989</p>	 <p>कास्टिंग यार्ड</p>

**घ. एचएम कार्य:**

क्रम सं.	गतिविधि	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% प्रगति
1	पेनस्टॉक और प्रेशर में स्टील लाइनिंग	मीटर	2177	994	1183	46 प्रतिशत




वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट (2बी) लाइनर वर्क्स हॉरिजॉन्टल प्रेशर शाफ्ट लाइनर इरेक्शन

**ड. ई एण्ड एम कार्य:**

i) **02.01.2019** को मेसर्स वॉयथ हाइड्रो लिमिटेड को कार्य सौंपा गया और निर्धारित गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

**इरेक्शन :**

- पीएच 1 एवं 2 ईओटी क्रेन का इरेक्शन कार्य पूर्ण हुआ।
- ईओटी क्रेन का इरेक्शन और कमीशनिंग पूर्ण हुई।
- ड्राफ्ट ट्यूब यूनिट #1, 2, 3 और 4 का इरेक्शन पूर्ण हुआ।
- यूनिट संख्या 1, 2, 3 और 4 की स्पाइरल केसिंग का इरेक्शन पूर्ण हुआ।
- सभी 13 जीएसयू ट्रांसफार्मरों को ट्रांसफार्मर कैवर्न में उनके निर्धारित स्थानों पर रखा गया।
- यूनिट # 1 और 2 में स्टेटर क्रमशः 07.11.2024 और 30.11.2024 को नीचे किया गया।
- यूनिट # 1 का रोटर बिल्ड-अप कार्य प्रगति पर है।
- यूनिट # 3 और 4 का स्टेटर बिल्ड-अप कार्य प्रगति पर है।
- यूनिट # 1 और 2 के टरबाइन और जेनरेटर घटक का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।



सर्विस बे में स्टेटर असेंबली (यूनिट-3 और 4)



रनर (यूनिट-1)



गाइड वेन (यूनिट-1)



रोटर 1: यूनिट-1 के लिए रिम बिल्ड-अप


## II. किरु जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट):

### संक्षिप्त परिचय :

यह पाण्डेज युक्त रन-आफ-द-रिवर योजना है, जो जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। किरु जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है और इसमें किरु /पाथरनकी गाँव के पास 135 मीटर ऊँचा कंक्रीट का ग्रेविटी बाँध, 9 मीटर व्यास और 666 मीटर लंबी हॉर्स शू आकार की डायवर्जन टनल, 5.5 मीटर व्यास की 4 भूमिगत गोलाकार स्टील लाइन वाली प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक्स, 165 मीटर से 190 मीटर लंबाई वाली 7 मीटर व्यास की हॉर्स शू के आकार की कंक्रीट लाइन वाली 4 टीआरटी और 182 मीटर x 23.6 मीटर x 51.2 मीटर आकार के केवर्नो वाला एक भूमिगत विद्युत गृह, जिसमें 156 मेगावाट की 4 इकाइयाँ होंगी, का निर्माण शामिल है। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2272 मिलियन यूनिट होगा।

इस परियोजना की आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी 2019 को रखी ।

### परियोजना लेआउट



### परियोजना की स्थिति:

#### (i) सांविधिक मंजूरी

परियोजना के संबंध में सभी सांविधिक मंजूरियां केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से प्राप्त कर ली गई हैं, जैसे कि सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), एमओईएफ द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, एमओडब्ल्यूआर द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी आदि।

(ii) **सीसीईए अनुमोदन**

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक **08.03.2019** के पत्र के माध्यम से **जुलाई 2018 के मूल्य स्तर पर 4287.59 करोड़ रुपए** की लागत से परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है।

● **जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई छूट**

- जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए
- 9 प्रतिशत एसजीएसटी की छूट: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सहमति दी गई
- टोल टैक्स में छूट: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 402 दिनांक 14.09.2018 के तहत प्रदान की गई।

● **भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता ।**

- भारत सरकार से अनुदान के रूप में जम्मू-कश्मीर सरकार की इक्विटी । जेकेपीडीसी का 630.50 करोड़ रुपए का इक्विटी अंशदान सीवीपीपीएल को जारी किया गया है।

(iii) **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन(आर एंड आर) योजना**

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 07.03.2019 के आदेश के तहत परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूरी दे दी है।

जिला प्रशासन द्वारा योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

(iv) **31 मार्च 2025 तक प्रमुख कार्यों की प्रगति**

यह परियोजना तीन प्रमुख पैकेजों में क्रियान्वित की जा रही है: सिविल कार्य पैकेज, ई एंड एम पैकेज, और एचएम पैकेज। इनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	पैकेज	एजेंसी	दिए जाने की तारीख	भौतिक प्रगति ( प्रतिशत)
1	सिविल कार्य	मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	24.02.2020	60.52
2	एचएम कार्य	मेसर्स पीईएस लिमिटेड	24.02.2020	36.75
3	ई एंड एम कार्य	मेसर्स एंड्रिटज़ लिमिटेड	24.02.2020	74.58

**क. प्रमुख सिविल कार्यों की स्थिति:**

क्रम सं..	गतिविधि	चित्र
1.	<b>डैम वर्क्स</b>  <b>क. कंक्रीटिंग (घन मीटर)</b> कुल मात्रा : 1200000 निष्पादित : 829341 (69 प्रतिशत) शेष : 370659	




2.


## विद्युत इन्टेक

### क. कंक्रीटिंग (घन मीटर)

कुल मात्रा : 140000  
निष्पादित : 35460  
(25 प्रतिशत)  
शेष : 104540



<b>3.</b>	<p><b>विद्युत गृह केवर्न</b></p> <p><b>क. कंक्रीटिंग (घन मीटर)</b>  कुल मात्रा : 49000  निष्पादित : 21251  (43 प्रतिशत)  शेष : 104540</p>
-----------	---




<b>4.</b>	<p><b>ट्रांसफार्मर हॉल केवर्न</b></p> <p><b>क. कंक्रीटिंग (घन मीटर)</b>  कुल मात्रा : 49000  निष्पादित : 21251  (43 प्रतिशत)  शेष : 104540</p>
-----------	--



5	<p><b>टेल रेस टनल</b></p> <p><b>टीआरटी#1:</b> ईएल 1393.5 मीटर तक आउटफॉल संरचना का कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण हुआ।</p> <p><b>टीआरटी #2 :</b> ईएल 1390 मीटर तक आउटफॉल संरचना का कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण हुआ।</p>
---	---



**टीआरटी#1 – आउटफॉल संरचना**




**टीआरटी#2 – आउटफॉल संरचना**

**ख. हाइड्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट-II)**

- 24.02.2020 को मेसर्स पीईएस इंजीनियर्स लिमिटेड को एलओए जारी किया गया।
- प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
- हॉरिजॉन्टल प्रेशर शाफ्ट #1 #2 और #3 में स्टील लाइनर्स का इरेक्शन पूर्ण।
- पीएस#1, पीएस#2, पीएस#3 और पीएस#4 में स्टील लाइनर्स का 325 मीटर इरेक्शन पूर्ण।



स्टील लाइनर्स का इरेक्शन - इन्क्लाइन्ड पीएस#3




स्टील लाइनर्स का इरेक्शन - हॉरिजॉन्टल पीएस#4

ग. इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट III)

- 24.02.2020 को कार्य प्रदान किया गया।

## इरेक्शन

- सर्विस बे, बस डक्ट यूनिट 1, 2, 3 एवं 4 तथा विद्युत गृह यूनिट 1, 2, 3 एवं 4 की अर्थिंग का कार्य पूरा हो चुका है।
- यूनिट-1 में ड्राफ्ट ट्यूब और डिफ्यूज़र का इरेक्शन पूरा हो गया है।
- यूनिट-2 में ड्राफ्ट ट्यूब और डिफ्यूज़र का इरेक्शन पूरा हो गया है।
- यूनिट-3 में ड्राफ्ट ट्यूब डिफ्यूज़र का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
- विद्युत गृह में 240टी ईओटी क्रेन का इरेक्शन कार्य पूरा हो गया है।



इकाई # 2: ड्राफ्ट ट्यूब सेगमेंट्स



इकाई # 3: डिफ्यूज़र सेगमेंट्स


### III. कार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट):

#### संक्षिप्त परिचय

यह परियोजना जम्मू-कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। कार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) में 109 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 9.5 मीटर व्यास और 685 मीटर लंबी हार्स शू के आकार की डायवर्जन टनल, 108 से 182 मीटर लंबाई के 5.65 मीटर व्यास के 4 भूमिगत स्टील लाइन वाले पेनस्टॉक, 135 मेगावाट की 4 इकाइयों वाला एक भूमिगत विद्युत गृह और 2786 मीटर और 2963 मीटर लंबाई के 9.5 मीटर व्यास के हार्स शू के आकार के 2 कंक्रीट लाइन टीआरटी का निर्माण शामिल है। वार्षिक उत्पादन 1975 मिलियन यूनिट होगा।

इस परियोजना की आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को रखी।

#### परियोजना लेआउट



परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

#### (i) सांविधिक मंजूरी

परियोजना के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, जैसे कि सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), एमओईएफ द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी आदि।

#### (ii) सीसीईए अनुमोदन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक **10.05.2022** के पत्र के माध्यम से सितंबर 2020 के मूल्य स्तर पर 4526.12 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है।

• **जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता :**

- जल उपयोग शुल्क : 10 वर्ष की अवधि के लिए सीओडी से छूट
- 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत : मुफ्त विद्युत की छूट पहले वर्ष में 10 प्रतिशत होगी तथा पांचवें वर्ष तक हर साल 2 प्रतिशत की दर से घटेगी। छठे वर्ष से मुफ्त विद्युत का हिस्सा पुनः 12 प्रतिशत हो जाएगा।
- 9 प्रतिशत एसजीएसटी की छूट : प्रतिपूर्ति की जाएगी
- टोल टैक्स में छूट : जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2018 के एसआरओ 402 के तहत प्रदान की गई।

• **भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता**

- परियोजना के लिए इक्विटी अंश : भारत सरकार से अनुदान के रूप में जेकेएसपीडीसी से 655.08 करोड़ रुपए की इक्विटी है।
- भारत सरकार सीवीपीपीएल को 7.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 3119.42 करोड़ रुपए का ऋण (एनएसएसएफ ऋण) उपलब्ध कराएगी, जिसकी ऋण अवधि परियोजना के चालू होने के बाद सात वर्ष की होगी तथा आवश्यकता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।

(iii) **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना**

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 03.08.2018 के आदेश के तहत 35.83 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ परियोजना की आर एंड आर योजना को मंजूरी दे दी है।
- जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

(iv) **31 मार्च 2025 तक प्रमुख कार्यों की प्रगति**

परियोजना को निम्नलिखित तीन पैकेजों में क्रियान्वित किया जाएगा:

क्रम सं.	पैकेज	एजेंसी	कार्य प्रदान किए जाने की तारीख
1	सिविल कार्य	मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड.	11.05.2022
2	एचएम कार्य	मेसर्स ओम मेटल इंफ्रा लिमिटेड	25.10.2024
3	ई एंड एम कार्य	मेसर्स पावर मशीन इंडिया लिमिटेड.	24.02.2020

31.03.2025 तक सिविल कार्यों की घटक-वार प्रगति

क्रम सं.	गतिविधि	चित्र
1.	<p><b>डैम वर्क्स :</b></p> <p>क) डैम एबुटमेंट की स्ट्रिपिंग (269000 घन मीटर) 03.01.2025 को पूरी हुई</p> <p>ख) डैम पिट उत्खनन (61000 घन मीटर) 30.11.2024 को पूर्ण</p>	 <p style="text-align: center;"><b>डैम पिट उत्खनन</b></p>
2.	<p><b>डैम कंक्रीटिंग</b></p> <p><b>कंक्रीटिंग (घन मीटर)</b></p> <p>कुल मात्रा : 750000 निष्पादित : 77873 (17 प्रतिशत)</p> <p>शेष : 672127</p>	

3. विद्युत गृह उत्खनन (घन मीटर)


उत्खनन (घन मीटर)

कुल मात्रा : 141000  
निष्पादित : 81803  
(58 प्रतिशत)  
शेष : 59197



4. 1309.00 (घन मीटर) ईएल तक ट्रांसफार्मर केवर्न उत्खनन

कुल मात्रा : 62000  
निष्पादित : 54470  
(88 प्रतिशत)  
शेष : 7530




5. **टेल रेस टनल:**  
 टीआरटी हेतू एडिट का उत्खनन  
 07.10.2024 को पूर्ण हुआ।



टीआरटी हेतू एडिट

6. **टेल रेस टनल (टीआरटी):**  
**टीआरटी-1 (मीटर)**  
 कुल मात्रा : 2786  
 निष्पादित : 557.5  
 (20 प्रतिशत)  
 शेष : 2228.5



**7.** **टेल रेस टनल (टीआरटी):**

**टीआरटी-2 (मीटर)**  
 कुल मात्रा : 2963  
 निष्पादित : 428.2  
 (14 प्रतिशत)  
 शेष : 2534.8



**8.** **टीआरटी की सर्ज गैलरी**

**टीआरटी-1 के लिए एडिट सह सर्ज गैलरी (766 मीटर) का उत्खनन पूर्ण**

**टीआरटी-2 के लिए एडिट सह सर्ज गैलरी (मीटर) का उत्खनन पूर्ण**

कुल मात्रा : 776  
 निष्पादित : 300.1  
 (39 प्रतिशत)  
 शेष : 475.9



9.

**प्रेसर शाफ्ट-3 उत्खनन (मीटर)**

कुल मात्रा : 124  
निष्पादित : 51.9  
(42 प्रतिशत)  
शेष : 72.1



10.

**प्रेसर शाफ्ट- 4 उत्खनन (मीटर)**

कुल मात्रा : 111  
निष्पादित : 68  
(61 प्रतिशत)  
शेष : 43



#### IV. किरथाई-॥ जल विद्युत परियोजना (820 मेगावाट)

##### (i) संक्षिप्त परिचय:

किरथाई-॥ एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है जो जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किरु जलविद्युत परियोजना से लगभग 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम में स्थित है। यह परियोजना 90 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष में 3329.52 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन प्रदान करेगी। सीवीपीपीएल ने किरथाई- ॥ जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन हेतु जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच 03.01.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

##### (ii) मंजूरी की स्थिति:

##### मंजूरी की स्थिति:

1.	सीईए द्वारा टीईए	<ul style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 27.12.2021 के पत्र के माध्यम से टीईए को सीवीपीपीएल को हस्तांतरित कर दिया है।</li> <li>सीईए द्वारा दिनांक 20.11.2024 के पत्र के माध्यम से किरथाई ॥ एचईपी के मूल्यांकन की वैधता 13.06.2026 तक बढ़ा दी गई है।</li> </ul>
2	मेमोरेण्डम ऑफ़ चेंजेस का अनुमोदन	<ul style="list-style-type: none"> <li>सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूरा हो गया है।</li> <li>सीवीपीपीएल ने अतिरिक्त सर्वेक्षण और जांच के अनुसार 820 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 08.05.2024 को एमओसी (मेमोरेण्डम ऑफ़ चेंजेस) प्रस्तुत किया।</li> <li>जीएसआई को छोड़कर सभी मूल्यांकन समूहों से एमओसी की सशर्त मंजूरी प्राप्त हो गई है।</li> <li>जीएसआई/सीईए से मेमोरेण्डम ऑफ़ चेंजेस की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।</li> <li>लागत अनुमान दिनांक 23.05.2025 को अनुमोदन हेतु सीईए को प्रस्तुत किया गया।</li> <li>सीईए ने प्रस्तुत लागत अनुमान पर कुछ टिप्पणियां की हैं और सीवीपीपीएल द्वारा उनका उत्तर दिया जा रहा है।</li> </ul>
3	वन मंजूरी	<ul style="list-style-type: none"> <li>एफसी-1 के लिए आवेदन 19.10.2022 को परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया।</li> <li>पीएससी टिप्पणियों का अनुपालन 21.12.24 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।</li> <li>पीएससी की बैठक 30.12.24 को आयोजित की गई और प्रस्ताव को दिनांक 02.01.25 एम.ओ.एम. के माध्यम से पीएससी द्वारा स्वीकार कर लिया गया।</li> <li>डीएफओ, किश्तवाड़ द्वारा 29.04.25 को परिवेश में वन प्रस्ताव का भाग ॥ भरा गया है।</li> <li>नोडल अधिकारी (एफसीए), जम्मू ने 30.05.2025 को परियोजना क्षेत्र का निरीक्षण किया।</li> <li>पीएससी-॥ की बैठक 21.06.25 को नोडल अधिकारी (एफसीए), जम्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।</li> <li>पीएससी-॥ की सिफारिश 28.06.2025 को नोडल अधिकारी को भेजी गई जिसे 30.06.2025 को डीएफओ किश्तवाड़ को भेज दिया गया।</li> <li>डीएफओ किश्तवाड़ ने 03.07.2025 को इसका उत्तर दिया तथा नोडल अधिकारी को भेज दिया।</li> </ul>
4	पर्यावरणीय मंजूरी	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईएसी ने 15.04.2021 को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करने की सिफारिश की।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 24.05.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि चरण-1 एफसी स्वीकृत होने तक पीपी को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) जारी नहीं की जाएगी। सीएटी योजना को मंजूरी दे दी गई है।</li> <li>29.11.2021 को सीवीपीपीएल के नाम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईसी जारी करने के लिए जेकेएसपीडीसी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया।</li> <li>दिनांक 23.01.25 के पत्र के माध्यम से कुछ नियमों एवं शर्तों के साथ परियोजना की सीएटी योजना के लिए पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ की स्वीकृति से अवगत कराया।</li> <li>ईसी हेतु तीन मौसम के आधार डेटा का अपडेशन प्रगति पर है।</li> </ul>
--	--	---

(iii) **भूमि अधिग्रहण की स्थिति:**

- दिनांक 23.11.23 के पत्र के माध्यम से डीसी, किशतवाड़ से किरथाई ॥ जल विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली निजी और सरकारी भूमि की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।
- किरथाई-॥ जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक 12.61 हेक्टेयर निजी और 60.89 हेक्टेयर सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए डीसी, किशतवाड़ को पत्र दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र भेजा गया।
- सभी निजी और सरकारी भूमि के लिए राजस्व दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए तहसील कार्यालय में जमा कर दिया गया है।
- भूमि अधिग्रहण के लिए तैयार राजस्व दस्तावेज आगे की प्रक्रिया के लिए राजस्व विभाग के तहसीलदार कार्यालय में जांच के अधीन है। यह प्रक्रियाधीन है।

(iv) **निविदा की स्थिति:**

परियोजना के लिए बोली दस्तावेज़ तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना को निम्नलिखित तीन पैकेजों में क्रियान्वित किया जाएगा:

- लॉट-1: मद दर अनुबंध के अंतर्गत सिविल कार्य।
- लॉट-2: एकल ईपीसी पैकेज के अंतर्गत एचएम कार्य।
- लॉट-3: एकल ईपीसी पैकेज के अंतर्गत ई एंड एम कार्य।

**4. लाभांश:**

कंपनी को निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए चार परियोजनाएँ सौंपी गई हैं, जिनके नाम हैं पकल दुल (1000 मेगावाट), किरु (624 मेगावाट), क्कार (540 मेगावाट) और किरथाई चरण ॥ जल विद्युत परियोजना (930 मेगावाट)। इनमें से, पकल दूल, किरु और क्कार जल विद्युत परियोजनाएँ सक्रिय निर्माण चरण में हैं और किरथाई चरण ॥ की जल विद्युत परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। चूँकि कोई भी परियोजना चालू नहीं है और बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेशित अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर केवल ब्याज आय है, इसलिए आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

**5. पूंजी संरचना और निवल मूल्य:**

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,63,001.13 लाख रुपये है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 31 मार्च, 2024 को 4,45,034.13 लाख रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 5,63,001.13 लाख रुपये हो

गई है। 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को निवल मूल्य क्रमशः 5,70,736.48 लाख रुपये और 4,76,933.60 लाख रुपये है।

#### 6. शेयरों का हस्तांतरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शेयरों का हस्तांतरण हुआ। शेयर हस्तांतरण का विवरण इस प्रकार है।

क्रम सं.	हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरित शेयरों की संख्या (इक्विटी)	शेयर का मूल्य	हस्तांतरिती का नाम	हस्तांतरण की तिथि
1.	श्री राज कुमार चौधरी	01	10/- रुपए	श्री रजनीश अग्रवाल	09.09.2024
2.	श्री उदय शंकर साही	01	10/- रुपए	श्री नरेन्द्र कुमार	29.01.2025

#### 7. सहायक, संयुक्त उद्यम या एसोसिएट कंपनियों का विवरण:

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या एसोसिएट कंपनी नहीं है।

#### 8. बोर्ड (निदेशक मंडल):

कंपनी का बोर्ड कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	नामिति निदेशक एवं अध्यक्ष	06440021	22.11.2019
2	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	नामिति निदेशक	06516512	20.10.2022
3	श्री संतोष डी. वैद्य, आईएएस	नामिति निदेशक	05340193	31.08.2023
4	श्री आर.पी. गोयल	नामिति निदेशक	08645380	01.10.2020
5	श्री संजय कुमार सिंह	नामिति निदेशक	10718481	04.09.2024
6	श्री रमेश मुखिया	प्रबंध निदेशक	10415607	05.12.2023
7	श्रीमती मधुस्मिता पानी	नामिति निदेशक	09319007	21.12.2022

- श्री विजय कुमार सिन्हा, 31.07.2024 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री राम स्वरूप, एनएचपीसी द्वारा 04.09.2024 को नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

## 9. बोर्ड की बैठकें:

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशकों की निम्नलिखित तिथियों पर बैठक हुई:

बैठक संख्या और तिथि	बैठक का स्थान	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या			बोर्ड बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
			व्यक्तिगत रूप में	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	बोर्ड के सदस्यों का नाम	
81 <sup>वीं</sup> बैठक 07 मई, 2024	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, आर.पी. गोयल, विजय कुमार सिन्हा, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	85.71
82 <sup>वीं</sup> बैठक 21 जून, 2024	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, आर.पी. गोयल, विजय कुमार सिन्हा, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	85.71
83 <sup>वीं</sup> बैठक 31 जुलाई, 2024	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	2	3	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, आर.पी. गोयल, विजय कुमार सिन्हा, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	71.42
84 <sup>वीं</sup> बैठक 09 सितंबर, 2024	सीवीपीपीएल कैम्प कार्यालय, फरीदाबाद	7	5	1	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, संतोष डी. वैद्य-आईएएस, आर.पी. गोयल, संजय कुमार सिंह, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	85.71
85 <sup>वीं</sup> बैठक 08 अक्टूबर, 2024	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, संतोष डी. वैद्य-आईएएस, आर.पी. गोयल, संजय कुमार सिंह, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	85.71
86 <sup>वीं</sup> बैठक 25 अक्टूबर, 2024	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	3	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, संतोष डी. वैद्य-आईएएस, आर.पी. गोयल, संजय कुमार सिंह, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	100
87 <sup>वीं</sup> बैठक 07 जनवरी, 2025	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	2	3	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद-आईएएस, आर.पी. गोयल, संजय कुमार सिंह, रमेश मुखिया	71.42
88 <sup>वीं</sup> बैठक 29 जनवरी, 2025	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	1	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), आर.पी. गोयल, संजय कुमार सिंह, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	71.42
89 <sup>वीं</sup> बैठक 11 मार्च, 2025	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	7	0	5	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), आर.पी. गोयल, संजय कुमार सिंह, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी	71.42

## 10. सामान्य रिजर्व में अंतरण:

कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान सामान्य आरक्षित में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

## 11. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षा मेसर्स वीएके एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जम्मू द्वारा किया गया है।

## 12. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मेसर्स रमित माम एंड एसोसिएट्स, वृत्तिक कंपनी सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के **संलग्नक I** में संलग्न है, जो स्व-स्पष्टकारी है।

## 13. आवश्यक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय स्थिति संबंधित है, और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।

## 14. सार्वजनिक जमाराशि :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के भीतर जनता/सदस्यों से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है और, इस प्रकार, तुलन-पत्र की तारीख और इस रिपोर्ट की तारीख को मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

## 15. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(ग) की आवश्यकता के अनुरूप, यह पुष्टि की जाती है कि:

- (क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया।
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- (घ) निदेशकों ने गोड्रिंग कन्सर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था।
- (ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और यह सुनिश्चित किया था कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हों तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हों।

## 16. सचिवीय मानक:

कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'आम बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों, अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।

## 17. कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसा कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई प्रतिभूतियां अर्जित नहीं की हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत आती हैं।

## 18. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण, यदि कोई हो:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई ऐसा अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके। कंपनी के संबंधित पक्ष लेन-देन केवल एक संयुक्त उद्यम भागीदार (एनएचपीसी लिमिटेड) के साथ परामर्श और अन्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए हैं। संबंधित पक्ष के साथ किए

गए सभी अनुबंध/लेन-देन, सामान्य व्यावसायिक क्रम में और कंपनी के हित में, निष्पक्ष आधार पर किए गए थे।

कुछ ऐसे लेनदेन हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) के अनुसार फॉर्म एओसी-2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है, जो **संलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

## 19. सांविधिक लेखापरीक्षकों की अर्हताओं, आपत्तियों पर बोर्ड की टिप्पणियाँ , यदि कोई हों, साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई अर्हता या शंका व्यक्त नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और उन पर प्रबंधन के उत्तर **संलग्नक III** के रूप में संलग्न है।

## 20. जोखिम प्रबंधन संरचना को सुदृढ़ बनाना:

कंपनी इस तथ्य से अवगत है कि जलविद्युत परियोजनाओं का विकास विभिन्न अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ है, जैसे भू-तकनीकी औचक घटनाएं, जल विज्ञान संबंधी अनिश्चितताएं, भूकंपीय जोखिम, पर्यावरणीय मुद्दे, अप्रत्याशित संविदात्मक मुकदमेबाजी, परियोजना स्थान की दूरस्थता, लंबी निर्माण अवधि, नियामक जोखिम आदि, जिससे परियोजना लागत में अप्रत्याशित वृद्धि, समय की अधिकता आदि हो सकती है।

1000 मेगावाट पकल दूल जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत और निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ के साथ, हमारी कंपनी एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर रही है, जिसमें कंपनी के जोखिम संपर्कों की पहचान की गई है, जिसमें कार्यान्वयन के लिए जोखिमों के प्रबंधन और शमन के लिए आवश्यक कदम शामिल हैं।

तथापि, कंपनी ने धोखाधड़ी निवारण और पता लगाने की नीति विकसित और कार्यान्वित की है।

कंपनी द्वारा शुरू की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

### (क) **रणनीतिक जोखिम:**

परियोजना प्रमुख (एचओपी) जोखिम प्रबंधन के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

### (ख) **वित्तीय जोखिम:**

अभी तक ऐसे किसी वित्तीय जोखिम की पहचान नहीं की गई है जिसका तुलन-पत्र पर प्रभाव पड़ सकता हो।

### (ग) **प्रचालनात्मक जोखिम:**

वर्ष के दौरान पहचान किए गए प्रचालन जोखिम के लिए जहां भी आवश्यक हो, किश्तवाड़ में परियोजना प्रमुखों द्वारा शमन उपाय किए गए हैं।

## 21. सतर्कता गतिविधियाँ:

सतर्कता कार्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण कंपनी में सर्वोच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनी रहे। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य सतर्क और सजग रहना तथा सुदृढ़ सतर्कता प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्था को जागृत रखना है। सतर्कता प्रशासन में निवारक और दंडात्मक भ्रष्टाचार-रोधी उपाय शामिल हैं। इसमें अनियमितताओं का पता लगाना, उनका विश्लेषण और उनके कारणों का पता लगाना तथा उन्हें रोकने के लिए प्रभावी और व्यवस्थित सुधार करना शामिल है।

इसमें कदाचार के लिए जिम्मेदार लोक सेवकों की पहचान करना तथा उचित दंडात्मक कार्रवाई किया जाना भी शामिल है।

सीवीपीपीएल सतर्कता प्रभाग, सीवीओ-एनएचपीसी लिमिटेड के पर्यवेक्षण में सीवीसी और भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करता है, जो केंद्र सरकार के अन्य विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कुछ अनुपालनों को अनिवार्य बनाता है। सीवीसी द्वारा जारी परिपत्र/ज्ञापन/दिशानिर्देश का सीवीपीपीएल में अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाता है। सतर्कता विभाग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है।

सतर्कता प्रभाग द्वारा अपनी कार्ययोजना के अंतर्गत सतर्कता गतिविधियों/कार्यों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें शिकायतों/मामलों का निपटारा और उनकी जांच, नियमित/औचक निरीक्षण, संगठन की वेबसाइट/जीईएम सीपीपी ई-पोर्टल पर अपलोड की गई एनआईटी की नियमित निगरानी, संपन्न निविदाओं की जांच और कार्यों का निष्पादन, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान और प्रणाली में सुधार के लिए सतर्कता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण आयोजित करना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, तकनीकी परीक्षक, सीवीसी द्वारा पकल दूल जलविद्युत परियोजना के विद्युत गृह सिविल कार्य पैकेज और किरु जलविद्युत परियोजना के ई एंड एम पैकेज की गहन जांच की गई और सीवीसी टीम द्वारा आगे के अवलोकन के लिए सीवीओ, एनएचपीसी की सहमति से उनकी टिप्पणियों का उत्तर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतर्कता प्रभाग द्वारा पाँच (05) सीटीई प्रकार के निरीक्षण भी किए गए। निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, समय-समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/जांचों और आवश्यकतानुसार सीवीसी संग्रह के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र और दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट सीवीओ-एनएचपीसी लिमिटेड और सीवीसी को प्रस्तुत की जा रही हैं। सतर्कता कार्यों पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट भी सीवीपीपीएल बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही हैं।

कामकाज में पारदर्शिता और नीतिशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए सीवीपीपीएल में 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक सीवीसी दिशानिर्देशों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

## चित्र



### 22. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण:

फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

### 23. सांविधिक सूचना :

क. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन :

(क) प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था :

सीवीपीपीएल निगम मुख्यालय का ओरिएंटेशन (अभिविन्यास) और ग्लास पैनेलिंग इस तरह से है कि पर्याप्त प्राकृतिक सूर्य प्रकाश कार्यालय में प्रवेश करता है, जिससे विद्युत प्रकाश व्यवस्था का उपयोग कम होता है और इस प्रकार विद्युत खपत कम होती है।

(ख) **ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें:**

विद्युत की खपत कम करने के लिए सीवीपीपीएल के निगम मुख्यालय में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

(ग) **एचवीएसी:**

विद्युत की खपत को कम करने के लिए सीओ जम्मू में ऊर्जा कुशल एचवीएसी प्रणाली लागू की गई है।

(घ) **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट :**

जेडीए द्वारा दी गई भवन निर्माण अनुमति के अनुसार, सीवेज उपचार के लिए केवल सेप्टिक टैंक की आवश्यकता थी, हालाँकि, एक सक्रिय कदम उठाते हुए, हमारी कंपनी ने उन्नत तकनीक अपनाने का निर्णय लिया और पारंपरिक सेप्टिक टैंकों के बजाय एरोबिक सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना का विकल्प चुना। कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए फ्लुइडाइज्ड एरोबिक बायो रिएक्टर तकनीक से युक्त 70 केएलडी क्षमता वाला यह एसटीपी स्थापित किया गया है। सीवेज के अलावा, यह एसटीपी भवन से निकलने वाले अपशिष्ट जल का भी उपचार करेगा।

(ङ) **ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र:**

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, सीवीपीपीएल, सीओ, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में 15 किलोवाट ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ताकि विद्युत भार को कम करके राष्ट्रीय ग्रिड को समर्थन दिया जा सके।

**ख. अनुकूलन और अभिनवता :**

**क) भवन ओरिएंटेशन (अभिविन्यास):**

कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का डिज़ाइन जम्मू की जलवायु के सर्वोत्तम पहलुओं का लाभ उठाने के लिए तैयार किया गया है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए, द्रव्यमान और अभिविन्यास के अनुसार दिन के उजाले और छाया के लिए डिज़ाइन में अग्रभाग अनुकूलन सिद्धांत लागू किया गया है। भवन का द्रव्यमान पूर्व-पश्चिम दिशा में उन्मुख है, जिसके बड़े हिस्से उत्तर और दक्षिण की ओर हैं, जिससे गर्मियों के दौरान सौर ताप का प्रभाव कम से कम हो।

**ख) कार्यस्थल आयोजना:**

भवन के चारों ओर हरित/खुले क्षेत्रों का बड़ा प्रतिशत (अर्थात् कुल स्थल क्षेत्रफल का लगभग 30 प्रतिशत) उपलब्ध कराया गया है, जो भवन के ऊर्ध्वधर विस्तार (ऊपरी और भूमिगत दोनों) को अपनाकर प्राप्त किया गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए दो बेसमेंट तल प्रदान करके भूमिगत क्षेत्र का पूर्ण उपयोग किया गया है।

**ग) बैठने की व्यवस्था:**

एचवीएसी की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने तथा विद्युत की खपत को कम करने के लिए, बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि बंद कमरे तथा पूरी ऊंचाई वाले केबिन बाहरी दीवारों/कांच की दीवारों के साथ रखे जाएं, ताकि सूर्य के प्रकाश का ताप प्रभाव कार्य स्टेशनों तथा अन्य खुले क्षेत्रों तक न पहुंचे, जो फर्श के अंदरूनी भाग पर स्थित हैं।

**घ) वर्षा जल हार्वेस्टिंग प्रणाली:**

कंक्रीटीकरण में वृद्धि के साथ, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा पानी सीधे नालियों में चला जाता है, जिससे गैर-कंक्रीट क्षेत्रों की पुनर्भरण क्षमता का भारी नुकसान होता है। सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, सीवीपीपीएल ने भूजल पुनर्भरण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित करने का विकल्प चुना है। इस प्रणाली में 2.5 मीटर व्यास और 3.0 मीटर प्रभावी गहराई वाले दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग गड्ढों के साथ 160 (ओडी) यूपीवीसी स्लॉटेड पाइप स्थापित किए गए हैं, जो रेतीले एक्वीफायर जलभृतों/पारगम्य परतों तक फैले हैं।

## 24. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

विदेशी मुद्रा लेनदेन का सारांश नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
विदेशी मुद्रा में व्यय		
1. ज्ञान	शून्य	शून्य
2. ब्याज	शून्य	शून्य
3. अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में आय		
• ब्याज	शून्य	शून्य
• अन्य	शून्य	शून्य

## 25. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और मानक:

कंपनी ने "सीवीपीपीएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अस्तित्व और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर स्वतंत्र समीक्षा और आश्वासन प्रदान करने" के लिए मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने बताया है कि सीवीपीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध "ख" में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की भी रिपोर्ट दी गई है।

## 26. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

कर्मचारी किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, और प्रतिभा में निवेश करना व्यवसाय की स्थायी वृद्धि और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम किसी संगठन के भीतर ज्ञान के आधार का विस्तार करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन शिक्षण अनुभव एक खुशहाल और अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण करते हैं। एक प्रतिस्पर्धी कार्यबल की सफलता के लिए व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग चाहे कोई भी हो, हमारे कर्मचारियों के पेशेवर ज्ञान में कमियों को पूरा करना उन्हें उत्पादक और संतुष्ट बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

बेहतर प्रदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने कर्मिकों के कौशल और ज्ञान के विस्तार के मूल्य को समझते हुए, सीवीपीपीएल अपने कर्मचारियों के निरंतर उन्नयन और सीखने में निवेश करने में कभी पीछे नहीं रहता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी मंचों पर आयोजित तकनीकी / गैर-तकनीकी और व्यावहारिक कार्यक्रमों सहित 40 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सम्मेलनों / वेबिनार / सत्रों आदि के लिए नामित किया गया था। हमारे कर्मचारियों को संबंधित सॉफ्टवेयर में नवीनतम तकनीकों और नवाचारों से परिचित कराने के लिए मान्यता प्राप्त CADD केंद्र के माध्यम से PRIMAVERA और AUTOCAD पर कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। विशेष प्रशिक्षकों/एजेंसियों के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रिवर मॉडलिंग और इनफ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम, विशेष रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बीमा पॉलिसियां, प्रक्रियाएं और सर्वोत्तम पद्धतियां, ट्रेचलेस प्रौद्योगिकी संस्थापना हेतु भूभौतिकीय तकनीकें, एफआईडीआईसी प्रबंधन के कांट्रैक्ट की शर्तों और उपयोग, सार्वजनिक खरीद, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण विनियम, ट्रांसफार्मर संरक्षण आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाए गए।

पीओएसएच (POSH) अधिनियम, 2013, श्रम कानूनों के तहत विनियामक अनुपालन पर वैधानिक-उन्मुख कार्यक्रम इन-हाउस आयोजित किए गए, इसके अलावा कर्मचारियों को वैधानिक अनुपालन पर अद्यतन करने के लिए श्रम कानूनों पर आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में नामांकित किया गया। कर्मचारियों के दिमाग को तरोताजा करने और उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए परियोजनाओं में स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर एक कायाकल्प कार्यशाला भी आयोजित की गई। दिनांक 21.06.2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े उत्साह और कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया गया।

उपरोक्त सूचीबद्ध कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में कर्मचारियों से उच्च प्रशंसा और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

**पकल दुल जल विद्युत परियोजना, किशतवाड़ में “बेहतर प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम जीवनशैली अभ्यासों” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**







किरु जल विद्युत परियोजना, किश्तवाड़ में "संचार कौशल से दूसरों को प्रभावित करना" विषय पर कार्यक्रम





## सीएडीडी केंद्र, जम्मू में "प्राइमावेरा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





निगम मुख्यालय , जम्मू में "जीईएम(GeM) पोर्टल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





आईआईटी, जम्मू में "जल विद्युत परियोजनाओं हेतु रिवर मॉडलिंग और इनप्लो फोरकास्टिंग सिस्टम (अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली)" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





कार जल विद्युत परियोजना , किशतवाड़ में “स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





निगम मुख्यालय , जम्मू में "साइबर सुरक्षा" पर जागरूकता कार्यक्रम





निगम मुख्यालय, जम्मू में "संगठनात्मक संबद्धता: भविष्य की परिकल्पना" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





निगम मुख्यालय, जम्मू में " विशेष रूप से जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बीमा पॉलिसियाँ, प्रक्रियाएँ और सर्वोत्तम अभ्यास" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



निगम मुख्यालय, जम्मू में "श्रम कानूनों के तहत विनियामक अनुपालन" पर कार्यक्रम



## निगम मुख्यालय, जम्मू में "लैंगिक उत्पीड़न" पर जागरूकता कार्यक्रम







## विभागाध्यक्षों और परियोजना प्रमुखों की बैठक





# पकल दुल जल विद्युत परियोजना, किश्तवाड़ में "तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



## किरु जल विद्युत परियोजना, किश्तवाड़ में "टीम बिल्डिंग" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम









10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस





## 27. कर्मचारी पदोन्नति:

सीवीपीपीएल बोर्ड की 85वीं बैठक के प्रस्ताव के संदर्भ में, सभी सीवीपीपीएल संवर्ग कर्मचारियों के संबंध में सीवीपीपीएल में रिक्ति-आधारित पदोन्नति रोक दी गई है।

जहाँ रिक्तियों की कोई बाधा नहीं है, वहाँ सीवीपीपीएल संवर्ग के कर्मचारियों की क्लस्टर आधारित पदोन्नति, मौजूदा सीवीपीपीएल पदोन्नति नीति के अनुसार शुरू की गई है। हालाँकि, इसे अगली बैठक में सीवीपीपीएल बोर्ड के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाना है, जिसके बाद पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे।

## 28. मानव संसाधन प्रबंधन:

मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) एक बहुआयामी विधा है जो सीवीपीपीएल के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के प्रबंधन पर केंद्रित है ताकि इसके रणनीतिक और विविधीकृत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, निष्पादन प्रबंधन, पारिश्रमिक और कर्मचारी संबंध सहित कई गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के निष्पादन और जुड़ाव को बेहतर बनाना है। सीवीपीपीएल में एचआरएम की भूमिका ऊर्जावान, उत्साही और प्रेरित कार्यबल के निर्माण और उसे बनाए रखने, एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और निर्धारित लक्ष्यों की समय पर पूर्ति और संबंधित कानूनों और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में निर्णायक और निष्पादन-आधारित है।

## क. एचआर नियम और नीतियां:

एचआर नियम और नीतियां संगठन का अभिन्न अंग हैं जिन पर पूरी व्यवस्था निर्भर करती है। सीवीपीपीएल ने अपने निर्माण चरण में, संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अब तक 02 नीतियाँ शुरू की हैं, जैसे कि सीवीपीपी 'बच्चे के दत्तग्रहण पर बाल देखरेख अवकाश और लैंगिक उत्पीड़न की जाँच से संबंधित विशेष अवकाश' की शुरुआत, सीवीपीपीएल/ जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों और सीवीपीपीएल परियोजना निर्माण स्थलों पर रात्रि पाली में ड्यूटी करने वाले गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए स्वास्थ्य सप्लीमेंट और स्वास्थ्य लाभ आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए योजना की शुरुआत।

इसके अलावा, नीतियों में संशोधन भी शामिल किए गए हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना और नियमों की अंशदान सीमा में संशोधन, सीवीपीपीएल परियोजना प्रभावित परिवारों (वित्तीय सीमा) में संशोधन आदि।

इसके अलावा, सीवीपीपीएल डीपीई दिशानिर्देशों और प्रचलित प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार अनुपालन भी सुनिश्चित कर रहा है।


## ख. सीवीपीपीएल में नियोजित ठेका श्रमिकों का ब्यौरा :

31.03.2025 तक, कुल **8820** ठेका श्रमिकों को विभिन्न ठेकेदारों (जैसे मेसर्स एफकॉन्स , मेसर्स एल एंड टी, मेसर्स जेएएल, मेसर्स वॉयथ , मेसर्स पटेल आदि) द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है, जिन्हें सीवीपीपीएल निगम मुख्यालय /परियोजनाओं/इकाइयों के कार्य/सेवा अनुबंध प्रदान किए गए हैं।

कुल 8820 में से **7339 ठेका श्रमिक जम्मू-कश्मीर से हैं।** जम्मू-कश्मीर के इन 7339 श्रमिकों में से **5754 किश्तवाड़ जिले से ही हैं,** जिनमें **परियोजना प्रभावित परिवारों के 531 ठेका श्रमिक शामिल हैं।**

पिछले वर्ष (31.03.2024) की तुलना में 31.03.2025 तक ठेकेदारों द्वारा नियुक्त ठेका श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि **21.85 प्रतिशत है।**

## सीवीपीपीएल में ठेकेदारों द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण



### ग. औद्योगिक संबंध:

सीवीपीपीएल परियोजनाओं और कार्यालयों में आईआर की स्थिति अनुकूल थी, सिवाय उनकी यूनियन (किसान मजदूर यूनियन) के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों की कुछ प्रमुख रुकावटों को छोड़कर। ठेकेदारों द्वारा नियोजित संविदा कर्मचारियों की यूनियनों से संबंधित मामलों का समाधान आरएलसी (केंद्रीय), जम्मू के कार्यालय में हुई सुलह प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता और प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से किया गया है। वर्ष के दौरान, संविदा कर्मचारी संघ ने कई बार सीवीपीपीएल प्रबंधन को ठेकेदारों (उनके तत्काल नियोजक) को विवाद में पक्ष बनाए बिना हड़ताल पर जाने की धमकी दी और परियोजना स्थलों के कार्यों में कई बाधाएँ उत्पन्न कीं।

वर्ष के दौरान, सीवीपीपीएल परियोजनाओं के स्थलों पर बड़ी संख्या में औद्योगिक विरोध प्रदर्शन देखे गए और उनका उचित कानूनी तंत्र के माध्यम से समाधान/निर्णय किया जा रहा है।

### घ. किश्तवाड़ जिले में सीवीपीपीएल परियोजना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था

परियोजनाएँ और कर्मचारी सीवीपीपीएल की महत्वपूर्ण संपत्ति हैं तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा हमारी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। विभिन्न परियोजनाओं में तैनात महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, मशीनरी, बुनियादी ढाँचे और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मज़बूत सुरक्षा उपायों को लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। किश्तवाड़ ज़िले में स्थित तीन सीवीपीपीएल परियोजनाएँ, अर्थात् पकल दूल, किरु और कार जलविद्युत परियोजनाएँ, निर्माण गतिविधियों के प्रगति चरण में हैं, जहाँ परियोजना के मानव संसाधनों, मशीनरी और कर्मचारियों की चौबीसों घंटे सुरक्षा और संरक्षा निरंतर आवश्यक है। वर्तमान में, परियोजनाओं में सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रबंधन ठेकेदारों के निजी सुरक्षा गार्डों, डीजीआर द्वारा प्रायोजित पूर्व सैनिकों की सुरक्षा, और जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की न्यूनतम तैनाती द्वारा किया जाता है।

किश्तवाड़, एक संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण, वर्तमान में व्याप्त चिंताजनक परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में मानव जीवन/परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु सीवीपीपीएल के तीन परियोजना स्थलों पर सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का मामला विद्युत मंत्रालय और गृह मंत्रालय/सीआईएसएफ मुख्यालय के समक्ष उठाया गया है। सीआईएसएफ प्राधिकारियों ने प्रारंभिक मूल्यांकन सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीआईएसएफ मुख्यालय को सौंप दी है। परियोजनाओं में सीवीपीपीएल द्वारा पूर्व-प्रवेश औपचारिकताओं/सुविधाओं के पूरा होने के बाद सीआईएसएफ द्वारा औपचारिक रूप से तैनाती की जाएगी।

## ड. जनशक्ति नियोजन:

सीवीपीपीएल में सभी कर्मचारियों का स्थान-वार विवरण (31-03-2025 तक)						
समूह	संवर्ग	सीओ	पकल दुल एचईपी	किरु एचईपी	कार एचईपी	कुल
क	अधिकारी	80	68	69	43	260
ख	पर्यवेक्षक	6	23	21	10	60
ग और घ	कामगार	3	7	0	1	11
कुल		89	98	90	54	331

- उपरोक्त जनशक्ति में सीवीपीपीएल स्थानों पर विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

## च. अगले 04-05 वर्षों के लिए जनशक्ति आयोजना/बजट

85वीं बैठक में पारित निर्देशों के अनुसार, जल विद्युत परियोजना के लिए जनशक्ति के आवंटन हेतु सीईई मानदंडों के आधार पर एनएचपीसी के परामर्श से अगले 04-05 वर्षों के लिए एक व्यापक जनशक्ति बजट तैयार किया गया है और एनएचपीसी द्वारा सत्यापन/संवीक्षा के बाद इसे सीवीपीपीएल पत्र दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से डीपीई की सिफारिश और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

## छ. स्वतंत्रता दिवस 2024

### सीवीपीपीएल द्वारा 78<sup>वें</sup> स्वतंत्रता दिवस का आयोजन

सीवीपीपीएल ने 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गौरव और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया। श्री रमेश मुखिया, प्रबंध निदेशक महोदय ने निगम मुख्यालय, जम्मू में गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रगान की सलामी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने सभी कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और उपस्थित स्टाफ को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

एमडी (सीवीपीपीएल) ने अपने उद्घाटन भाषण में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से राष्ट्र निर्माण के शानदार कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया।

अपने भाषण में उन्होंने किश्तवाड़ जिले में चल रही निर्माणाधीन पकल दुल, किरू और कार जलविद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करने में हासिल की गई उत्कृष्ट प्रगति तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद किया। इनके द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इस अवसर पर कर्मचारियों, उनके परिवार और बच्चों ने बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस समारोह का समापन राष्ट्रगान के गायन और मिठाई वितरण के साथ हुआ, जो आजादी की खुशी और मिठास का प्रतीक है।

इस अवसर पर श्री रमेश मुखिया, प्रबंध निदेशक महोदय के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने सभी कार्मिकों को अपने आवासों पर राष्ट्रध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित किया।

स्वतंत्रता दिवस 2024, पकल दुल, किरू, कवार व किरथई-॥ जल विद्युत परियोजना में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।



महाप्रबंधक (मा.सं.) पौधा देकर एमडी, सीवीपीपीएल का स्वागत करते हुए



78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत



प्रबंध निदेशक महोदय गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए



प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ध्वजारोहण



राष्ट्रगान प्रस्तुतीकरण



78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक महोदय सभी कार्मिकों व उनके परिवारजनों को संबोधित करते हुए



78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन





सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन



सभी प्रतिभागियों को श्रीमती मालती मुखिया महोदया पुरस्कृत करते हुए

## श्रीमती मालती मुखिया महोदया के साथ प्रतिभागियों का समूहचित्र



## राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन

## 26 जनवरी 2025 को सीवीपीपीएल में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन

### सीवीपीपीएल द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन

सीवीपीपीएल ने 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस बड़े गर्व और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया। श्री रमेश मुखिया, प्रबंध निदेशक महोदय ने निगम मुख्यालय, जम्मू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया व कार्मिकों और उनके परिवारों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था। यह दिन संविधान और उसमें निहित विचारों के प्रति हमारी आस्था का स्मरण है।

प्रबंध निदेशक महोदय ने अगले वर्ष के अंत तक पकल दुल और किरू जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने के बारे में अपना पूर्णतः विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने सीवीपीपीएल, निगम मुख्यालय, जम्मू में कार्य करने वाले सभी कार्मिकों को राष्ट्रीय महत्व की तीनों निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूर्ण करने के लिए उनके 100% योगदान के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने प्रतिकूल भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के बावजूद किशतवाड़ में सभी कार्मिकों और निर्माण कार्यों में लगे हुए अन्य श्रमिकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

**76 वें गणतंत्र के अवसर पर निगम मुख्यालय, जम्मू में आयोजित कार्यक्रम की झलकियाँ :-**















## ज. सीवीपीपीएल द्वारा 14वें स्थापना दिवस का आयोजन

### सीवीपीपीएल द्वारा 14वें स्थापना दिवस का आयोजन

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) ने 13 जून, 2024 को सीवीपीपीएल निगम मुख्यालय, जम्मू; किश्तवाड़ स्थित परियोजना स्थलों और कैंप कार्यालय, फरीदाबाद में अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया। जम्मू-कश्मीर में चिनाब बेसिन की विशाल जलविद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए वर्ष 2011 में इसी दिन सीवीपीपीएल की स्थापना की गई थी।

प्रबंध निदेशक श्री रमेश मुखिया ने इस अवसर पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी। स्थापना दिवस सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक मिलन समारोह के साथ उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जम्मू के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रिजवान उद्दीन और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर, सीवीपीपीएल के प्रबंध निदेशक, श्री रमेश मुखिया ने कर्मचारियों को संबोधित किया और किश्तवाड़ में पकल दूल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), किरु जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) नामक तीन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पकल दूल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) और किरु जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) के सितंबर 2026 तक चालू होने की प्रत्याशा है। उन्होंने परियोजना कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और स्थानीय प्रशासन के सहयोग की सराहना की और किश्तवाड़ में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों के लिए सभी कर्मचारियों की भी प्रशंसा की।

श्री मुखिया, प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीएल ने कर्मचारियों से कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने पर बल दिया।



**29. महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या, यदि कोई हो और उनका निपटान:**

कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी सीवीपीपीएल स्थानों पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:-

- क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या : - शून्य
- ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या :- शून्य
- ग. 90 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य

30. सीवीपीपीएल मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

**31. परियोजना निगरानी:**

सीवीपीपीएल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मज़बूत प्रणाली अपना रहा है। समय और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी एक आवश्यक घटक है। पकल दूल जलविद्युत परियोजना, किरु जलविद्युत परियोजना और क्कार जलविद्युत परियोजना के प्रमुख कार्यों की प्रगति की निगरानी परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर अर्थात् प्राइमावेरा के माध्यम से की जा रही हैं, जिसे कारपोरेट कार्यालय जम्मू और परियोजना कार्यालयों किश्तवाड़ में स्थापित किया गया है और कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रभावी निगरानी और इंटरफेस की गई गतिविधियों के बीच समय के अंतराल के कारण होने वाली किसी भी देरी को रोकने के लिए प्राइमावेरा में पैकेजों के इंटरफेसिंग शेड्यूल को भी एकीकृत किया जा रहा है। यदि कोई देरी हो रही है, तो ठेकेदारों को नियमित रूप से इसकी जानकारी दी जा रही है ताकि देरी की भरपाई की योजना बनाई जा सके। परियोजनाओं की प्रगति और मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए सभी हितधारकों के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि उनका समय पर समाधान किया जा सके। सभी प्रमुख कार्य पैकेजों के ठेकेदारों को प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जा रहा है और लक्ष्यों के अनुसार कार्यों की दैनिक निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

परियोजनाओं की स्थिति से प्रधानमंत्री कार्यालय, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, एनएचपीसी, जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और विभिन्न केंद्रीय/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विभागों को स्थिति रिपोर्टों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जो नियमित रूप से निर्धारित समय-सीमा अर्थात् तिमाही/मासिक/साप्ताहिक पर भेजी जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी की स्थिति और महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्र/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विभागों की विभिन्न समीक्षा बैठकों में उजागर किया जा रहा है ताकि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

भेजी गई अनुसूचित स्थिति रिपोर्ट का विवरण नीचे दिया गया है:

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन या शिलान्यास की गई परियोजनाओं/ कार्यक्रमों / योजनाओं की मासिक स्थिति रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को ।
2. तिमाही/जब भी वांछित हो, जम्मू-कश्मीर में चल रही प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी-2015) परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
3. 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की पूर्ण विस्तृत डाटा जानकारी को मासिक रूप से अद्यतन किया जाना – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार को ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) द्वारा।
4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के डीपीआईआईटी के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल पर प्रगति एवं उपलब्धि तथा मुद्दों का मासिक रूप से अद्यतन किया जाना।
5. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73(च) के अंतर्गत सीईए द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की निगरानी, एचपीएम, सीईए को मासिक स्थिति
6. एचपीएम, सीईए को परियोजनाओं के मूल्यांकन की शर्तों की मासिक स्थिति और अनुपालन।
7. प्रगति ने जेकेपीडीडी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को स्थिति की जानकारी जारी की।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय के ई-समीक्षा पोर्टल पर मंत्रिमंडल निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को साप्ताहिक रिपोर्ट ।
9. त्रैमासिक सीसीईए अनुमोदन शर्त अनुपालन रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
10. सीवीपीपीएल की मासिक एमआईएस रिपोर्ट एनएचपीसी के एसबीएंडडी, योजना और पीएमएसजी प्रभागों को।
11. जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट।
12. जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार को स्थिति रिपोर्ट।
13. सीवीपीपीएल परियोजनाओं की मासिक स्थिति संभागीय आयुक्त, जम्मू कश्मीर सरकार को भेजी जाती है।
14. जलविद्युत योजनाएं सीईए द्वारा सहमति प्राप्त हैं तथा इनका निर्माण कार्य अभी एचपीएम एवं एचपीए सीईए को सौंपा जाना है।
15. वैधानिक विभागों से अपेक्षित प्रारूप में आवश्यकतानुसार विभिन्न अन्य स्थिति रिपोर्ट भेजी जाती हैं।

### **32. स्थानीय बुनियादी ढांचे का विकास:**

पकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं की जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजनाओं में स्थानीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पकल दुल के लिए 40 करोड़ रुपये, किरू के लिए 28.87 करोड़ रुपये और क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 13.54 करोड़ रुपये के आवंटन वाले प्रावधान शामिल हैं। कुल 82.41 करोड़ रुपये की यह राशि किश्तवाड़ जिले के दूर-दराज के इलाकों के विकास के लिए वरदान साबित होगी। यह राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। जिला प्रशासन इस राशि का उपयोग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर रहा है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

### 33. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें:

सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी संगठन की सतत और दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीवीपीपीएल, सतत विकास की प्राप्ति और समग्र उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण मानता है।

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत, संगठन ने विभिन्न डिजिटल पहलें की हैं, जैसे कि सीवीपीपीएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू सहित सभी परियोजना स्थलों पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआईसी का ई-ऑफिस लागू किया है। सीवीपीपीएल ने दूरस्थ परियोजना स्थलों पर ई-ऑफिस उपयोग हेतु वीपीएन भी प्राप्त किए हैं। डिजिटल तकनीकों, जिनमें वर्चुअल बैठकें, सीवीपीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट का प्रशासन और संचालन, इंटरनेट और वेबमेल आईडी शामिल हैं, का उपयोग करके सीवीपीपीएल जनता, हितधारकों आदि के लिए आसानी से उपलब्ध है।

सीवीपीपीएल ने कागज़ रहित कार्य की दिशा में कई अन्य डिजिटल पहलें की हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता और कार्य करने में आसानी हुई है। सीपीपीपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का प्रबंधन और समर्थन, जिसमें एनआईसी द्वारा विकसित और अनुरक्षित ई-रिवर्स ऑक्शन पोर्टल और जीईएम पोर्टल शामिल हैं, संसाधनों के अनुकूलन हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

दूरस्थ परियोजनाओं सहित कंपनी के सभी स्थान एमपीएलएस-वीपीएन/आईएलएल और वीसैट का उपयोग करते हुए मल्टीमोड संचार लिंक के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय से जुड़े हुए हैं। परियोजनाओं/विद्युत संयंत्रों की बेहतर निगरानी/प्रबंधन और निगरानी के लिए वीएमएस (वीडियो प्रबंधन प्रणाली) की प्राप्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

सर्वर, डाटा स्टोरेज, संचार उपकरण आदि सहित महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना सुरक्षित स्थानों पर स्थापित की गई है और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से प्रबंधित की जा रही है। सर्वर/डेस्कटॉप को साइबर खतरों से बचाने के लिए एक केंद्रीकृत फ़ायरवॉल भी लागू किया गया है। मूल कंपनी एनएचपीसी द्वारा वित्त, मानव संसाधन, खरीद आदि जैसे कार्यों को एकीकृत करने के लिए नए युग की ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

सीवीपीपीएल आईटी पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण और कागज़ रहित कार्यालय के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक किसी भी सेवा/सूचना के लिए समय को कम करना है। इसके अलावा, सीवीपीपीएल बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे और सीवीपीपीएल कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर और डिजिटल क्षेत्र में उभरते खतरों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा उपायों में वृद्धि करके आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

### 34. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति:

सीवीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के प्रति प्रतिबद्ध है और अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और स्थिरता के उच्च मानकों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सीवीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और समग्र समाज का सम्मान करता है और अपनी सीएसआर और संधारणीयता गतिविधियों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करता है।

सीवीपीपीएल ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर पर जारी सामान्य परिपत्रों और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पर दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमों के अनुरूप एक सीएसआर और स्थिरता नीति तैयार की है।

नीति में लागू अधिनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

सीवीपीपीएल की सीएसआर एवं संधारणीयता नीति को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है: <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies>.

सीएसआर समिति के संबंध में सांविधिक प्रकटीकरण और सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-IV** के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

### 35. न्यायालय मामलों की स्थिति:

#### मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए न्याय-निर्णयाधीन वाले मामलों का विवरण

क्र.सं.	मुकद्दमेबाजी का प्रकार	कुल मामलों की संख्या	मंच/न्यायालय	स्थिति
1.	सेवा मामले	08	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में 8 मामले लंबित हैं।	सभी मामलों में अभिवचन पूरी हो गई।
2.	सिविल मामले**	04	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय-जम्मू में - 1; किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर के जिला न्यायालय में 3।	पक्षकारों द्वारा अभिवचन पूरे कर लिए गए हैं।
3.	माध्यस्थम मामले	04	पंजाब एवं हरियाणा (पी एंड एच) उच्च न्यायालय-चंडीगढ़ में - 1; जम्मू स्थित माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष - 3।	चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित माध्यस्थम मामले में, सुनवाई पूर्ण हो चुके हैं और सुनवाई जारी है। जबकि, मेसर्स एस3 इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीवीपीपीएल नामक माध्यस्थम मामले में अभिवचन पूर्ण हो चुके हैं और साक्ष्य के चरण में हैं। अन्य दो माध्यस्थम मामले सुनवाई के चरण में हैं।
4.	अवमानना याचिकाएँ	02	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय-जम्मू में - 1 और पंजाब एवं हरियाणा (पी एंड एच) उच्च न्यायालय-चंडीगढ़ में - 1;	अंतिम चरण में, पक्षकारों ने अपने अभिवचन पूरे कर लिए हैं। मामले की आंशिक सुनवाई भी हो चुकी है। वहीं, सीवीपीपीएल द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई एक अन्य अवमानना याचिका में, दूसरे पक्ष के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
5.	श्रम मामले***	02	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली।	दोनों याचिकाओं में आपत्तियां दर्ज की गईं।

#### वर्ष 2024-2025 के लिए मामलों का सारांश

- इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपीलीय कार्यवाही हुई है या लंबित हैं;
- इसमें भूमि अधिग्रहण मामले और ठेकेदार के पंजीकरण कार्ड शामिल हैं;
- इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद के अधिनिर्णय के लिए आरएलसी (सी) जम्मू के समक्ष सुलह की विफलता पर केन्द्र सरकार द्वारा किया गया संदर्भ शामिल है।

### 36. सूचना का अधिकार:

सीवीपीपीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 20 आरटीआई आवेदनों और 02 अपीलों का विधिवत उत्तर दिया गया है और आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा किया गया है।

#### आभार:

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल जम्मू-कश्मीर सरकार, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीएल के प्रमोटरों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिनके बिना कंपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और सहभागिता की सराहना दर्ज करते हैं, और भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करते हैं।

आपके निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग एवं निरंतर समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की सभी एजेंसियों, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की हार्दिक सराहना करता है जिन्होंने कोविड महामारी का बहादुरी से सामना किया और आवश्यक सेवाओं को चालू रखा।

आपके निदेशकगण सीवीपीपीएल में कार्यरत सभी कर्मचारियों की उनके असीम समर्पण, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए भी हार्दिक सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता/-  
सुरेश कुमार, आईएस - (सेवानिवृत्त)  
अध्यक्ष  
डीआईएन-06440021

स्थान : जम्मू  
दिनांक : 05 अगस्त, 2025

सीएस रमित राम एण्ड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव  
कार्यालय पता :- 24/4 रूप नगर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180013  
संपर्क सूत्र :- 7006124213, ई-मेल:- csrk32703 @gmail.com

फार्म सं. एमआर 3  
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट  
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुपालन में)

सेवा में,  
सदस्यगण,  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई 003321  
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,  
रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012

मैंने, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321) (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उचित कारपोरेट कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिसने मुझे कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उस अपनी राय जाहिर करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के सांविधिक रजिस्ट्रों, बही, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान सूचना, के आधार पर, मैं एतद्वारा सूचित करता हूं कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः इसमें सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा संभव सीमा तक अनुपालन तंत्र मौजूद है, और इनका पालन नीचे सूचित रीति एवं तरीके से किया गया है :

मैंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों एवं फाइल किए गए रिटर्नों और मुझे मुहैया करवाए गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है जो निम्न उपबंधों के अनुरूप हैं, और कंपनी ने नीचे उल्लेख किए गए के सिवाय उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है :-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत नियम;

**(लागू नहीं)**

(iii) डिपोजिट्री अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उपविधियां; **(लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम; **(लागू नहीं)**

**(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशा-निर्देश कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है।**

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यू और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे ) विनियम, 2014;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्युरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 (पूर्वनाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
- (च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यापार के संबंध में जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय बैक) विनियम, 2018

(vi) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य विधियों को व्यापक रूप से अनुपालन किया गया है।

मैंने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक - एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों से संबंधित) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों से संबंधित)। कंपनी ने रिपोर्ट में उल्लिखित उपबंधों को छोड़कर उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है।
- (ii) कंपनी द्वारा किया गया सूचीकरण समझौता। **(लागू नहीं)**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने आमतौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देश आदि के उपबंधों का अनुपालन किया है।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन सम्यक रूप से किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

(ग) सभी निदेशकों को बोर्ड/समिति की निर्धारित बैठकों के पूरे होने के संबंध में कम-से-कम सात दिन पूर्व उसकी पर्याप्त सूचना दी गई थी, सिवाय ऐसे मामलों में, जहां बैठकें अल्प सूचना पर आयोजित की गई थीं। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां अग्रिम तौर पर भेजी गई थीं तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करने लिए एक प्रणाली विद्यमान है। निर्णय बहुमत के आधार पर किए गए थे जबकि असहमत सदस्यों के विचार लिए गए थे और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया था।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की का अनुवीक्षण करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय विधियों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों के अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों के अनुरक्षण की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी और अन्य अभिहित वृत्तिकों द्वारा समीक्षा के अधधीन है।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएँ घटित हुईं जिनका उपरोक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा:

वर्ष 2024-25 के दौरान शेयरों के आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है :

- (i) कंपनी ने 07/05/2024 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 22,86,90,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिनका कुल मूल्य 2,28,69,00,000 रुपये है।
- (ii) कंपनी ने 07/05/2024 को जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 8,24,49,998 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिनका कुल मूल्य 82,44,99,980 रुपये है।

- (iii) कंपनी ने 07/05/2024 को जेकेएसपीडीसी के प्रतिनिधि श्री एच. राजेश प्रसाद (प्रशासनिक सचिव-जेकेपीडीडी) को 10/- रुपये मूल्य का 01 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किया, जिसका कुल मूल्य 10 रुपये है।
- (iv) कंपनी ने 07/05/2024 को जेकेएसपीडीसी के प्रतिनिधि श्री पंकज मगोत्रा (प्रबंध निदेशक-जेकेएसपीडीसी) को 10/- रुपये मूल्य का 01 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किया, जिसका कुल मूल्य 10 रुपये है।
- (v) कंपनी ने 31/07/2024 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 12,50,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए जिनका कुल मूल्य 1,25,00,00,000 रुपये है।
- (vi) कंपनी ने 09/09/2024 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 25,00,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए जिनका कुल मूल्य 2,50,00,00,000 रुपये है।
- (vii) कंपनी ने 08/10/2024 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 6,00,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिनका कुल मूल्य 60,00,00,000/- रुपये है।
- (viii) कंपनी ने 07/01/2025 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 26,23,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए जिनका कुल मूल्य 2,62,30,00,000/- रुपये है।
- (ix) कंपनी ने 07/01/2025 को जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 12,12,30,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिनका कुल मूल्य 1,21,23,00,000/- रुपये है।
- (x) कंपनी ने 29/01/2025 को जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 10/- रुपये मूल्य के 5,00,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिनका कुल मूल्य 50,00,00,000/- रुपये है।

कृते रमित माम एण्ड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव  
हस्ता./-

रमित कुमार माम  
(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 32703; सी पी सं. : 23257

फर्म पंजीकरण सं. एस2021जेके806900

पियर समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 4169/2023

यूडीआईएन : ए032703जी000662079

स्थान : जम्मू

दिनांक : 26 जून, 2025

इस रिपोर्ट को "अनुलग्नक-क" के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

सीएस रमित राम एण्ड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

कार्यालय पता :- 24/4 रूप नगर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180013  
संपर्क सूत्र :- 7006124213, ई-मेल:- csrk32703 @gmail.com

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवा में,

सदस्यगण,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई003321

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,

रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएं :

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. मैंने उन लेखा परीक्षा पद्धतियों एवं कार्य-विधियों का अनुपालन किया है जो मेरी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की शुद्धता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मुझे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी, जिन पर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया था।
3. सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर उनका सत्यापन किया गया। मैं मानता हूँ कि पद्धतियों एवं कार्य-विधियों जिनका हमने अनुसरण किया, मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमनों और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों के उपबंधों, नियमों, विनियमनों एवं मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षा आधार पर कार्यवहियों के सत्यापन की जांच तक सीमित थीं।
6. सचिवालयीन लेखा परीक्षा न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का एवं न ही उस क्षमता अथवा प्रभावात्मकता का आश्वासन है जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने मामलों का संचालन किया है।

कृते रमित राम एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

हस्ता./-

रमित कुमार राम

(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 32703; सी पी सं. : 23257

फर्म पंजीकरण सं. एस2021जेके806900

पियर समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 4169/2024

यूडीआईएन : ए032703जी000662079

स्थान : जम्मू

दिनांक : 26 जून, 2025

**फार्म संख्या एओसी-2**

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुपालन में) कंपनी अधिनियम, 2013 के तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र लेन-देनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित पक्षों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटन के लिए फार्म

**1. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर नहीं किए गए लेन देनों का विवरण :**

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार को करने का औचित्य	
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	
(छ)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	
(ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के अंतर्गत यथापेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की तिथि	

**2. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर किए गए लेन देनों का विवरण :**

(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	एनएचपीसी लिमिटेड (प्रमोटर)
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की प्रकृति	परामर्शी प्रभार, किराया और विद्युत प्रभार
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की अवधि	लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	परामर्शी प्रभार, किराया और विद्युत प्रभार (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3082.68 लाख रुपए)
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	लागू नहीं
(च)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएएस - (सेवानिवृत्त)  
अध्यक्ष

डीआईएन - 06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 05 अगस्त, 2025

अनुलग्नक-111

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर

पत्र सं. : एमएमजी-11 विंग/2025-2026/डीआईएस-2895354

दिनांक : 21 अगस्त, 2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
प्रधान कार्यालय, जम्मू।

**विषय : 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (पीआर-171540)।**

महोदय/ महोदया,

मुझे 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के समक्ष रखे जाने के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जाए।

भवदीय,  
हस्ता./-  
जगबीर सिंह  
उप महालेखाकार

संलग्नक : यथोक्त

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने जिम्मेवारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 07 मई, 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यवाही कागजात की उपलब्धता के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक जाँच तक सीमित थी।

अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं:

### क. सामान्य

क.1 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी 2.1)' के अंतर्गत दर्शाई गई 'फ्रीहोल्ड भूमि' में 2024-25 के दौरान 248.87 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यद्यपि पकल दूल जलविद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया जा चुका है, फिर भी 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पक्ष में भूमि का दाखिल-खारिज दर्ज किया जाना बाकी है, इस आशय का प्रकटीकरण अपर्याप्त है।

### घ. स्वतंत्रलेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

#### ख.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के पैरा 3 (xvii) के अनुसार, लेखापरीक्षक को यह रिपोर्ट देनी होती है कि क्या कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है और ऐसे नकद घाटे की राशि भी बतानी होती है।

हालाँकि, 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी को 2024-25 के दौरान हुए 11.66 करोड़ रुपये के नकद घाटे का खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक अपूर्ण है।

ख.2 लेखापरीक्षा मानक (एसए) 700 (संशोधित) - 'वित्तीय विवरणों पर मत बनाना और रिपोर्टिंग' की आवश्यकता के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 'वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ' शीर्षक वाला एक अलग खंड शामिल होना आवश्यक है जिसमें विवरणों में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारियों को रेखांकित

किया गया हो और इकाई की एक गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन किया गया है।

हालाँकि, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उक्त खंड शामिल नहीं है। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक अपूर्ण है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक  
एवं उनकी ओर से  
हस्ता./-  
प्रधान महालेखाकार  
जम्मू एवं कश्मीर

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
<p><b>क. सामान्य</b> क.1 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी 2.1)' के अंतर्गत दर्शाई गई 'फ्रीहोल्ड भूमि' में 2024-25 के दौरान 248.87 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यद्यपि पकल दूल जलविद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया जा चुका है, फिर भी 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पक्ष में भूमि का दाखिल-खारिज दर्ज किया जाना बाकी है, इस आशय का प्रकटीकरण अपर्याप्त है।</p>	<p>इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से टिप्पणी 2.1 में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। (प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है)</p>
<p><b>ख. स्वतंत्रलेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</b> <b>ख.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क</b> कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के पैरा 3 (xvii) के अनुसार, लेखापरीक्षक को यह रिपोर्ट देनी होती है कि क्या कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है और ऐसे नकद घाटे की राशि भी बतानी होती है। हालाँकि, 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी को 2024-25 के दौरान हुए 11.66 करोड़ रुपए के नकद घाटे का खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक अपूर्ण है।</p>	<p>सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 11.06.2025 का एक परिशिष्ट जारी किया है जिसके माध्यम से सीएजी अभिमतों के अनुपालन में संरक्षित करने के लिए उनकी दिनांक 08.04.2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 11.66 करोड़ रुपए नकदी हानि को आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। (इसकी प्रति परिशिष्ट-11 के रूप में संलग्न है)</p>
<p><b>ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट</b> <b>ख.2</b> लेखापरीक्षा मानक (एसए) 700 (संशोधित) - 'वित्तीय विवरणों पर मत बनाना और रिपोर्टिंग' की आवश्यकता के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 'वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ' शीर्षक वाला एक अलग खंड शामिल होना आवश्यक है जिसमें विवरणों में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में प्रबंधन की ज़िम्मेदारियों को रेखांकित किया गया हो और इकाई की एक गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन किया गया है। हालाँकि, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उक्त खंड शामिल नहीं है। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक अपूर्ण है।</p>	<p>सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 11.06.2025 का एक परिशिष्ट जारी किया है जिसके माध्यम से सीएजी अभिमतों के अनुपालन में संरक्षित करने के लिए उनकी दिनांक 08.04.2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी को समाहित किया गया है। (इसकी प्रति परिशिष्ट-11 के रूप में संलग्न है)</p>

टिप्पणी सं. 2.1 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

परिशिष्ट-1  
(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल वहन राशि		
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	526744890		4886.88				10154.33				0.00	10154.33	5267.45
ii)	सड़कें और पुल	5486.28418		94.75		-3.96	5577.08	782.74	186.60		969.34	4607.74	4703.55	
iii)	भवन	292642963		227.96		-8.60	3145.77	1311.29	263.72	-6.72	1568.29	1577.48	1615.12	
iv)	रेलवे साइडिंग						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	1019.87					1019.87	110.54	53.79		164.33	855.54	909.33	
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	446.14					446.14	50.99	23.56		74.55	371.59	395.15	
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	276.75		9.33			286.08	52.13	14.98		67.11	218.97	224.62	
x)	निर्माण उपकरण	1.08		0.06			1.14	0.05	0.02		0.07	1.07	1.03	
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	64.79		38.87		-0.66	103.00	7.80	2.66		10.46	92.54	56.99	
xii)	विद्युत प्रतिष्ठान						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
xiii)	वाहन	181.28			24.56		156.72	103.53	12.62	-21.10	95.05	61.67	77.75	
xiv)	विमान/नौकाएं						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	

xv)	फर्नीचर व फिक्सचर	577.70		194.02		38.06	-0.82	732.84	203.34	58.74	-5.77	256.31	476.53	374.36
xvi)	कम्प्यूटर	689.49		152.60		37.92	-0.02	804.15	401.51	124.06	-24.48	501.09	303.06	287.98
xvii)	संचार उपकरण	18.66		30.20		5.67		43.19	7.44	7.96	-0.76	14.64	28.55	11.22
xviii)	कार्यालय उपकरण	1157.98		309.85		25.86	-0.09	1441.88	403.61	104.27	-5.06	502.82	939.06	754.37
	<b>कुल</b>	<b>18113.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5944.52</b>	<b>0.00</b>	<b>132.07</b>	<b>-14.15</b>	<b>23912.19</b>	<b>3434.97</b>	<b>852.98</b>	<b>-63.89</b>	<b>4224.06</b>	<b>19688.13</b>	<b>14678.92</b>
	<b>गत वर्ष</b>	13452.81	23.88	4757.70	23.88	90.72	-5.89	<b>18113.89</b>	2720.19	739.49	-24.71	3434.97	14678.92	10732.62

टिप्पणी:-

2.1.1 (क) 31 मार्च 2025 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख:-

	तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारण की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		भूमि (38.15 हेक्टेयर)	466950146	सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का म्यूटेशन। सहायक आयुक्त राजस्व के पत्र के अनुसार, भूमि फ्रीहोल्ड है और सीवीपीपीएल (कार) को कब्जा सौंप दिया गया है।
		भवन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) 31 मार्च 2024 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख:-

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारण की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (38.15 हेक्टेयर)	466744890	सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का उत्परिवर्तन सहायक आयुक्त राजस्व के पत्र के अनुसार, भूमि फ्रीहोल्ड है और सीवीपीपीपीएल (कार) को कब्जा सौंप दिया गया है।
	भवन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2.1.2 समायोजन कॉलम के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में राज्य कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले 9% एसजीएसटी दावे और अनंतिम देनदारियों/पूंजीकरण की तुलना में अंतिम भुगतान/निपटान के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में समायोजन की राशि शामिल है।

2.1.3 पिछले जीएपी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक और संचित मूल्यहास के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुलग्नक-1 के रूप में प्रदान किया गया है।

2.1.4 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फ्री होल्ड भूमि में वृद्धि में पकल दुल जल विद्युत परियोजना के लिए दिए गए भूमि अधिग्रहण से संबंधित 4884.83 लाख रुपये शामिल हैं। भूमि का म्यूटेशन वर्तमान में संबंधित कलेक्ट्रेट में प्रक्रियाधीन है।

**परिशिष्ट-II**  
**सी.ए. विनय जामवाल**  
**-वीएके एंड एसोसिएट्स,**  
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,**  
प्रथम तल, खुल्लर मार्केट, सेक्टर-3,  
त्रिकुटा नगर, जम्मू-180020 (जम्मू और कश्मीर)  
टेलीफोन: 0191-3500119:9419190386  
ईमेल : vakjmu@gmail.com

### स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

सेवा में,

### चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यगण

हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लेखाओं पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की दिनांक 08.05.2025 की रिपोर्ट के निम्नलिखित बिंदुओं में संशोधन किए हैं।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ	मौजूदा रिपोर्ट	संशोधित रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 2	दिनांक 08.05.2025 की रिपोर्ट में ऐसा कोई पैरा नहीं है।	<p>निम्नलिखित पैरा "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ" पैरा से पहले जोड़ा गया है।</p> <p><b>वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी होने वालों का उत्तरदायित्व</b></p> <p>कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है।</p> <p>इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।</p> <p>वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।</p> <p>निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।</p>

<p>स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध 'क' का बिंदु संख्या (xvii)</p>	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, और हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि कंपनी को वित्तीय वर्ष में नकद हानि हुई है और कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं हुई है।</p>	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, और हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि कंपनी को वित्तीय वर्ष में 11.66 करोड़ रुपये की नकद हानि हुई है। (12.48 करोड़ रुपए, 0.82 करोड़ रुपए (गैर-नकद व्यय होने के चलते मूल्यहास)) और कंपनी को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।</p>
---	--	--

वी.ए.के. एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 019636एन

हस्ता./-

सी.ए. विनय जामवाल

साझेदार

सदस्यता संख्या: 502417

**फॉर्म एमजीटी - 9**

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक उद्धरण का सार**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

**I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे**

(i)	सीआईएन (कंपनी अधिनियम संख्या)	:	यू40105जेके2011जीओआई003321
(ii)	पंजीकरण की तारीख	:	13/06/2011
(iii)	कंपनी का नाम	:	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	:	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/ भारत गैर-सरकारी कंपनी
(v)	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	:	चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, 180012-जम्मू-कश्मीर
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	:	नहीं
(vii)	रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो	:	लागू नहीं

**II. कंपनी के प्रधान व्यापार क्रियाकलाप**

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को बताया जाए

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद और सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	जलविद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा (जल विद्युत) का उत्पादन	35101	100

**III. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण**

क्रमांक	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक / सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू खंड
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

**IV. शोयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शोयर पूंजी ब्यौरा)**

**- श्रेणी-वार शोयरधारिता**

शोयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2024 को धारित शोयरो की संख्या				वर्ष के अंत में 31.03.2025 को शोयरो की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शोयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शोयर का %	
<b>क. प्रमोटर</b>									
<b>भारतीय</b>									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	शून्य	5	5	0.00	-	7	7	0.00	शून्य
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार (रौं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	4450341281	4450341281	100	NIL	5630011279	5630011279	100	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप योग (क) (1) :-</b>	शून्य	4450341286	4450341286			5630011286	5630011286	100	शून्य
<b>(2) विदेशी</b>	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप योग (ख) (1) :-</b>		शून्य							
<b>प्रमोटर की कुल शोयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)</b>	-	4450341286	4450341286	100	शून्य	5630011286	5630011286	100	शून्य
<b>ख. सार्वजनिक शोयरधारिता</b>									
<b>1. संस्थान</b>		शून्य							
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रौं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप - योग (ख)(1) :-</b>		शून्य							
<b>2. गैर - संस्थान</b>		शून्य							
क) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशों में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपये तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप - योग (ख)(2): -</b>	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) + (ख)(2)</b>	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>सकल योग (क+ख+ग)</b>	-	4450341286	4450341286	100	शून्य	5630011286	5630011286	100	शून्य

**(ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता**

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में% परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत	
01.	जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2046229999	45.98	शून्य	जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2299909997	40.85	शून्य	(-5.13)
02.	रजत गुप्ता (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	रजत गुप्ता (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
03.	एनएचपीसी लिमिटेड	2404111282	54.02	शून्य	एनएचपीसी लिमिटेड	3330101282	59.14	शून्य	5.12
04.	सुरेश कुमार (जेकेएसपीडीसीएल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	सुरेश कुमार (जेकेएसपीडीसीएल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
05.	राज कुमार चौधरी (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	रजनीश अग्रवाल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
06.	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
07.	उदय शंकर साही (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	नरेन्द्र कुमार (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
					एच. राजेश प्रसाद (प्रशासनिक सचिव, जेकेपीडीडी)	1	0.00	शून्य	शून्य
					पंकज मगोत्रा (एमडी - जेकेएसपीडीसी)	1	0.00	शून्य	शून्य
								शून्य	शून्य
	<b>कुल शेयर</b>	4450341286	<b>100</b>	शून्य		5630011286	<b>100</b>	शून्य	शून्य

**(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें)**

क्रम सं.	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	4450341286	100
	वर्ष के अंत में	4450341286	100
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	वर्ष 2024-25 के दौरान जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 253682536800000 रुपये और एनएचपीसी लिमिटेड को 9259900000 रुपये के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों का आवंटन। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल अतिरिक्त आवंटन : 11796700000 रुपए (10/- रुपए प्रत्येक के 1179670000 इक्विटी शेयर)।	

**(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर और एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)**

क्रम सं.	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शून्य	
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	शून्य	
	वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हो गए हों)		

**(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता**

क्रम सं.	निदेशक और केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2024 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2024 से 31.03.2025 तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
<b>क</b>	<b>निदेशक</b>				
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	1		1	
2.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	-		1	
3.	श्री संतोष डी. वैद्य, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	-		-	
4.	श्री संजय कुमार सिंह (एनएचपीसी की ओर से)	1		1	
5.	श्री विजय कुमार सिन्हा (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
6.	श्री रमेश मुखिया (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
7.	श्रीमती मधुस्मिता पानी (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
<b>ख.</b>	<b>केएमपी</b>				
1.	श्री रमेश मुखिया (प्रबंध निदेशक)	-		-	
2.	श्री सुधीर आनंद (कंपनी सचिव)	-		-	

## V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज किंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
<b>वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता</b>	शून्य	शून्य	शून्य	
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
<b>कुल (i+ii+iii)</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>-</b>
<b>वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन</b>	-	-	-	-
* वर्धन	-	-	-	-
* कमी	-	-	-	-
<b>निवल परिवर्तन</b>	-	-	-	-
<b>वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता</b>				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
<b>कुल (i+ii+iii)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ प्रबंधक निदेशक का नाम - श्री रमेश मुखिया (01.04.2024-31.03.2025)	कुल राशि रुपए में	
1.	सकल वेतन	-	-	-
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन*	80,19,311		80,19,311
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	2,67,048		2,67,048
	ग) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-
2.	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	शून्य
3.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
4.	स्वीट इक्विटी	-	-	शून्य
5.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	(नियोक्ता से पीएफ अंशदान) - अन्य, निर्दिष्ट करें...	-	-	-
6.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	8,43,929		8,43,929
	कुल (क)	91,30,288		91,30,288
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं	-	लागू नहीं

\* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में उस अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार भुगतान किया गया निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी), उपदान और अर्जित अवकाश नकदीकरण शामिल है।

\*\* अन्य में ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और नियोक्ता द्वारा पेंशन फंड में अंशदान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गैर-करयोग्य) आदि शामिल हैं, जिन्हें बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

## (ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/ डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि			
1.	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	शून्य
	* बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने	-	-	-	-	शून्य

के लिए शुल्क					
* कमीशन	-	-	-	-	शून्य
* अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	शून्य
					शून्य
कुल (1)	-	-	-	-	शून्य
2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	<b>सुरेश कुमार (अध्यक्ष)</b>	-	-	-	शून्य
बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	शून्य
कमीशन	-	-	-	-	शून्य
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	शून्य
- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	शून्य
* अन्य (निर्दिष्ट करें...।	24,41,287	-	-	-	24,41,287
कुल (2)		-	-	-	-
कुल (ख) = (1+2)	24,41,287	-	-	-	24,41,287
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	24,41,287	-	-	-	24,41,287
अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	-	-	-	-	शून्य

\* पारिश्रमिक 01.04.2024 से 31.03.2025 (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी सहित)

**ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए पारिश्रमिक**

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
		कंपनी सचिव (सुधीर आनंद)		कुल
1.	सकल वेतन		-	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	26,48,005	-	26,48,005
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	68,664	-	68,664
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	शून्य
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
3.	स्वीट इकिटी	-	-	शून्य
4.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	- अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें*	2,70,969	-	2,70,969
	<b>कुल</b>	<b>29,87,638</b>	<b>-</b>	<b>29,87,638</b>

\* अन्य में अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना अंशदान आदि शामिल हैं, जो बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं थे।

**VII. शास्ति/दण्ड/अपराधों का शमन**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति/दण्ड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
<b>क. कंपनी:</b>					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
<b>ख. निदेशक</b>					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
<b>ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी</b>					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				

स्थान : जम्मू

दिनांक : 05.08.2025

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
हस्ता./-  
सुरेश कुमार, आईएएस,  
(सेवानिवृत्त)  
अध्यक्ष  
डीआईएन- 06440021

# चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट  
(वित्तीय वर्ष 2024-25)

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट  
(वित्तीय वर्ष 2024-25)

## 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

सीवीपीपीएल वर्ष 2017 से अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति के माध्यम से अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीएल के बोर्ड ने 12/12/2017 को हुई अपनी 37वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

### नीति की मुख्य विशेषताएं:

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा। चूंकि सीवीपीपीएल की परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन अभी प्रारंभ होना है सीवीपीपीएल में लाभ मुख्यतः एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज से आता है।

कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

एक जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है।

सीवीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

**सीवीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):**

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00
2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00 *	3,11,627.00
2022-23	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,13,210.00**	29,66,074.00***
2023-24	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	34,57,000.00#	24,97,711.00##
2024-25	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	46,88,047.00	43,15,883.00###
	<b>कुल</b>	<b>2,01,40,581.00</b>	<b>1,75,88,168.00</b>

\* वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये के समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 25,29,757.00 रुपये था।

\*\* वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 22,13,210.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये घटाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 20,93,137.00 रुपये था।

\*\*\* इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 20,65,195.00 रुपये का व्यय, प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित 27,942.00 रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों (चल रही परियोजनाओं) पर व्यय किए गए 8,72,937.00 रुपये शामिल हैं।

# वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 34,57,466.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये के योग से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 33,37,392.00 रुपये था।

## इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 14,70,000.00 रुपये का व्यय, प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित 5,000.00 रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों (चल रही परियोजनाओं) के लिए 10,22,711.00 रुपये का व्यय शामिल है।

### इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 19,88,047.00 रुपये का व्यय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 के चालू सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति व्यय किए गए 19,80,990.00 रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त शेष राशि से जारी सीएसआर गतिविधियों के लिए 3,46,846.00 रुपये का व्यय शामिल है।

सीवीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :

वर्ष	व्यय (रुपये में)						कुल
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	केन्द्रीय सरकारी निधियों में अंशदान	
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00	0.	0.00	0.00	6,98,460.00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00	0.	0.00	0.00	12,39,820.00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00	0.00	13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00	0.	1,99,240.00	0.00	42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00	0.	0.00	0.00	3,11,627.00
2022-23	0.00	29,38,132.00	0.00	0.00	0.00	27,942.00	29,66,074.00
2023-24	0.00	24,92,711.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,97,711.00
2024-25	0.00	39,69,037.00	0.00	0.00	0.00	3,46,846.00	43,15,883.00
कुल	36,92,979.00	1,28,16,125.00	1,24,125.00	1,76,229.00	3,98,922.00	3,79,788.00	1,75,88,168.00

**वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यान्वित सीएसआर गतिविधियाँ:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को सीवीपीपीएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 48,37,951.00 रुपये (अड़तालीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ इक्यावन रुपये मात्र) के अनुमानित परिव्यय के साथ निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिन्हें सभी संहिताबद्ध औपचारिकताओं और दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' के अनुपालन में सीवीपीपीएल परियोजनाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सीधे लागू किया जाना था।

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	गतिविधियां क्रियान्वित करने वाले का नाम	गतिविधि की अनुमानित लागत (₹.)
1	चिकित्सा उपकरण/ प्रयोगशाला उपकरण/स्वास्थ्य/पोषण सप्लीमेंट/ अन्य संबंधित उपकरण/ उपस्कर प्रदान करना *	पकल दुल जल विद्युत परियोजना	18,54,500.00
		किरु जल विद्युत परियोजना	14,49,904.00
		कार जल विद्युत परियोजना	14,00,000.00
2	चिकित्सा शिविर का आयोजन	पकल दुल जल विद्युत परियोजना	1,33,547.00
<b>कुल</b>			<b>48,37,951.00</b>

उपरोक्त सीएसआर गतिविधियों को प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यान्वयन हेतु एक वर्षीय गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसमें चिकित्सा उपकरण/प्रयोगशाला उपकरण/स्वास्थ्य/चिकित्सा सप्लीमेंट की खरीद शामिल थी, जिसमें चिकित्सा उपकरणों के विनिर्देश संबंधित क्षेत्र के प्रशासन के सीएमओ स्तर के एक अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने थे। इसके अलावा, चिकित्सा उपकरण/दवाओं और स्वास्थ्य सप्लीमेंटों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पूरा होने में उचित समय लगता है। समय-लगने वाली प्रक्रियाओं के शामिल होने के कारण, किरु और कार एचईपी की उपर्युक्त सीएसआर गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2024-25 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं।

बाद में, बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति/प्रगति की समीक्षा की और किरु एवं कार जल विद्युत परियोजनाओं की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समयावधि में विस्तार को मंजूरी दी और इस प्रकार इन गतिविधियों को निधियों के वर्ष-वार पुनर्आवंटन के साथ चालू सीएसआर गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया। 48,37,951.00 रुपये के आवंटित बजट में से 19,88,047.00 रुपये की राशि व्यय की गई है और किरु एवं कार जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में 28,49,904.00 रुपये की अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की निर्दिष्ट समयावधि के भीतर "वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीवीपीपीएल अव्ययित सीएसआर खाते" में स्थानांतरित कर दिया गया है। अव्ययित राशि को लागू सीएसआर मानदंडों और सीवीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसार, अनुमोदित निर्धारित समयावधि के भीतर खर्च किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 में "वित्त वर्ष 2023-24 की चालू सीएसआर गतिविधियों" पर "वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते" से 19,80,990.00 रुपये का व्यय भी किया गया। "वित्तीय वर्ष 2023-24 की चालू सीएसआर गतिविधियों" से 1,010.00 रुपये की शेष अव्ययित राशि को कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2021 के तहत नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 30 सितंबर, 2025 को जमा किया जाएगा।

पकल टूल, किरु और कार एचईपी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएसआर गतिविधि के कार्यान्वयन के चित्र **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं और गतिविधियों की समाचार पत्र क्लिपिंग **परिशिष्ट-2** के रूप से दी गई है। अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन की परियोजना स्तर पर गठित विभागीय निगरानी समितियों और सीवीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में नोडल अधिकारी (सीएसआर) द्वारा विधिवत निगरानी की गई थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है।

## 2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता सीवीपीपीएल पर लागू नहीं होती है और इस प्रकार सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन सीवीपीपीएल के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

बोर्ड की एक सीएसआर समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, सीवीपीपीएल के सीएसआर कार्यों की देखरेख कर रही है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप
1.	श्री एच राजेश प्रसाद, आईएएस	अध्यक्ष (नामिति निदेशक)
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य (नामिति निदेशक)
3.	श्री रमेश मुखिया	सदस्य (प्रबंध निदेशक)

## 3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :

सीएसआर नीति और अन्य ब्यौरों को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):

लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ :

बावजूद इसके कि मुख्य गतिविधियों से कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि सीवीपीपीएल की परियोजनाओं का वाणिज्यिक परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है, सीवीपीपीएल में लाभ मुख्य रूप से एफडीआर (23,44,02,350.00 रुपये) पर अर्जित ब्याज पर आधारित है।

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: 46,88,047.00 रुपये

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष :

शून्य रूपए

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अभीष्ट राशि, यदि कोई हो:

शून्य रूपए

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व (ख)+(ग)-(घ)):

46,88,047.00 रुपये

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) :

43,15,883.00 रूपए (वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग)) : 43,15,883.00

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च की गई) अथवा अव्ययित (खर्च न की गई) सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित कुल राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
39,69,037.00	28,49,904.00	29/04/2025	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	3,46,846.00	27/09/2024

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	लागू नहीं

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का ब्योरा:

1	2	3	4	5	6			7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (रुपये में)			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि		
1	2021-22	22,42,494.00	3,46,846.00	-	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	3,46,846/-	27/09/2024 को अंतरित की गई	-	-
2	2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2023-24	19,82,000.00	1,010.00	19,80,990.00	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	1,010/-	30/09/2025 को अंतरित कर दी गई	-	-

### 8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रदान करें।

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थल)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिन कोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	निकाय/प्राधिकारी/पंजीकृत स्वामी के लाभार्थी का ब्यौरा		
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए गए अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए, प्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और साथ ही अचल संपत्ति और सीमाओं का क्षेत्र भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

एनए: लागू नहीं

### 9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसके कारण निर्दिष्ट करें:

परियोजनाओं का व्यावसायिक संचालन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सीवीपीपीएल की मुख्य गतिविधियों से कोई लाभ नहीं हुआ है। हालांकि, परियोजना क्षेत्र के स्थानीय लोगों की साख बनाने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, सीवीपीपीएल अपनी सावधि जमा प्राप्तियों (एफडीआर) पर ब्याज से अर्जित लाभ का उपयोग करते हुए सीएसआर गतिविधियों में संलग्न रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण/दवाएँ एवं स्वास्थ्य सप्लीमेंट/अन्य संबंधित उपकरणों आदि की खरीद शामिल थी, जहाँ चिकित्सा उपकरणों के विनिर्देश संबंधित क्षेत्र के प्रशासन के सीएमओ स्तर के एक अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने थे। इसके अलावा,

खरीद और निविदा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा होने में भी समय लगता है। इस प्रकार, किरु और कार जल विद्युत परियोजनाओं की सीएसआर गतिविधियों को निर्धारित समय-सीमा अर्थात 31.03.2025 तक पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को सीवीपीपीएल बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है और कार्यान्वयन अनुसूची में विस्तार के साथ गतिविधि को गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया गया है।

हस्ता/-

एच. राजेश प्रसाद, आईएस  
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

हस्ता/-

रमेश मुखिया  
प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीएल

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीवीपीपीएल में की गई सीएसआर गतिविधियों के चित्र

परियोजना : पकल दुल जल विद्युत परियोजना



सीएसआर योजना 2024-25 के अंतर्गत 25-03-2025 को पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा आदर्श बाल निकेतन एचएस स्कूल किशतवाड़ को स्वास्थ्य देखभाल सामग्री सौंपा जाना



सीएसआर योजना 2024-25 के अंतर्गत 25-03-2025 को पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा इस्लामिया फरीदिया स्कूल किशतवाड़ को स्वास्थ्य देखभाल सामग्री सौंपा जाना



सीएसआर योजना 2024-25 के अंतर्गत 26-03-2025 को पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा पीएचसी दच्छन को प्रयोगशाला उपकरण सौंपा जाना



सीएसआर योजना 2024-25 के अंतर्गत 25-03-2025 को पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा पीएचसी चतरू को एक्स-रे मशीन सौंपा जाना



सीएसआर योजना 2024-25 के अंतर्गत 24-03-2025 को पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा गांव दुल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर

**परियोजना : किरु जल विद्युत परियोजना**



**वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही सीएसआर गतिविधि के तहत किरु जल विद्युत परियोजना द्वारा जिला प्रशासन, किशतवाड़ को दवाएं, स्वास्थ्य सप्लीमेंट और जैव-रसायन विश्लेषक सौंपना**



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के अंतर्गत किरू एचईपी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-किरू, किश्तवाड़ के लिए जिला चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य/पोषण सप्लीमेंट सौंपा जाना

परियोजना: ऋार जल विद्युत परियोजना



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत ऋार जल विद्युत परियोजना द्वारा जिला अस्पताल, किश्तवाड़ को एक्स-रे के लिए कम्प्यूटरीकृत रेडियोग्राफी प्रणाली सौंपा जाना

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएसआर कार्यक्रमों की मीडिया कवरेज



दिनांक 10.11.2024 का राइजिंग कश्मीर समाचार पत्र

## ڈیٹی کمشنر کے ہاتھوں ضلع ہسپتال کشتواڑ میں

# ایکس رے کیلئے کمپیوٹرائزڈ ریڈیو گرافی سسٹم کا افتتاح

سکتا ہے۔ جدید ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ نظام نہ صرف تصویر کے معیار کو بہتر بناتا ہے بلکہ مریض کے تابکاری اثرات کو بھی کم کرتا ہے۔ جس سے یہ مریضوں اور طبی عملے دونوں کے لیے ایک محفوظ، زیادہ موثر آپشن بنتا ہے۔ ڈی ڈی کشتواڑ نے طبی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور کشتواڑ اور آس پاس کے علاقوں کے رہائشیوں کو معیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے کے انتظامیہ کے عزم پر زور دیتے ہوئے کہا، "اس سی آر سسٹم کی تنصیب سے ہماری تشخیصی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مریضوں کو بروقت اور // 506



ذمہ داری (CSR) اور پائیدار سرگرمی 2023-24 کے تحت KWAR (CVPPPL HEP) کی طرف سے ہسپتال کو جدید ترین سہولت فراہم کی گئی تھی۔ ریڈیولاجی خدمات کو ایک اپ گریڈ کیا گیا، جس سے OPD مریضوں کے لیے تشخیصی عمل کو ہموار کرنے کے لیے تیز اور زیادہ درست امیجنگ کو قابل بنایا جا

کشتواڑ // ضلع میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو بڑھانے کی سمت میں ایک اہم قدم کے طور پر، ڈیٹی کمشنر ایش کمار شاوان نے ہفتہ کو ڈسٹرکٹ ہسپتال کشتواڑ کے آؤٹ پشٹنٹ ڈیپارٹمنٹ (اوپنی ڈی) میں ایکس رے امیجنگ کے لیے کمپیوٹرائزڈ ریڈیو گرافی (سی آر) سسٹم کا افتتاح کیا۔ کارپوریٹ سماجی

ڈی پی او نے مشن

آنگن واڑی مرا

UDAAN

ڈی ڈی

ہمہ گیر تر



other case was reported involving a missing of minor child, name withheld son of Ramesh Kumar, originally from Kishtwar and currently residing at Toph Sherkhania, Jammu. An FIR No. 152/2024 under Section 137(2) BNSS was also lodged at Police Station Bakshi Nagar.

The Jammu Police, displaying a high level of diligence and coordination, consists of multiple specialized teams

and dynamic leadership of SSP Jammu.

The exemplary dedication demonstrated by the Jammu Police in these cases not only reflects our commitment to ensuring the safety and well-being of our community but also strengthens our

## Fire & Fury Signaller

### EARLY TIMES REPORT

LEH, Nov 9: This Diwali, in a heartwarming initiative to bring light to the lives of underprivileged children in Ladakh, the Fire & Fury Signallers renewed their commitment to empowering local youth. Under the ambit of the scheme, a, scholarships are provided to needy students, enabling them to pursue education at prestigious schools (APS) in Beas.

EARLY TIMES

# Computed Radiography System for X-Ray inaugurated

EARLY TIMES REPORT

KISHTWAR, Nov 9: Chenab Valley Power Projects Ltd. (CVPPL) has reaffirmed its commitment to enhancing healthcare facilities and fulfilling its social responsibility by inaugurating the "Computed Radiography System for X-Ray" at the District Hospital Kishtwar. The system, which will greatly improve diagnostic capabilities, was formally inaugurated by Rajesh Kumar Shavan, Deputy Commissioner of Kishtwar, on 9th November 2024.

The handover ceremony was conducted by Shashi Kant Giri, Head of Project, Kwar Hydro Electric Project, under the Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainable Activity initiative of CVPPL. The event was attended by Dr. Rajinder Kumar, Chief Medical Officer of Kishtwar, Dr. Yudhvir Singh Kotwal, Medical Superintendent of DHK, and other key officers.

During the event, Rajesh Kumar Shavan and Shashi Kant Giri engaged in discussions about upcoming CSR activities and other de-



DC Kishtwar inaugurates X-Ray CR System at District Hospital.

velopmental works planned for the region, emphasizing their ongoing commitment to the welfare of the local community.

This initiative is a part of CVPPL's ongoing efforts to improve healthcare infrastructure and support sustainable development in the Chenab Valley region.

## Bal

EARLY TI

JAMMU Station has success case involving wheelers worth Rs.

Two were lodged regarding leading FIRs No. under Section 144 CrPc. The interested student of Sahil Yadav of Bugar leadership and with SDPO Ch police vehicles—8 and JKC accused.

# Akhnoor MLA Mohan Lal welcomed by supporters

EARLY TIMES REPORT

AKHNOOR, Nov 9: Akhnoor MLA

commitment to the vision of Prime Minister Narendra Modi, emphasizing that Article 370, which grants spe-

# SSP Ka DGPs,

EARLY TIMES REPORT

दिनांक 10.11.2024 का अर्ली टाइम्स समाचार पत्र

## Inauguration of Computed Radiography System for X-Ray at District Kishtwar Hospital

HIMALAYAN MAIL NEWS  
JAMMU, NOV 09

Chenab Valley Power Projects Ltd. (CVPPL) is committed for providing enhanced facilities by maintaining a trust to social responsibility and improvement of society with the responsibility towards social cause and upliftment. Continuing with the responsibility towards social cause, today on 09th November 2024, Rajesh Kumar Shavan, Dy. Commissioner - Kishtwar inaugurated the "Computed Radiography System for X-Ray" at District Hospital Kishtwar handed over by Shashi Kant Giri, Head of Project, Kwar H.E. Project under CSR & Sustainable Activity. The event was also graced by the Dr. Rajinder Kumar, Chief Medical Officer, Kishtwar,



Dr. Yudhvir Singh Kotwal Medical Superintendent DHK and other officers. Rajesh Kumar Shavan,

Dy. Commissioner - Kishtwar and Shashi Kant Giri, Head of Project, Kwar H.E. Project, also had progres-

sive discussion related to the upcoming CSR Activities and other developmental works.

## ASCOMS Hospital hosts Pre-Conference Workshop for DIAGNOSTICON'25

HIMALAYAN MAIL NEWS  
JAMMU, NOV 09

ASCOMS & Hospital, in collaboration with the Consortium of Accredited Healthcare Organisations (CAHO), successfully organized a pre-conference workshop for DIAGNOSTICON'25 on 8th November 2024, Friday at the ASCOMS Auditorium. The workshop, held with the aim of enhancing knowledge on healthcare accredi-



Governing Body), Dr. Bella Mahajan (HOD, Microbiology) and senior faculty

healthcare institutions. Dr. Malini R. Capoor (VMMC & SJH, Delhi) discussed "Bio-

(VMMC & Safdarjung Hospital, Delhi) covered "Care of Patients". Dr. Neelam

दिनांक 10.11.2024 का हिमालयन मेल समाचार पत्र


# DH Kishtwar gets Computerized Radiography System for X-Ray

NIN NEWS SERVICE  
KISHTWAR, NOV 09

In a significant step towards enhancing healthcare services in the district, Deputy Commissioner Rajesh Kumar Shavan on Saturday inaugurated a Computerized Radiography (CR) System for X-ray imaging at the Outpatient Department (OPD) of District Hospital Kishtwar.

The advanced facility was provided to the Hospital by KWAR HEP (CVPPL) under Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainable Activity 2023-24.

The newly inaugurated system, with an estimated cost of Rs 10 lakh, represents an upgrade in radiology services, enabling faster and more accurate imaging to streamline diagnostic



processes for OPD patients. By utilizing advanced digital technology, the system not only enhances image quality but also reduces patient exposure to radiation, making it a safer, more efficient option for both patients and medical

personnel. The DC Kishtwar emphasized the administration's commitment to improve medical infrastructure and providing quality healthcare services to residents of Kishtwar and

surrounding areas, stating, "The installation of this CR system will significantly enhance our diagnostic capabilities, ensuring that patients receive timely and precise care."

The Computer Radiography System is expected to serve hundreds of patients monthly, reducing the load on existing facilities available thereby providing a reliable and accessible option for essential diagnostic imaging.

The CVPPL Kwar HEP has put in an order of another Rs.70 lakh equipment for the Hospital.

The inauguration was conducted in the presence of Shashi Kant Giri, HOP KWAR, HEP CVPPL Kishtwar; Dr. Rajinder Kumar, CMO Kishtwar; Dr. Yudhvir Singh Kotwal, MSDH Kishtwar and other hospital staff.

# DDC Reasi reviews performance of RDD

## Suspends salary of entire staff till furnishing of progress report

NIN NEWS SERVICE  
REASI, NOV 09  
District Development  
Commissioner (DDC)



nps  
ber  
The  
per-  
hsil  
cer,  
ou-  
hsil  
ian-  
d a  
acu-  
en-

and disabled  
Following them to receive cus-  
tomized assistance. Following  
the thorough verification  
of documents, beneficiaries  
will be provided with assis-  
tive devices tailored to their  
requirements ensuring they  
can lead a m  
and indepen  
Under t  
Vayoshri Yoj  
tal of 180 seni  
enrolled for t

cluded today, November 9  
2024.

Staff from ALIMCO, along  
with Staff of the Social Wel-  
fare Department, worked  
tirelessly to assist beneficiar-  
ies at every step of the  
support was

population, ensu  
are recognized and provided  
with necessary resources to  
improve their quality of life.

The District Social Welfare  
Officer Doda Tariq Qazi has  
reiterated his commitment  
to providing all necessary as-  
sist and support to the  
persons with Disabil-  
ing that their wel-  
is a top priority

THE NEWS NOW

## DH Kishtwar gets Computerized Radiography System for X-Ray



### ■ TNN BUREAU

**KISHTWAR:** In a significant step towards enhancing healthcare services in the district, Deputy Commissioner (DC) Rajesh Kumar Shavan on Saturday inaugurated a Computerized Radiography (CR) System for X-ray imaging at the Outpatient Department (OPD) of District Hospital Kishtwar.

The advanced facility was provided to the Hospital by

KWAR HEP (CVPPL) under Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainable Activity 2023-24.

The newly inaugurated system, with an estimated cost of Rs 10 lakh, represents an upgrade in radiology services, enabling faster and more accurate imaging to streamline diagnostic processes for OPD patients.

By utilizing advanced digital technology, the system not only enhances image quality but also reduces pa-

tient exposure to radiation, making it a safer, more efficient option for both patients and medical personnel.

The DC Kishtwar emphasized the administration's commitment to improve medical infrastructure and providing quality healthcare services to residents of Kishtwar and surrounding areas, stating, "The installation of this CR system will significantly enhance our diagnostic capabilities, ensuring that patients receive timely and precise care."

The Computer Radiography System is expected to serve hundreds of patients monthly, reducing the load on existing facilities available thereby providing a reliable and accessible option for essential diagnostic imaging. The CVPPL Kwar HEP has put in an order of another Rs.70 lakh equipment for the Hospital.

दिनांक 10.11.2024 का न्यूज नाऊ समाचार पत्र

## پکل ڈول ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ نے

# محکمہ صحت و اسکولوں کو سی آر سسٹم اور طبی آلات فراہم کئے



بابر فاروق

کشتواڑ//سی وی پی پی ایل پکل ڈول ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کشتواڑ نے محکمہ صحت و خاندانی بہبود کشتواڑ، اسلامیہ فریدیہ ہائر سیکنڈری اسکول کشتواڑ و آرڈر بل و دی ایجنٹن اسکول کو 11.65 لاکھ روپے کی لاگت سے طبی اور لیبارٹری آلات فراہم کیے۔ یہ اقدام سی ایس آر پلان 2024 کے تحت کیا گیا۔ بلاک میڈیکل آفیسر چھاترو ڈاکٹر صاحب نے سی وی پی پی ایل کے میڈیکل ڈائریکٹر میس ملکھیہ اور ویشال

کی۔ اسلامیہ فریدیہ ہائر سیکنڈری اسکول کشتواڑ کے پرنسپل محبوب قصابی نے اسکول کے ڈپنٹری کے لیے طبی آلات فراہم کرنے پر سی وی پی پی ایل کی کوششوں کو سراہا۔ اسی طرح آرڈر بل و دی ایجنٹن اسکول // 504

آئندہ ہیڈ آف پروجیکٹ پکل ڈول ایچ ای پی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کمپنیو ٹیڈ ریڈیو گرافی سسٹم فراہم کیا، جس سے ڈیجیٹل امیجنگ میں سہولت میسر ہوگی۔ اس مشین کی فراہمی سے مقامی مریضوں بہتر سہولیات فراہم کی جائے

## CVPPL Pakal Dul Hydroelectric Project Organizes Free Medical Camp in Kishtwar



**BABER FAROOQ  
KISHTWAR, MAR 24**

In a significant initiative towards community welfare, CVPPL Pakal Dul Hydroelectric Project Kishtwar organized a free medical camp today for the residents of Arzi, Kwar, Dool, Cherji, and Tanji villages. The camp

was inaugurated by Prabhat Kumar, GM Power House, in the presence of a large gathering of local people. This medical camp is part of the Corporate Social Responsibility (CSR) Plan 2024-25 of CVPPL. A dedicated team of three doctors, including one female doctor, provided free medical consultations and distrib-

uted medicines to over 200 patients, including 85 women. The camp continue till late evening ensuring that more local residents, especially the elderly and women, receive necessary medical care. The local community expressed immense gratitude towards Vishal Anand, General Manager & Head of Project, and senior officials of Pakal Dul Project, for organizing the medical camp. Residents of Arzi, Kwar, Dool, Cherji, and Tanji villages appreciated CVPPL's efforts, acknowledging the significant health benefits this initiative provided to the people of the region. They also expressed their hope for more such welfare programs in the future. CVPPL remains committed to the well-being of local communities and will continue to undertake initiatives that positively impact the lives of people in the project-affected areas.

# CVPPL donates medical equipment to Health dept

## NL CORRESPONDENT

Kishtwar: CVPPL's Pakal Dul Hydroelectric Project (Kishtwar) has donated medical and laboratory equipment worth Rs. 11.65 lakhs to several institutions under its Corporate Social Responsibility (CSR) Plan for 2024-25. The donations were made to the Health & Family Welfare Department Kishtwar, Islamia Faridia Higher Secondary School, and Adarsh Bal Vidya Niketan, with the aim of improving healthcare and educational facilities in the region.

The donation includes a Computed Radiography System, which was handed over to the Health Department to meet the urgent radiography needs of local patients, reducing their need to travel long distances for such services. BMO Dr. Saima Agoo expressed her

gratitude towards CVPPL's Managing Director Ramesh Mukhiya and Vishal Anand, HoP Pakal Dul HEP, for the contribution.

Mehboob Kazi, Principal of Islamia Faridia Higher Secondary School, praised CVPPL for enhancing the school's dispensary with vital medical equipment, while Rajesh Sharma, Principal of Adarsh Bal Vidya Niketan, acknowledged the continued support from CVPPL in the school's development.

CVPPL also plans to allocate approximately Rs. 50 lakhs in the current fiscal year for various health and nutrition activities under its CSR initiatives in Kishtwar. Vishal Anand thanked the DC Kishtwar and CMO Kishtwar for their unwavering guidance and support in implementing these CSR projects.

shared natural heritage. The occasion was graced by well-being go hand in hand.

## COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM & MEDICAL EQUIPMENTS PROVIDED TO HEALTH DEPT. KISHTWAR & SCHOOLS BY CVPPL

KISHTWAR | 25 March 2025

CVPPL Pakal Dul Hydroelectric Project Kishtwar provided Medical and Laboratory equipment to Health & Family Welfare Department Kishtwar, Islamia Faridia Higher Secondary School and Adarsh Bal Vidya Niketan in Kishtwar with the cumulative cost of Rs. 11.65 lakhs under CSR Plan 2024-25. BMO, Dr. Saima Agoo, profusely thanked Managing Director CVPPL, Ramesh Mukhiya, and Vishal Anand, HoP Pakal Dul HEP for providing a Computed Radiography System to facilitate digital imaging. This machine will meet the emergent requirement of local patients who had to travel long distances for Radiography requirements. Principal IFHS School, Mehboob Kazi praised the efforts of the CVPPL for providing medical equipment to the school's Dispensary. Rajesh Sharma Principal ABN School acknowledged the continuous efforts of CVPPL in the growth and development of School.



CVPPL would be spending an amount of approximately Rs. 50 Lakhs under CSR Plans during the current FY on various Health and Nutrition related activities in Kishtwar. Vishal Anand thanked DC Kishtwar and CMO Kishtwar for their consistent guidance and support in implementing CSR Activities.

अनुलग्नक - 2

**विषय : कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रमाण-पत्र।**

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि सीवीपीपीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएसआर क्रियाकलापों पर 36,69,037 रुपये (उनचालीस लाख उनहत्तर हजार सैंतीस रुपए मात्र) की राशि का उपयोग सीवीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

परियोजना का नाम	चल रही परियोजना			चल रही परियोजना के अतिरिक्त			वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रयुक्त कुल राशि (रुपए)
	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल आवंटित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	
पकल दुल एचईपी	2,46,018	-	2,46,018	-	19,88,047	19,88,047	22,34,065
किरु एचईपी	1,00,828	9,82,000	10,82,828	-	14,49,904	-	10,82,828
कार एचईपी	-	10,00,000	9,98,990	-	14,00,000	-	9,98,990
<b>कुल</b>	<b>3,46,846</b>	<b>19,82,000</b>	<b>23,27,836#</b>	<b>-</b>	<b>48,37,951</b>	<b>19,88,047</b>	<b>43,15,883</b>

दिनांक : 17 जून, 2025

हस्ता./-  
वित्त प्रमुख  
निगम मुख्यालय, सीवीपीपीएल



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) -  
180012

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

### I. उद्योग संरचना और विकास

भारत भाग्यशाली है कि उसे कोयला, जलविद्युत, यूरेनियम/थोरियम और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विविध प्रकार के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत प्राप्त हैं। इनमें से, जलविद्युत एकमात्र नवीकरणीय संसाधन है जिसे ऐतिहासिक रूप से इसकी आर्थिक व्यवहार्यता, प्रचालनात्मक लचीलेपन और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। इसका विकास राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जलविद्युत एक स्वच्छ, नवीकरणीय और प्रदूषण-रहित ऊर्जा स्रोत है जिसके कई अंतर्निहित लाभ हैं। जलविद्युत संयंत्रों में तीव्र गति से चालू होने, बंद होने और लोड मॉड्यूलेशन की अद्वितीय क्षमता होती है, जो उन्हें मांग में उतार-चढ़ाव के अनुकूल और पीक विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आदर्श बनाती है। इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन के विपरीत, जल विद्युत उत्पादन की लागत मुद्रास्फीति-मुक्त होती है और समय के साथ घटती जाती है।

जलविद्युत परियोजनाओं की विशेषता उनकी लंबी प्रचालन अवधि है, जो अक्सर 50 वर्ष से भी अधिक होती है, और ये दुर्लभ जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, इनका विकास दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान में योगदान देता है, बुनियादी ढाँचा, रोज़गार और स्थानीय विकास के अवसर प्रदान करता है।

31 मार्च, 2025 तक, भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 475,210 मेगावाट थी, जिसमें निम्नलिखित योगदान शामिल हैं:

- थर्मल : 221,828 मेगावाट
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) : 220,100 मेगावाट (लघु जलविद्युत सहित)
- जलविद्युत (बड़ी जलविद्युत) : 47,730 मेगावाट
- परमाणु : 8,180 मेगावाट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19,680 मेगावाट क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- 14,040 मेगावाट (थर्मल)
- 3,790 मेगावाट (हाइड्रो)
- 1,900 मेगावाट (परमाणु)

इस लक्ष्य के प्रति, 31 मार्च 2025 तक कुल 33,241 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई, जिसमें शामिल हैं:

- 3,718 मेगावाट (थर्मल)
- 800 मेगावाट (हाइड्रो)
- नवीकरणीय ऊर्जा से 29,523 मेगावाट (लघु जलविद्युत परियोजनाओं सहित)

इन वृद्धियों के बावजूद, भारत ने अपनी अनुमानित 150,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता में से केवल लगभग 52,828 मेगावाट ही को चालू किया है। इस अप्रयुक्त क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिमालयी और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,

सिक्किम और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। ये क्षेत्र जलविद्युत विस्तार के लिए अगले मोर्चे का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सौर ऊर्जा क्षमता में तेज़ी से हो रही वृद्धि, जो स्वभाव से ही दैनिक और अस्थायी है, ग्रिड संतुलन और पीक लोड सपोर्ट के लिए जलविद्युत के बढ़ते महत्व को उजागर करती है। अपनी पीकिंग क्षमता के साथ, जलविद्युत परिवर्तनशील नवीकरणीय स्रोतों का पूरक बनने और ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है।

ऊर्जा उत्पादन के अलावा, भंडारण-आधारित जलविद्युत परियोजनाएँ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सहायता, जल आपूर्ति, पर्यटन संवर्धन और स्थानीय रोज़गार सृजन जैसे कई सह-लाभ प्रदान करती हैं। ये लाभ दीर्घकालिक जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में जलविद्युत की भूमिका को और पुष्ट करते हैं, साथ ही भारत के कार्बन-मुक्ति लक्ष्यों में इसके योगदान को भी सुदृढ़ बनाते हैं।

उद्योग परिदृश्य और नीतिगत परिवेश जलविद्युत क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के लिए प्रबल अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं। पर्याप्त अप्रयुक्त संसाधन आधार, लचीले उत्पादन की बढ़ती माँग और ग्रिड स्थिरता की बढ़ती आवश्यकता के साथ, जलविद्युत भारत के स्वच्छ और अधिक लचीले ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

## II. जनशक्ति

- सीवीपीपीएल चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर चार मेगा परियोजनाएँ विकसित कर रही है और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल कर चुकी है।
- एनएचपीसी की सहायक कंपनी होने के नाते, भारत की प्रमुख हाइड्रो कंपनी का बहुमूल्य मार्गदर्शन सीवीपीपीएल को जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण डिजाइन, बड़े मूल्य के अनुबंध प्रदान करने आदि के लिए प्राप्त हो रहा है।
- सीवीपीपीएल के पास सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल है। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, सीवीपीपीएल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जनशक्ति एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) द्वारा कंपनी को तैनाती/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदान तैनाती की या दी जाएगी। एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यबल को उद्योग में व्यापक अनुभव है और वे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु ज्ञान और व्यावहारिक जानकारी के साथ सीवीपीपीएल के संवर्ग को सुदृढ़ बना रहे हैं। सीवीपीपीएल पूरी तरह से मानता है कि उसके कर्मचारियों का योगदान उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्राप्ति में अभिन्न अंग है और इन अधिकारियों का कौशल, उद्योग ज्ञान और प्रचालन अनुभव कंपनी को एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है।
- सीवीपीपीएल ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जेकेपीसीएल के साथ पकल दूल जल विद्युत परियोजना, किरू जल विद्युत परियोजना और क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

### III. अवसर

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर (जे एण्ड के) में जलविद्युत क्षमता प्रचुर मात्रा में है, जिसकी अनुमानित क्षमता 14,867 मेगावाट है, जिसमें से अकेले चिनाब बेसिन में 11,283 मेगावाट की क्षमता है। 31 मार्च, 2025 तक, चिनाब बेसिन में लगभग 2,014 मेगावाट क्षमता का उपयोग किया जा चुका है, जबकि अतिरिक्त 6,500 मेगावाट (लगभग) क्षमता वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में है। यह इस क्षेत्र में जलविद्युत के अप्रयुक्त अवसर और बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

जल-तापीय ऊर्जा मिश्रण में बढ़ते असंतुलन, सौर और पवन जैसे परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा (वीआरई) स्रोतों के बढ़ते उपयोग, पीकिंग पावर की कमी और ग्रिड आवृत्ति में लगातार उतार-चढ़ाव ने भारत सरकार का ध्यान जलविद्युत विकास में तेजी लाने की ओर आकर्षित किया है। अपनी पीकिंग क्षमता, ग्रिड स्थिरता विशेषताओं और लंबे परिसंपत्ति जीवनकाल के साथ, जलविद्युत को अब ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य में एक संतुलनकारी और सक्षम स्रोत के रूप में रणनीतिक रूप से स्थापित किया जा रहा है।

भारत में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में, अपार अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता मौजूद है। यह चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) सहित केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अपनी प्रचालन क्षमता का विस्तार करने और राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमानों के अनुसार, बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक लगभग 817 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी। देश की सीओपी26 जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, इस क्षमता का 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आना चाहिए, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएँ पैदा होंगी।

यह उभरता परिदृश्य न केवल चिनाब बेसिन जैसे क्षेत्रों में त्वरित जल विद्युत विकास के महत्व को उजागर करता है, बल्कि सीवीपीपीएल जैसी कंपनियों को भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी स्थान पर भी स्थापित करता है।

### IV. खतरे, कमज़ोरियाँ, जोखिम और चिंताएँ

प्रबंधन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित को खतरे, कमज़ोरियाँ, जोखिम और चिंताएं मानता है:

#### • भूमि अधिग्रहण

जलविद्युत परियोजनाएँ आमतौर पर पहाड़ी, दुर्गम और सुदूर इलाकों में स्थित होती हैं, जहाँ परियोजना के घटकों सहित बुनियादी ढाँचे के विकास और जलमग्नता के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल है।

#### • भू-वैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाएँ

जलविद्युत परियोजनाओं में आमतौर पर हेडरेस टनल और सर्ज शाफ्ट का व्यापक भूमिगत कार्य शामिल होता है। भूमिगत कार्य से जुड़ी भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं के कारण समय और लागत में वृद्धि हो सकती है।

- **प्राकृतिक आपदाएं**

चूंकि जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में प्रस्तावित की जाती हैं और सामान्यतः भूगर्भीय प्रतिकूलताओं जैसे पहाड़ी ढलानों में दरारें, सड़क अवरोध, अचानक बाढ़ और बादल फटना आदि से जुड़ी होती हैं, जिससे परियोजनाओं के निर्माण में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- **अप्रत्याशित जटिलताएं**

किसी परियोजना का विकास अप्रत्याशित जटिलताओं और क्रियान्वयन में देरी के अधीन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील परियोजनाओं में अनुमान की तुलना में समय और लागत में वृद्धि हो सकती है। जलवायु परिस्थितियों के कारण जल विज्ञान में भिन्नता के चलते उत्पादन क्षमता में काफी भिन्नता हो सकती है, जिससे कंपनी की राजस्व आय में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।

- **लंबी प्रतीक्षा अवधि**

जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी गहन होती हैं तथा इनकी निर्माण अवधि लंबी होती है।

- **लागत में वृद्धि**

जलविद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है और वे विभिन्न भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और प्रतिकूलताओं से भी प्रभावित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान की तुलना में समय और लागत में वृद्धि होती है। लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ में वृद्धि हो सकती है।

## V. खंडवार या उत्पाद-वार निष्पादन

चिनाब नदी बेसिन में पकल दूल, किरू, क्कार और किरथाई-II जलविद्युत परियोजना (2984 मेगावाट) का विकास और विद्युत उत्पादन एवं बिक्री हेतु कंपनी को सौंपी गई कोई भी अन्य परियोजना, कंपनी का एकमात्र व्यवसाय है। इसके अलावा, कंपनी का एक ही भौगोलिक क्षेत्र है क्योंकि यह केवल जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में ही कार्य कर रही है।

## VI. परिदृश्य

- विद्युत आजीविका, आर्थिक प्रगति और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत में, ऊर्जा की मांग और बुनियादी ढाँचे में वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं। जैसे-जैसे देश तेज़ी से औद्योगीकरण और शहरीकरण की राह पर आगे बढ़ रहा है, आने वाले दशकों में विश्वसनीय और सतत विद्युत की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की प्रत्याशा है।
- आपकी कंपनी संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ देश के अन्य भागों में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। दुर्गम भूभाग और परियोजना स्थलों के दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न होने वाली लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी सक्रिय योजना, तकनीकी नवाचार और हितधारक सहयोग के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
- भारत की विशाल अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता त्वरित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन प्राप्त करने पर बढ़ते वैश्विक बल के साथ, स्वच्छ, नवीकरणीय और कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोत के रूप में जलविद्युत की भूमिका नए सिरे से

महत्वपूर्ण होती जा रही है। जलविद्युत न केवल उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देती है, बल्कि आधुनिक पावर ग्रिड के लिए महत्वपूर्ण सेवाएँ भी प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- पीकिंग विद्युत समर्थन
  - आवृत्ति और वोल्टेज विनियमन
  - तेज़ रैंपिंग क्षमता
  - पंप भंडारण योजनाओं के माध्यम से ऊर्जा भंडारण
- ये विशेषताएं जल विद्युत को सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक स्वाभाविक पूरक बनाती हैं, जिनके ग्रिड में एकीकरण से संतुलन और स्थिरता समाधान की आवश्यकता बढ़ जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की नीतिगत पहलों और नियामक सुधारों, जिनमें सुव्यवस्थित परियोजना अनुमोदन, बेहतर वित्तपोषण तंत्र और नवीकरणीय विकास के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, से जलविद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने और कार्यान्वयन में तेजी आने की आशा है।
  - इस उभरते ऊर्जा परिदृश्य में, आपकी कंपनी भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सार्थक योगदान देने के लिए अपनी विशेषज्ञता और परियोजना पाइपलाइन का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, साथ ही संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति दे रही है।

## 1. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

सीवीपीपीएल ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित, नैतिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक संरचना, मैनुअल और नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। कंपनी ने सीवीपीपीएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अस्तित्व और उनके पंचालन प्रभावशीलता पर स्वतंत्र समीक्षा और आश्वासन प्रदान करने के लिए मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने बताया है कि सीवीपीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध "ख" में वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता की भी सूचना दी गई है। कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा, जिसमें इसकी परियोजनाएँ भी शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बाहरी एजेंसी अर्थात मेसर्स उपेंद्र एंड एसोसिएट्स, जम्मू द्वारा की गई थी।

## 2. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

### लाभ और हानि मदें

#### क. आय

कंपनी की तीन परियोजनाएँ, पकल दूल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और क्वार (540 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाएँ, सक्रिय निर्माण चरण में हैं और एक परियोजना, किरथाई-II (930 मेगावाट) मंजूरी के चरण में है। इस प्रकार, वर्तमान में प्रचालन (ऊर्जा की बिक्री) से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की आय में 1,089.13 लाख रुपये की अन्य आय (पिछले वर्ष 3,575.40 लाख रुपये) शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से कंपनी की निवेश नीति के अनुसार बैंकों के पास

एफडीआर में अधिशेष निधि के निवेश पर ब्याज शामिल है। वर्ष के दौरान ब्याज आय में कमी, परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय में निधियों के उपयोग के कारण एफडीआर में अधिशेष निधि के कम निवेश के कारण है।

#### **ख. व्यय**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निर्माण से संबंधित गैर-आवंटन योग्य व्यय सहित लाभ-हानि खाते में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,092.03 लाख रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,604.30 लाख रुपये था। इसमें 30.40% की वृद्धि मुख्यतः कर्मचारी लाभ व्यय में 201.80 लाख रुपये, मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय में 3.34 लाख रुपये और अन्य व्यय में 287.21 लाख रुपये की वृद्धि के कारण हुई है। व्यय में इस वृद्धि की भरपाई वित्त लागत में 4.62 लाख रुपये की कमी से हुई है।

कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि, चंडीगढ़ स्थित माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2024 के निर्णय के परिणामस्वरूप वेतन विसंगति बकाया के लिए बनाए गए प्रावधान के कारण है। अन्य व्ययों में वृद्धि माध्यस्थम के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान के सृजन, मरम्मत और रखरखाव व्यय में वृद्धि, वाहनों की किराये में वृद्धि आदि के कारण हुई है।

#### **ग. कर पूर्व लाभ**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर और नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन से पूर्व लाभ (-) 1002.90 लाख रुपये था (पिछले वर्ष 1,971.10 लाख रुपये)।

#### **घ. कर संबंधी व्यय**

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभ पर कर व्यय 269.72 लाख रुपये था (गत वर्ष 898.85 लाख रुपये)। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर व्यय में कमी अन्य आय (अधिशेष निधि के एफडीआर में निवेश पर ब्याज) में कमी के कारण है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3575.40 लाख रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1089.13 लाख रुपये हो गई।

#### **ङ. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में नियामक आस्थगित लेखा शेष**

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जो लाभ और हानि विवरण में प्रभारित हैं और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हैं, को "नियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है और इसे उस वर्ष से समायोजित किया जाना है जिसमें परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो। तदनुसार, कंपनी ने नियामक परिसंपत्तियां बनाई हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 24.51 लाख रुपये की संबंधित नियामक आय को मान्यता दी है (पिछले वर्ष (-) 4.06 लाख रुपये) जो भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य है।

#### **नकदी प्रवाह**

##### **क. परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी 6,206.92 लाख रुपये और कर एवं विनियमित आय से पूर्व लाभ (-) 1,002.90 लाख रुपये है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रचालन

गतिविधियों से शुद्ध नकदी (-) 2,391.16 लाख रुपये और कर एवं विनियमित आय से पूर्व लाभ (-) 1,971.10 लाख रुपये है।

### **ख. निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश गतिविधियों से/उनमें प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह (-) 3,36,218.02 लाख रुपये है। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों और निर्माण परियोजनाओं पर (-) 3,40,313.12 लाख रुपये का व्यय, सावधि जमा में (-) 4,682.43 लाख रुपये का शुद्ध निवेश शामिल है, जिसकी आंशिक भरपाई जमा/पूँजीगत अग्रिमों पर ब्याज आय (5,393.20 लाख रुपये) और सरकार से प्राप्त 3,384.33 लाख रुपये के अनुदान से होती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश गतिविधियों से/उनमें प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह (-) 1,53,609.79 लाख रुपए था। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों और निर्माण परियोजनाओं पर (-) 1,82,766.69 लाख रुपए का व्यय शामिल है, जिसकी आंशिक भरपाई 20,754.00 लाख रुपए के सावधि जमा में शुद्ध निवेश और 8,402.90 लाख रुपए के जमा/पूँजीगत अग्रिमों पर ब्याज आय से हुई।

### **ग. वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी 3,05,531.40 लाख रुपये है, जिसमें प्रमोटरों से प्राप्त 95,051.00 लाख रुपये की इक्विटी शेयर अंशदान राशि, भारत सरकार/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 2,14,624.44 लाख रुपये की अधीनस्थ ऋण/सावधि ऋण राशि और ब्याज और वित्त शुल्क का भुगतान और (-) 4,144.04 लाख रुपये के लिए ब्याज के साथ पट्टा देयता का पुनर्भुगतान शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी 1,36,518.45 लाख रुपये थी, जिसमें प्रमोटरों से प्राप्त 76,242.00 लाख रुपये की इक्विटी शेयर अंशदान राशि, भारत सरकार से प्राप्त 60,422.00 लाख रुपये की अधीनस्थ ऋण राशि और ब्याज और वित्त शुल्क का भुगतान और ब्याज सहित पट्टा देयता के पुनर्भुगतान के (-) 145.55 लाख रुपये शामिल हैं।

### **तुलन-पत्र मर्दे**

#### **परिसंपत्ति**

**क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां (आरओयू), निवेश संपत्ति, अमूर्त परिसंपत्तियां, विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां**

भूमि, भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र एवं मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर आदि से युक्त पीपीई का मूल्य हास के बाद क्रमशः 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को क्रमशः 19,688.13 लाख रुपये और 14,678.92 लाख रुपये था। हमारी विद्युत परियोजनाओं में हाइड्रोलिक कार्य, विद्युत गृह भवन सहित भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और एस एंड आई कार्य सहित प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को क्रमशः 8,34,878.64 लाख रुपये और 4,91,351.11 लाख रुपये थे।

उपयोग के अधिकार के अंतर्गत वन भूमि और अन्य पट्टे पर दी गई संपत्तियों सहित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ (आरओयू) 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को क्रमशः 77,996.24 लाख रुपये और

78,815.39 लाख रुपये थीं। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को क्रमशः 55.16 लाख रुपये और 79.40 लाख रुपये थीं।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनमें विकासाधीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, 31 मार्च, 2025 को सृजित किए गए प्रावधान के कारण शून्य थीं, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह 106.42 लाख रुपये थीं।

### **ख. ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)**

कर्मचारियों को ऋण सहित ऋण 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को ऋण क्रमशः 226.19 लाख रुपये और 178.20 लाख रुपये थे।

### **ग. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान और गैर-वर्तमान)**

31 मार्च, 2025 को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 52,491.00 लाख रुपये थीं, जबकि 31 मार्च, 2024 को यह 26,222.25 लाख रुपये थीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100.18% की वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के कारण राज्य सरकार के विभागों से वसूली योग्य दावों में वृद्धि और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि के प्रति रखी गई बैंक जमा राशि में वृद्धि के कारण है।

### **क. अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां**

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से अग्रिम (पूंजीगत और पूंजीगत के अलावा अन्य), पूंजीगत अग्रिम पर अर्जित ब्याज, पूर्व-भुगतान किए गए व्यय और गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ क्रमशः 46,887.51 लाख रुपये और 51,302.52 लाख रुपये थीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.42% की कमी मुख्य रूप से ठेकेदार से/द्वारा पूंजीगत अग्रिम की वसूली/वापसी के कारण है।

### **ख. नकदी और बैंक शेष**

तुलन-पत्र की तिथि तक नकदी और बैंक शेष राशि में हमारे चालू खाते में नकद अधिशेष और अल्पकालिक जमा राशि शामिल है। 31 मार्च, 2025 और 2024 तक नकदी और नकदी समतुल्य क्रमशः 4,103.27 लाख रुपए और 28,582.97 लाख रुपए थे। परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय हेतु निधियों के उपयोग के कारण नकदी और नकदी समतुल्य में कमी आई है। मार्च 2025 और मार्च 2024 तक नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष क्रमशः 2,811.00 लाख रुपए और 2,811.00 लाख रुपए थे।

### **ग. अन्य चालू परिसंपत्तियां**

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम, ठेकेदार को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज और पूर्व-भुगतान किए गए व्यय शामिल हैं। 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को अन्य चालू परिसंपत्तियाँ क्रमशः 2,123.26 लाख रुपये और 407.30 लाख रुपये थीं, अर्थात् 1,715.96 लाख रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज में वृद्धि के कारण हुई है।

### घ. नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शी टिप्पण के अनुरूप और साथ ही इंड-एस 114-नियामक विलंबित लेखा शेष के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में शेष राशि क्रमशः 76.82 लाख रुपये और 52.31 लाख रुपये थी।

### ड. निवल मूल्य पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के 4,76,933.60 लाख रुपये से बढ़कर 5,70,736.48 लाख रुपये हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण 19.67% की वृद्धि दर्ज की गई।

### च. दीर्घकालिक ऋण

दीर्घकालिक उधार में मुख्य रूप से पकलदुल जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण, पकल दूल और किरू जल विद्युत परियोजना के लिए आरईसी और पीएफसी से प्राप्त सावधि ऋण शामिल हैं, जिनकी राशि 31 मार्च 2025 को 2,45,953.96 लाख रुपये और 31 मार्च 2024 को 60,987.31 लाख रुपये है।

### छ. अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)

अन्य वित्तीय देनदारियों में पट्टा देयता, पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति के प्रति देयता, ईएमडी/प्रतिधारण राशि आदि के लिए देय राशि शामिल है। 31 मार्च 2025 तक अन्य वित्तीय देनदारियां 55,962.93 लाख रुपये थीं, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 31,507.32 लाख रुपये थीं।

### ज. प्रावधान (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

प्रावधान में निष्पादन से संबंधित वेतन, सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन) के लिए प्रावधान, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान और वेतन विसंगति आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक कुल प्रावधान 18,154.39 लाख रुपये रहा, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 14,918.16 लाख रुपये था।

### झ. अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2024 तक अन्य गैर-चालू देयताएं 1,46,755.89 लाख रुपये हैं, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह 1,07,769.64 लाख रुपये थी, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण का हिस्सा शामिल है, जिसे लेखांकन दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया है।

### ञ. देय व्यापार

31 मार्च 2025 तक देय व्यापार 613.96 लाख रुपये था, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 416.46 लाख रुपये था।

#### ट. अन्य वर्तमान देनदारियां

31 मार्च 2025 तक अन्य चालू देनदारियां 3166.56 लाख रुपये थीं, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 2,057.06 लाख रुपये थीं।

#### तुलन-पत्र से अतिरिक्त मर्दे

#### क. आकस्मिक देयताएं

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक हमारी आकस्मिक देयताएं के घटकों को दर्शाती है।

विवरण	रुपये लाख में	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
पूँजीगत कार्य	1,04,776.21	98,697.35
भूमि मुआवजा मामला	0	0
विवादित कर मामले और अन्य मर्दे	355.62	322.22
अन्य	0	0
<b>कुल</b>	<b>1,05,131.82</b>	<b>99,019.57</b>

आकस्मिक देयताएं 31 मार्च, 2024 के 99,019.57 लाख रुपए से 6.17% बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 1,05,131.82 लाख रुपए हो गईं।

#### कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास:

कर्मचारी किसी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, और प्रतिभा में निवेश करना स्थायी व्यावसायिक विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम किसी संगठन के भीतर ज्ञान के आधार को बढ़ाने का सही अवसर प्रदान करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन शिक्षण अनुभव एक खुशहाल, अधिक उत्पादक कार्यबल बनाते हैं। प्रतिस्पर्धी कार्यबल की सफलता के लिए व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग चाहे कोई भी हो, हमारे कर्मचारियों के पेशेवर ज्ञान में अंतराल को भरना उन्हें उत्पादक और संतुष्ट रखने के लिए आवश्यक है।

बेहतर प्रदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने कार्मिकों के कौशल और ज्ञान के विस्तार के मूल्य को समझते हुए, सीवीपीपीएल अपने कर्मचारियों के निरंतर उन्नयन और सीखने में निवेश करने में कभी पीछे नहीं रहता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी मंचों पर आयोजित

तकनीकी / गैर-तकनीकी और व्यवहारिक कार्यक्रमों सहित 40 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सम्मेलनों / वेबिनार / सत्रों आदि के लिए नामित किया गया था। हमारे कर्मचारियों को संबंधित सॉफ्टवेयर में नवीनतम तकनीकों और नवाचारों से परिचित कराने के लिए मान्यता प्राप्त CADD केंद्र के माध्यम से PRIMAVERA और AUTOCAD पर कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। विशेष प्रशिक्षकों/एजेंसियों के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रिवर मॉडलिंग और इनफ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम, विशेष रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बीमा पॉलिसियां, प्रक्रियाएं और सर्वोत्तम पद्धतियां, ट्रेचलेस प्रौद्योगिकी संस्थापना हेतु भूभौतिकीय तकनीकें, एफआईडीआईसी प्रबंधन के कांट्रैक्ट की शर्तों और उपयोग, सार्वजनिक खरीद, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण विनियम, ट्रांसफार्मर संरक्षण आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाए गए।

पीओएसएच (POSH) अधिनियम, 2013, श्रम कानूनों के तहत विनियामक अनुपालन पर वैधानिक-उन्मुख कार्यक्रम इन-हाउस आयोजित किए गए, इसके अलावा कर्मचारियों को वैधानिक अनुपालन पर अद्यतन करने के लिए श्रम कानूनों पर आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में नामांकित किया गया। कर्मचारियों के दिमाग को तरोताजा करने और उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए परियोजनाओं में स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर एक कायाकल्प कार्यशाला भी आयोजित की गई। दिनांक 21.06.2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े उत्साह और कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया गया।

उपरोक्त सूचीबद्ध कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में कर्मचारियों से उच्च प्रशंसा और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

### **औद्योगिक संबंध:**

सीवीपीपीएल परियोजनाओं और कार्यालयों में औद्योगिक संबंधों (IR) की स्थिति अनुकूल थी, सिवाय कुछ प्रमुख व्यवधानों के, जो कांट्रैक्ट लेबर द्वारा उनके संघ (किसान मजदूर यूनियन) के माध्यम से उत्पन्न किए गए थे ।। ठेकेदारों द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों के यूनियनों से संबंधित मामलों को आरएलसी (केंद्रीय), जम्मू के कार्यालय में हुई सुलह प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता और प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से सुलझाया गया है। वर्ष के दौरान, ठेका श्रमिक यूनियनों ने कई बार सीवीपीपीएल प्रबंधन को ठेकेदारों (उनके तत्काल नियोक्ता) को विवाद में पक्ष बनाए बिना हड़ताल पर जाने की धमकी दी और परियोजना स्थलों के कार्यों में कई बाधाएँ उत्पन्न कीं।

वर्ष के दौरान, सीवीपीपीएल परियोजनाओं के स्थलों पर बड़ी संख्या में औद्योगिक विरोध प्रदर्शन हुए और उनका उचित कानूनी तंत्र के माध्यम से समाधान/अधिनिर्णय किया जा रहा है।

### **कर्मचारी पदोन्नति:-**

सीवीपीपीएल बोर्ड की 85वीं बैठक के प्रस्ताव के संदर्भ में, सभी सीवीपीपीएल कैडर कर्मचारियों के संबंध में सीवीपीपीएल में रिक्ति-आधारित पदोन्नति रोक दी गई है।

जहाँ रिक्तियों की कोई बाधा नहीं है, वहाँ सीवीपीपीएल संवर्ग के कर्मचारियों की क्लस्टर आधारित पदोन्नति, मौजूदा सीवीपीपीएल पदोन्नति नीति के अनुसार शुरू की गई है। हालाँकि, इसे अगली बैठक में सीवीपीपीएल बोर्ड के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाना है, जिसके बाद पदोन्नति आदेश जारी किए जाएँगे।

### **अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण:-**

सीवीपीपीएल में समय-समय पर जारी मौजूदा मानदंडों और सरकारी निर्देशों के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए भर्ती में आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा।

### **दिव्यांगजनों का कल्याण: -**

31.03.2025 तक सीवीपीपीएल में कोई भी दिव्यांगजन कर्मचारी नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार द्वारा  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
हस्ता./-  
सुरेश कुमार, आईएस- (सेवानिवृत्त)  
अध्यक्ष  
डीआईएन- 06440021

स्थान : जम्मू  
दिनांक : 05 अगस्त, 2025



## चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम)  
(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

**31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण**  
(लाख रुपए में)

**निगम मुख्यालय:**  
चिनाब जल शक्ति भवन,  
सरस्वती धाम के सामने  
रेल हेड काम्प्लेक्स  
जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)

-वीएके एंड एसोसिएट्स,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,  
प्रथम तल, खुल्लर मार्केट, सेक्टर-3,  
त्रिकुटा नगर, जम्मू-180020 (जम्मू और कश्मीर)  
टेलीफोन: 0191-3500119:9419190386  
ई-मेल : vakjmu@gmail.com

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,  
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यगण

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

#### मत

हमने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, और भौतिक लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित है (जिसे एतदपश्चात "वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2025 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तात करते हैं।

#### मत हेतु आधार

हमने वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने वाली नैतिक आवश्यकताओं सहित हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरण पर हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त बताई गई अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को कवर नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर चिह्नित की गई अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा में प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर यथावर्णित अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्या कथन है, तो हमें शासन के प्रभारियों को उस मामले से अवगत कराना होगा और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

### **वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और तब भौतिक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कंसर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कंसर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटीकरण देते हो, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) वित्तीय विवरणों में पहचान की गई किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं। हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

### अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट)आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा यथा अपेक्षित, हम आदेश, लागू सीमा तक, के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में "संलग्नक-क" में विवरण देते हैं।
2. कंपनी की लेखा बहियों के सत्यापन और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत करते हैं:

### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश

क्रम सं.	निदेश	टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है।  हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन को पाया है, जिसके वित्तीय प्रभाव के साथ लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव होते हो, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हैं।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से पता लगाया जाता है	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की किसी पुनर्गठन अथवा ऋण/कर्ज/ ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा इसकी	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और

एजेसियों सेविशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि)/ प्राप्य को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने स्कीम की निबंधन और शर्तों के अनुसार केंद्रीय/राज्य एजेसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का लेखांकन और उपयोग किया है।
---	--

3. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई है, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एस के अनुरूप है।

(ङ.) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

(च) वित्तीय विवरणों से संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में "अनुलग्नक ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और संचालन प्रभावकारिता पर अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम अपनी राय तथा अपनी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है - टिप्पणी संख्या 34 (लेखे पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां) - बिंदु सं.1(क)(i) और बिंदु सं.2(क) देखें।

(ii) कंपनी की दीर्घकालीन संविदाओं के लिए भावी ठोस अनुमान योग्य हानियां नहीं है और इसलिए कंपनी पर लागू होने के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं है।

(iv) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(v) (क) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों), जिसमें में विदेशी

इकाइयां ('मध्यवर्ती') भी शामिल हैं, कोई धनराशि (जो या तो पृथक रूप से या समेकित रूप से भौतिक है) प्रदान नहीं की गई है अथवा ऋण पर नहीं दी गई है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या धनराशि के किसी अन्य स्रोत से), जिसमें यह इस समझ शामिल है, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि अनुषंगियाँ किसी भी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष, पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से उधार देंगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ख) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) से कोई धनराशि (जो या तो पृथक रूप से या समेकित रूप से भौतिक है) प्राप्त नहीं हुई है जिसमें विदेशी इकाइयां ('वित्तपोषण पक्षकार') भी शामिल हैं, जिसमें यह समझ भी सम्मिलित है कि कंपनी वित्तपोषण पक्षकार ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को किसी भी तरह से या उधार देंगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) परिस्थितियों में तर्कसंगत और उपयुक्त समझी गई हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उपखंड (v)(क) और (v)(ख) के तहत प्रस्तुतियों कोई भी तात्विक अनुचित विवरण शामिल है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाते की बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुई है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे समक्ष ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई भी मामला सामने नहीं आया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण किया गया है।

(vii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश को घोषित नहीं किया है या उसका भुगतान नहीं किया है और वर्ष के लिए कोई अंतिम लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

**कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या : 019636एन)

हस्ता./-

**(सीए विनय जामवाल)**

साझेदार

(एमआरएन : 502417)

यूडीआईएन : 25502417बीएमओजीआरएन6476

दिनांक : 08 मई, 2025

स्थान : जम्मू

**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - "क"**

(हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित **अनुलग्नक "क"** के संदर्भ में, हम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

(i) (क) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(आ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(ख) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शामिल करने के लिए भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, कंपनी की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान एक बार बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी अचल संपत्तियों, जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक विलेख, निम्नलिखित अचल संपत्तियों को छोड़कर, कंपनी के नाम पर धारित हैं:

संपत्ति/ परियोजना का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ में)	किसके नाम पर धारित है	क्या प्रमोटर निदेशक या उनके संबंधी अथवा कर्मचारी है	धारित अवधि, जहां उचित हो रेंज निर्दिष्ट करें	कंपनी के नाम पर धारित नहीं होने के कारण
भूमि/ पकल दूल (177.8175 हेक्टेयर)	242.56	राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) सीवीपीपीपीएल के माध्यम से (पकल दूल)	नहीं	वित्तीय वर्ष 2015-16 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू- कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीपीएल (पकल दूल) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के लीजहोल्ड में परिवर्तन और इसका म्यूटेशन किया गया है।

भूमि/ किरु (92.9575 हैक्टेयर)	134.64	राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) सीवीपीपीपीएल के माध्यम से (किरु)	नहीं	वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू- कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीपीएल (किरु) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के लीजहोल्ड में परिवर्तन और इसका म्यूटेशन किया गया है।
भूमि/ कार (38.15 हैक्टेयर)	46.69	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 2022-23 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का म्यूटेशन किया गया है। सहायक राजस्व आयुक्त किश्तवाड़ द्वारा जारी दिनांक 15.07.2024 के पत्र के अनुसार भूमि फ्रीहोल्ड है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के विरुद्ध "बेनामी संव्यवहार (परिषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (i) (ङ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (क) कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस प्रकार इसके पास कोई वस्तु-सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii)(क) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय पर वर्तमान आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से समेकित रूप से 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी की मंजूरी नहीं दी गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, अथवा कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी भी अन्य पक्षकार को प्रतिभूति या गैर-प्रतिभूति ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं प्रदान किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से 3(iii)(च) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई भी निक्षेप या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे निक्षेप माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित किए जाने वाले व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेख का अनुरक्षण निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए, आदेश के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित निर्विवाद सांविधिक बकायों को कंपनी द्वारा समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया देय नहीं है तथा 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कोई अन्य सांविधिक बकाया, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाए के रूप में नहीं था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या उपकर या से संबंधित कोई सांविधिक बकाया या कोई अन्य वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है :

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	अवधि जिससे संबंधित है	फोरम जहां मामला लंबित है	सकल विवादित राशि (करोड़ रुपए में)	विवाद के अधीन जमा की गई राशि (करोड़ रुपए में)
सीजीएसटी और जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी अधिनियम 2017	सीजीएसटी/एसजीएसटी	2018-19	आयुक्त (अपील) जीएसटी के पास दायर किए जाने के लिए अपील प्रक्रियाधीन है।	2.46	शून्य
	सीजीएसटी/एसजीएसटी	2019-20		0.03	शून्य
	सीजीएसटी/एसजीएसटी	2022-23		0.73	शून्य
उक्त विवादित राशि पर ब्याज				<b>0.34</b>	<b>शून्य</b>
<b>कुल</b>				<b>3.56</b>	<b>शून्य</b>

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई ऐसा संव्यवहार नहीं हुआ है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथमदृष्टया, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक और/या सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, या सहयोगी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है) में रखी गई प्रतिभूतियों के बंधक पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (क) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के पास प्ररूप एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है, जैसाकि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii)(ख) और 3(xii)(ग) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लागू संव्यवहार के

संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है तथा संबंधित पक्षकार संव्यवहार के विवरणों का प्रकटीकरण को लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है, तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के तहत रजिस्ट्रीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने अवधि के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण पर, हम सूचित करते हैं कि, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, समयावधि में वृद्धि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजना के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर तथा धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी तात्त्विक अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी तुलन-पत्र की तारीख

पर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब भी वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हों। हालांकि, हम यह सूचित करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा विमोचित कर दिया जाएगा जब वे देय हो जाती हैं।

(xx) प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार,

(क) चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के प्रति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोई अव्ययित राशि मौजूद नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) किसी चालू परियोजना के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत व्यय नहीं की गई राशि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के उपबंध के अनुपालन में विशेष लेखे को अंतरित किया गया है।

(xxi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

**कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या : 019636एन)

हस्ता./-

**(सीए विनय जामवाल)**

साझेदार

(एमआरएन : 502417)

यूडीआईएन : 25502417बीएमओजीआरएन6476

दिनांक : **08 मई, 2025**

स्थान : **जम्मू**

-वीएके एंड एसोसिएट्स,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,  
प्रथम तल, खुल्लर मार्केट, सेक्टर-3,  
त्रिकुटा नगर, जम्मू-180020 (जम्मू और कश्मीर)  
टेलीफोन: 0191-3500119:9419190386  
ई-मेल : [vakjmu@gmail.com](mailto:vakjmu@gmail.com)

### स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

(हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अंतर्गत "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट" के अनुच्छेद (घ) में संदर्भित)

#### अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया।

#### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखापरीक्षा की मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कार्य का उचित और कार्यकुशल संपादन सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे। इनमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण और अन्वेषण, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा तर्कसंगत वित्तीय जानकारी की समय से तैयारी शामिल है जैसा कि अधिनियम में अपेक्षा की गई है।

#### लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में हमारी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पणी ("परामर्शी नोट") तथा लेखापरीक्षा के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जिन्हें अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया हुआ माना जाता है, के लागू होने की सीमा तक के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा 'परामर्शी नोट' में अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाए और कार्यान्वित करें कि इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा उसका रख-रखाव किया गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में कारगर ढंग से प्रचालित किए गए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियायें शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा परीक्षा की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी विद्यमान है तथा मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता का परीक्षण और मूल्यांकन करना है। चयन की गई

प्रक्रिया लेखापरीक्षा के निर्णय, जिसमें जालसाजी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी जोखिम का आंकलन शामिल होता है, पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### **एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध युक्तिसंगत आश्वासन देन के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां या प्रक्रियायें शामिल होती हैं जो (1) ऐसे रिकार्डों के रख-रखाव से संबंधित होती हैं जो उचित ब्यौरे परिशुद्धता और निष्पक्षता से कंपनी के लेन-देन और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्था का प्रतिबिम्बित करती हैं (2) इस आशय का उचित आश्वासन देती हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेनदेन को रिकार्ड किया जाता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों का भुगतान केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है, और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण प्रयोग या व्यवस्था के निवारण या समय से पता लगाने के लिए उचित आश्वासन देती हैं।

### **एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत या की संभावना या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण का अभिभावी होना त्रुटियों या जालसाजी के कारण उल्लेखनीय गलतबयानी शामिल होती है के कारण गंभीर त्रुटि या जालसाजी हो सकती है और उसका पता भी नहीं चल पाता। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं का ठीक ढंग से अनुपालन न हो पाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त साबित हो सकता है।

### **मत**

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

**कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या : 019636एन)

हस्ता./-

**(सीए विनय जामवाल)**

साझेदार

(एमआरएन : 502417)

यूडीआईएन : यूडीआईएन : 25502417बीएमओजीआरएन6476

दिनांक : 08 मई, 2025

स्थान : जम्मू



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
सीवीपीपी, जम्मू  
31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन-पत्र

(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
<b>परिसंपत्तियां</b>			
<b>(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां</b>			
क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	19,688.13	14,678.92
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	834,878.64	491,351.11
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	77,996.24	78,815.39
घ) निवेश सम्पत्ति	2.4	-	-
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	55.16	79.40
च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	-	106.42
<b>छ) वित्तीय परिसंपत्तियां</b>			
i) निवेश	3.1	-	-
ii) प्राप्य व्यापार	3.2	-	-
iii) ऋण	3.3	103.21	88.70
iv) अन्य	3.4	4,821.16	18.44
झ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	4	46,887.51	51,302.52
<b>कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां</b>		<b>984,430.05</b>	<b>636,440.90</b>
<b>(2) वर्तमान परिसंपत्तियां</b>			
क) मालसूची	5	-	-
<b>ख) वित्तीय परिसंपत्तियां</b>			
i) निवेश	6	-	-
ii) व्यापार प्राप्य	7	-	-
iii) नकदी और नकदी तुल्य	8	4,103.27	28,582.97
iv) नकदी और नकदी तुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष	9	2,811.00	2,811.00
v) ऋण	10	122.98	89.50
vi) अन्य	11	47,669.84	26,203.81
ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	12	-	-
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13.1	2,123.26	407.30
<b>कुल वर्तमान परिसंपत्तियां</b>		<b>56,830.35</b>	<b>58,094.58</b>
<b>(3) बिक्री के लिए धारित</b>	13.2	6.95	1.76
<b>(4) विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष</b>	14.1	76.82	52.31
<b>कुल परिसंपत्ति इक्विटी और देयताएं</b>		<b>1,041,344.17</b>	<b>694,589.55</b>
<b>(1) इक्विटी</b>			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	563,001.13	445,034.13
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	7,735.35	31,899.47
<b>कुल इक्विटी</b>		<b>570,736.48</b>	<b>476,933.60</b>

(2)	<b>देयताएं</b>			
	<b>गैर वर्तमान देयताएं</b>			
क)	<b>वित्तीय देयताएं</b>			
	i) ऋण	16.1	245,953.96	60,987.31
	ii) पट्टा देयताएं	16.2	68.78	21.12
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	3.62	10.32
ख)	प्रावधान	17	1,792.68	1,440.05
ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	-	-
घ)	अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	146,755.89	107,769.64
	<b>कुल गैर-वर्तमान देयताएं</b>		<b>394,574.93</b>	<b>170,228.44</b>
(3)	<b>वर्तमान देयताएं</b>			
क)	<b>वित्तीय देयताएं</b>			
	i) ऋण	20.1	-	-
	ii) पट्टा देयताएं	20.2	67.73	69.46
	iii) व्यापार देय	20.3		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		186.74	129.25
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		427.22	287.21
	iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	55,822.80	31,406.42
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	3,166.56	2,057.06
ग)	प्रावधान	22	16,361.71	13,478.11
घ)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
	<b>कुल वर्तमान देनदारियाँ</b>		<b>76,032.76</b>	<b>47,427.51</b>
(4)	<b>विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष</b>	14.2	-	-
	<b>कुल देयताएं</b>		<b>470,607.69</b>	<b>217,655.95</b>
	<b>कुल इक्विटी और देयताएं</b>		<b>1,041,344.17</b>	<b>694,589.55</b>

**वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां** 1-34

सम तिथि की पृथक रिपोर्ट के रूप में हस्ताक्षरित

**कृते बी ए के एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 019636एन)

हस्ता./-

(सीए विनय जामवाल)

**साझेदार**

सदस्यता सं. 502417

**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से**

हस्ता./-

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)

**निदेशक**

**डीआईएन संख्या**

**08645380**

हस्ता./-

(संजय कुमार गुप्ता)

**महाप्रबंधक (वित्त)**

हस्ता./-

(रमेश मुखिया)

**प्रबंध निदेशक**

**डीआईएन संख्या**

**10415607**

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

**कंपनी सचिव**

**एफसीएस 7050**

स्थान: जम्मू

दिनांक : 08 मई, 2025



**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**  
**सीवीपीपी, जम्मू**  
**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण**

(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>आय</b>			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	-	-
ii) अन्य आय	24.2	1,089.13	3,575.40
<b>कुल आय</b>		<b>1,089.13</b>	<b>3,575.40</b>
<b>व्यय</b>			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	-	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	-	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,259.85	1,058.05
iv) वित्त लागत	27	1.05	5.67
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	82.17	78.83
vi) अन्य व्यय	29	748.96	461.75
<b>कुल व्यय</b>		<b>2,092.03</b>	<b>1,604.30</b>
<b>असाधारण मदों, विनियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ</b>		<b>(1,002.90)</b>	<b>1,971.10</b>
असाधारण मदें	-	-	-
<b>विनियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ</b>		<b>(1,002.90)</b>	<b>1,971.10</b>
<b>आयकर व्यय</b>	<b>30.1</b>		
i) वर्तमान कर		269.72	898.85
ii) आस्थगित कर		-	-
<b>कुल कर व्यय</b>		<b>269.72</b>	<b>898.85</b>
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ		<b>(1,272.62)</b>	<b>1,072.25</b>
नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	24.51	(4.06)
<b>वर्ष के लिए लाभ (क)</b>		<b>(1,248.11)</b>	<b>1,068.19</b>
<b>अन्य व्यापक आय (ख)</b>	<b>30.2</b>		
<b>(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)</b>			
(क) निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन		-	-
घटाएं : - विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)		-	-
<b>उप जोड़ (क)</b>		-	-
(ख) एफवीटीओसीआई में इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन		-	-
<b>उप जोड़ (ख)</b>		-	-
<b>कुल (i)=(क)+(ख)</b>		-	-
<b>(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)</b>			
(क) एफवीटीओसीआई में ऋण निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन		-	-
(ख) हेज आरक्षित की लागत		-	-
<b>कुल (ii)</b>		-	-

वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ख)=(i+ii)	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)	(1,248.11)	1,068.19
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/-रुपए प्रत्येक)	34(11)	
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त	(0.0251)	0.0262
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित	(0.0246)	0.0261

**वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां**

1-34

सम तिथि की पृथक रिपोर्ट के रूप में हस्ताक्षरित

**कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 019636एन)

हस्ता./-

(सीए विनय जामवाल)

**साझेदार**

सदस्यता सं. 502417

स्थान: जम्मू

दिनांक : 08 मई, 2025

**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से**

हस्ता./-

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)

निदेशक

डीआईएन संख्या

**08645380**

हस्ता./-

(संजय कुमार गुप्ता)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(रमेश मुखिया)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या


**10415607**

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050



**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**  
**सीवीपीपी, जम्मू**  
**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित नकदी प्रवाह**  
**का विवरण**

(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

(राशि लाख में)

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
<b>क.</b>	<b>प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>				
	<b>विनियामक आस्थगित लेखा शेष में उतार-चढ़ाव सहित वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ</b>		(978.39)		1967.04
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)		24.51		(4.06)
	<b>कर पूर्व लाभ</b>		<b>(1002.90)</b>		<b>1971.10</b>
	<b>जोड़ें :</b>				
	मूल्यहास और परिशोधन	82.17		78.83	
	वित्त लागत (ईएसी का निवल)	1.05		5.67	
	प्रावधान (ईएसी का निवल)	106.42		-	
	निवल विनिमय दर अंतर (हानि)	24.51		4.70	
	विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	-		-	
	संपत्ति की बिक्री पर हानि/ (लाभ)/बट्टे खाते में डाले गए दावे	15.68		13.65	
	निवेश की बिक्री पर हानि	-		-	
	उचित मूल्य समायोजन	-		0.02	
			229.83		102.87
			<b>(773.07)</b>		<b>2073.97</b>
	<b>घटाएं :</b>				
	मूल्यहास के पश्चलेखित अग्रिम	-		-	
	प्रावधान (ईएसी का निवल)	-		-	
	लाभांश आय	-		-	
	ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान अधिभार सहित)	1097.49		3575.45	
	निवल विनिमय दर अंतर (लाभ)	-		-	
	उचित मूल्य समायोजन	9.53		-	
	सरकारी अनुदानों का परिशोधन	-		-	
			1107.02		3575.45
	<b>प्रचालनरत परिसंपत्तियों और देयता समायोजन तथा आयकर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>		<b>(1880.09)</b>		<b>(1501.48)</b>
	<b>प्रचालनरत परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन:</b>				
	मालसूची में (वृद्धि)/कमी	-		-	
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	-		-	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	6251.88		(27.50)	

	अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधान में (वृद्धि)/कमी)	2435.53		41.41	
	विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	(24.51)		4.06	
			8662.90		17.97
	<b>कर पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>		<b>6782.81</b>		<b>(1483.51)</b>
	घटाएं : अदा किया गया कर		575.89		907.65
	<b>प्रचालनरत क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)</b>		<b>6206.92</b>		<b>(2391.16)</b>
<b>ख.</b>	<b>निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां, सीडब्ल्यूआईपी और परियोजना लागत का भाग होने वाले नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		(340313.12)		(182766.69)
	अनुदान की प्राप्ति		3384.33		-
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्तियां		-		-
	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		-		-
	सहायक कंपनियों को ऋण		-		-
	सहायक कंपनियों द्वारा ऋण की चुकौती		-		-
	सहायक कंपनियों /संयुक्त उद्यमों को ऋण पर ब्याज		-		-
	सावधि जमा में निवल निवेश		(4682.43)		20754.00
	निवेश की बिक्री से प्राप्तियां		-		-
	लाभांश आय		-		-
	ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान प्रभार सहित)		5393.20		8402.90
	<b>निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)</b>		<b>(336218.02)</b>		<b>(153609.79)</b>
<b>ग.</b>	<b>वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>				
	इक्विटी शेयरों का निर्गम/पुनःखरीद, प्रतिभूति प्रीमियम सहित		95051.00		76242.00
	अदा किया गया लाभांश		-		-
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		214624.44		60422.00
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां (निवल)		-		-
	उधार की चुकौती		-		-
	ब्याज और वित्त प्रभार		(4067.87)		(37.00)
	पट्टा देयता की मूलधन चुकौती		(71.27)		(101.19)
	पट्टा देयता पर अदा किया गया ब्याज		(4.90)		(7.36)
	<b>वित्तीय क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ग)</b>		<b>305531.40</b>		<b>136518.45</b>

घ.	नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(24479.70)		(19482.50)
	वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		28582.97		48,065.47
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष #		4103.27		28,582.97

# नकदी और नकदी समकक्ष में वर्ष के अंत में शून्य करोड़ रुपए (तदनुसूची गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है जो निर्दिष्ट चालू खाते में धारित है और कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

- नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंड एस 7 - "नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।
- पूर्व अवधि के लिए आंकड़े जहां-कहीं आवश्यक हो पुनःसमूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/ पुनःवर्गीकृत/ पुनः कथित किए गए हैं।

### नकदी प्रवाह के विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकद और नकद समतुल्य में तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा सहित हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और बैंक शेष शामिल हैं। नकद और नकद समकक्षों का विवरण निम्नानुसार है:

	(लाख रुपए में)			
	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
<b>बैंकों के पास शेष राशि</b>				
अनुसूचित बैंकों के साथ:				
- चालू खाते में		4,103.27		2,582.97
- जमा खाते में		-		26,000.000
(तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)				
- चालू खाते में - बैंकों के साथ अन्य निर्दिष्ट शेष		-		-
<b>हस्तगत नकदी</b>		-		-
<b>नकद और नकदी समतुल्य</b>		<b>4,103.27</b>		<b>28,582.97</b>

2. वित्त-पोषण क्रियाकलापों में नकदी प्रवाह में ब्याज और वित्त प्रभार में निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत 4067.87 लाख रूपए (पिछले वर्ष 37.00 लाख रुपए) की ऋण लागत शामिल है।
3. 31.03.2025 को आहरित नहीं किए गए ऋण की राशि : 8,83,334.56/- लाख रूपए (पिछले वर्ष 87229.00 लाख रुपए) है।
4. कंपनी ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण 19.88 लाख रुपए नकदी (पिछले वर्ष 14.70 लाख रुपए) व्यय किया है।
5. **निवल ऋण मिलान:-**

	(लाख रुपए में)	
	31/03/2025	31/03/2024
ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	246075.70	60987.31
पट्ट देयता	136.51	90.59
<b>कुल</b>	<b>246212.21</b>	<b>61077.90</b>

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **		
	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
<b>1 अप्रैल को प्रारंभिक निवल ऋण</b>	<b>60987.31</b>	<b>90.59</b>	<b>61077.90</b>	<b>38,454.67</b>	<b>149.39</b>	<b>38604.06</b>
ऋण से प्राप्तियां	214624.44	-	<b>214624.44</b>	60,422.00	-	60422.00
ऋण/पट्टा देयता की चुकौती	-	(71.27)	<b>(71.27)</b>	-	(101.19)	(101.19)
अदा किया गया ब्याज	(4067.87)	(4.90)	<b>(4072.77)</b>	(37.00)	(7.36)	(44.36)
<b>अन्य गैर-नकदी संचलन</b>				-	-	-
- पट्टा देयता में वृद्धि	-	117.20	<b>117.20</b>	-	42.38	42.38
- विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-	-	-
- ब्याज और वित्त प्रभार	4189.61	4.90	<b>4194.51</b>	37.00	7.36	44.36
- उचित मूल्य समायोजन	(29657.80)	-	<b>(29657.80)</b>	(37889.36)	-	(37889.36)
<b>31 मार्च को अंतिम निवल ऋण</b>	<b>2,46,075.70</b>	<b>136.51</b>	<b>2,46,212.21</b>	<b>60,987.31</b>	<b>90.59</b>	<b>61,077.90</b>

\* ऋण के लिए टिप्पणी 16.1, 20.1 और 20.4 देखें

**वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां**

1-34

सम तिथि की पृथक रिपोर्ट के रूप में  
हस्ताक्षरित

**कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 019636एन)

हस्ता./-

(सीए विनय जामवाल)

**साझेदार**

सदस्यता सं. 502417

स्थान: जम्मू

दिनांक : 08 मई, 2025

**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से**

हस्ता./-

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)

निदेशक

डीआईएन संख्या

**08645380**

हस्ता./-

(संजय कुमार गुप्ता)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(रमेश मुखिया)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

**10415607**

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

**इक्विटी शेयर पूंजी**

विवरण	टिप्पणी संख्या	टिप्पणी संख्या	राशि लाख रुपए में
<b>1 अप्रैल 2024 के अनुसार</b>	15.1	15.1	445,034.13
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन			
<b>1 अप्रैल 2024 को पुनर्कथित शेष राशि</b>		15.1	445,034.13
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन			1,17,967.00
<b>31 मार्च 2025 के अनुसार</b>	15.1	15.1	5,63,001.13

**अन्य इक्विटी**

(लाख रुपये में)

विवरण	पूंजी आरक्षित	आरक्षित और अधिशेष						अन्य व्यापक आय			कुल
		आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	पूंजी आरक्षित	पूंजी मोचन आरक्षित	बांड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज़	हेज आरक्षित की लागत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज़	
<b>1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि</b>	-	22,916.00	-	-	-	-	8,983.47	-	-	-	31,899.47
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ											
<b>1 अप्रैल 2024 को पुनः कथित शेष राशि</b>			-	-	-	-	8,983.47	-	-	-	31,899.47
वर्ष के लिए लाभ				-	-	-	-1,248.11	-	-	-	-1,248.11
अन्य व्यापक आय				-	-	-	-	-	-	-	-



## चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

### टिप्पणी सं. 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### (1) रिपोर्टिंग कंपनी

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कंपनी"), एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में अधिवासित है (सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई003321)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड परिसर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र-180012 है। यह कंपनी मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ विद्युत की थोक बिक्री में शामिल है।

#### (2) तैयार करने का आधार

##### क) अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुपालन के आधार पर और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 08 मई, 2025 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

##### ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है।

ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

#### ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 9 सितंबर 2024 और 28 सितंबर 2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से क्रमशः कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2024 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) तीसरा संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिसके अंतर्गत कुछ लेखांकन मानकों को संशोधित/अधिसूचित किया गया है और ये 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए प्रभावी हैं:

क) बीमा अनुबंध - भारतीय लेखांकन मानक 117; और

ख) भारतीय लेखांकन मानक 116 में बिक्री और लीजबैक संशोधन में पट्टा देयता

कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

### **घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा**

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है। तथापि, यूनिट स्तर पर आंकड़ों को रुपए (पूर्णांक संख्या) में प्रस्तुत किया गया है।

### **ड) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग**

इंड-एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है

### **महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान**

#### **क) पट्टे**

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड-एस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करती है।

### **ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त परिसंपत्तियों**

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्द्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

### **ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि**

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

### **घ) सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ योजनाएं**

कर्मचारियों के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

### **ड) राजस्व**

कंपनी इंड एस 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करेगी। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी है, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरे अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्मक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

### **च) प्रावधान और आकस्मिकताएं**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित आउटफ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

### **छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि**

कंपनी की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे - ब्याज लागत, हास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एस 114- 'नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य विनियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019-24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि, मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव ऐसे शेष की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

### **ज) व्यापार प्राप्य की क्षति**

व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करता है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक। सीईआरसी टैरिफ विनियमों में विलंबित भुगतानों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार की वसूली का प्रावधान है, जो पहले से उपबंधित सीमा को छोड़कर, धन की समय-मूल्य के कारण होने वाली हानि की भरपाई करता है।

### **झ) वसूली योग्य बीमा दावा**

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों आंकलन और अनुमानों तथा पूर्व के अनुभव पर आधारित बीमा कंपनी से प्राप्य राशि के प्रबंधन के अनुमान पर आधारित है।

## ज) आयकर

आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल होते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि भी शामिल है।

## ट) कार्बन क्रेडिटों/प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों (सीईआर)/सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत

कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) की लागत का मापन प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किया जाता है।

## ठ) विक्रय के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां :

इंड एस105 - 'विक्रय के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बंद किए गए परिचालन' के अंतर्गत विक्रय के लिए धारित गैर-चालू वर्तमान के लेखांकन को लागू करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन तत्काल विक्रय के लिए संपत्ति की उपलब्धता, विक्रय के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर विक्रय की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग करता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या उनकी वहन राशि निरंतर उपयोग के माध्यम से वसूल किए जाने के स्थान पर मुख्य रूप से उसके विक्रय लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी।

## ड) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के भाग के रूप में निर्दिष्ट पूंजीगत कलपुर्जे:

प्रबंधन विभिन्न कारकों के आधार पर मूल्यांकन करता है कि क्या मालसूची की कोई मद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का भाग बनने वाले पूंजीगत कलपुर्जे के रूप में योग्य है, जिसमें मद की लागत, वह अवधि जिसके दौरान मद से लाभ अर्जित होने की आशा है और टैरिफ में मद की स्वीकार्यता शामिल है। इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर और 2024-29 की अवधि के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप, 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मालसूची की वस्तुएँ, जिनसे एक से अधिक लेखांकन वर्षों में लाभ प्राप्त होने की आशा है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में निर्दिष्ट की जाती हैं।

## (III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हें अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश संपत्तियां तुलन पत्र में भारतीय जीएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। कंपनी ने इंड एस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, "पहली बार इंड एस अपनाते पर इंड एस में ट्रेजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीमड लागत मानी गयी। इस प्रकार पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियों और निवेश संपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

## 1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी आस्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ कंपनी को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में आस्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन आस्ति, प्रबंधन

की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

- ग) अनुवर्ती लागतों को आस्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि उपगत की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
- घ) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी आस्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।
- ङ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित हास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।
- च) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित,(अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहीत भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुनर्स्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।
- छ) वे आस्तियां जिनपर कंपनी का नियंत्रण है, कंपनी के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।
- ज) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।
- झ) स्पेयर पार्ट (संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में "स्टोर और स्पेयर " माने जाते हैं।
- ञ) उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और नवीकरण पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और नवीकरण की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।
- (ट) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग के प्रतिस्थापन की लागत को उस भाग की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि भाग में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को इस बात पर ध्यान दिए बिना अमान्य कर दिया जाता है कि प्रतिस्थापित भाग का अलग से मूल्यहास किया गया है या नहीं। यदि प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत को इस बात के संकेत के रूप में उपयोग करती है कि अधिगृहीत या निर्मित किए जाने के समय प्रतिस्थापित भाग की लागत क्या थी। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सर्वासिग की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तब मान्यता दी जाती है, जब वह उपगत की जाती है।
- ठ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। आस्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती हैं जब आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

## 2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

- क) निर्माण के तहत आस्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और अप्रतिदेय करों (व्यापार छूट तथा छुट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डेलीवरी व सारसंभाल प्रभार, संस्थापना तथा संयोजन लागतें, इत्यादि शामिल होती हैं।
- ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों सहित परियोजना निर्माण में प्रयुक्त आस्तियों में हास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा वांछित प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचों सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।
- ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, "निर्माण पर आरोप्य व्यय" के तहत संचित किया जाता है और "जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एस 16- "परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर" में "आरोप्यता" और "मापन इकाई को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचों सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

## 3.0 अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

- क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और कंपनी विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।
- ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त आस्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो आस्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।
- ग) विकास के तहत अमूर्त आस्तियां अमूर्त आस्तियों पर किए गए व्यय को दर्शाती हैं जो विकास के चरण में हैं और उन्हें लागत घटा संचित हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेनीत किया जाता है।
- घ) बाद में किया गया व्यय आस्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।
- ङ) अमूर्त आस्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

#### 4.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन-देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनियम दरों पर बदली जाती हैं।
- ख) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदों के समायोजन/विनियम से होने वाला विनियम अंतर जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।
- ग) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौलिक मदें लेन देन की तिथि पर लागू विनियम दर पर बदली जाती हैं। जहां कंपनी ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित आस्ति, व्यय या आय (या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनियम दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब कंपनी आरंभ में गैर मौलिक आस्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौलिक देयता को मान्य करती है।

#### 5.0 विनियामक आस्थगित लेखे

- क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड-एएस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्की के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को "नियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) ये विनियामक आस्थगित लेखा शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।
- घ) विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष राशि को विमान्य कर दिया जाता है।
- ङ) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में हानि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष राशि की जांच की जाती है।

#### 6.0 उचित मूल्य मापन

प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है। परन्तु, कंपनी जब यह निर्धारित करती है कि लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो। सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है।

- स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

### **7.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी दस्तावेज़ या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित रूप से कंपनी के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

#### **(क) वर्गीकरण**

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

#### **(ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन**

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

कंपनी व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

#### **(ग) बाद का मापन**

##### **परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज़**

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधित को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

### **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)**

किसी 'ऋण दस्तावेज़' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और
- ii) परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उक्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इकिटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

### **व्यापार प्राप्ति:**

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्ति को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

### **घ) विमान्य किया जाना**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

- i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या
  - ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी संविदात्मक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी संविदात्मक दायित्व को मानता है।
- जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है। जहां कंपनी ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

### ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करती है :

- i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।
- ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।
- iii) इंड एएस 115-राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ संविदा से संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- iv) इंड एएस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एएस 116 और इंड एएस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप संविदा परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्य और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वेकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए कंपनी इंड एएस 109 'वित्तीय दस्तावेज' के तहत अनुमत 'सरलीकृत-दृष्टिकोण' का पालन करती है।

अन्य सभी वित्तीय आस्तियों के लिए, अपेक्षित ऋण घाटे को 12-माह ईसीएल के समकक्ष राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो, ऐसी स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके गणना की गई किसी भी वृद्धि या हानि भत्ते को लाभ और हानि के विवरण में हानि या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

### 8.0 माल-सूची

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्कैप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) का मूल्यांकन लागत से कम पर या निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट-डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पश्चलेखन या हानि होती है।

### 9.0 वित्तीय देयताएँ

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल है। किसी वित्तीय देयता को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

#### क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन-देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

#### ख) अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ - हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी

जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग- शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ - हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

### ग) विमान्य करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को विमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

### घ) वित्तीय दस्तावेजों का समायोजन (ऑफसेटिंग)

यदि स्वीकृत राशियों को समायोजन करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को समायोजित किया जाता है और निवल राशि को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

### ड) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज़

विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को रोकने और हेज के रूप में नामित नहीं होने वाले, कंपनी द्वारा धारित व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज़ का लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब लगाया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ - हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

### 10.0 सरकारी अनुदान

- क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ - हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौलिक अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ - हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।
- ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ - हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

### 11.0. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही-सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की

आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान पूर्व-कर दर से भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर किया जाता है ताकि देयता के विशिष्ट जोखिम इसमें कवर हो जाएं। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

- ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से पैदा होती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।
- ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

## 12.0. राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं। कंपनी समय के साथ बिजली के विक्रय के लिए संविदाओं से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को एक साथ प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं।

### क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

- i) राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को कंपनी तब स्वीकार करती है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपती है।
- ii) विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व (वित्त पट्टे/प्रचालनात्मक पट्टे के अधीन माने गए विद्युत स्टोशनों के अलावा) को लागू सीमा तक विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण के आदेशों द्वारा यथासंशोधित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 के तहत केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/हतोत्साहन सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के

अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।

- iii) ग्राहकों को समय-समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल न किया गया राजस्व)।
- iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/प्रतिदेय और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है।
- v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

#### ख) अन्य आय

- i) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।
- ii) ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर परिसमाप्त क्षतिपूर्ति/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब यह माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

#### ग) कार्बन क्रेडिट/सीईआर/ वीईआर की बिक्री से राजस्व

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) के अंतरण/बिक्री से राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह अत्यधिक संभाव्य हो कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में राशि का कोई भविष्य में महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

### 13.0. कर्मचारी हितलाभ

#### i) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

## ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजना रोजगार-पश्च लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग-अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

## iii) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार-पश्च लाभ योजना है। कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), सेवानिवृत्ति /मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ और अनुभव समायोजन और बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

## iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी की अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान

मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

#### v) सेवा समापन लाभ

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उनका व्यय किया गया हो।

### 14.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एस 109 - "वित्तीय दस्तावेज़" में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एस 116- 'लीज' के अनुसार वित्तीय प्रभारों के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत और तीसरे पक्षों को अदा किए गए ऋण पर गारंटी शुल्क के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। अर्हक परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई अर्हक संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु, किसी अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

अर्हक आस्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

### 15.0 मूल्यहास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यहास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया

जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 15.0(घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, सम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष सरिखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ-साथ इसकी असंशोधित मूल्यहास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष सरिखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, नीति संख्या 15.0(घ) में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90: की सीमा तक प्रत्यक्ष सरिखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र और मशीनरी

- कम्प्यूटर और सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम/उपकरण पर मूल्यहास पच्चीस वर्षों की अवधि में 10 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के साथ प्रत्यक्ष सरिखन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

iv) प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्ष की अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर मुहैया कराया जाता है।

ड) अस्थायी निर्माण पर मूल्यहास अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है।

च) रुपए 5000/- या उससे कम लेकिन रुपए 750/- से अधिक मूल्य की सभी संपत्ति का मूल्यहास, मूर्त वस्तुओं के लिए 1/- रुपए और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शून्य डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तु, जो संपत्ति (अचल परिसंपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/- तक है, पूंजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या विद्युत संयंत्र के जीवनकाल (जलविद्युत परियोजना के मामले में 40 वर्ष तथा सौर और पवन परियोजनाओं के मामले में 25 वर्ष) जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, लीज की अवधि या विद्युत संयंत्र के जीवनकाल (जलविद्युत परियोजना के मामले में 40 वर्ष तथा सौर और पवन परियोजनाओं के मामले में 25 वर्ष), जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ज) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य हास प्रदान किया जाता है।

ट) जल विद्युत परियोजना के मामले में उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 40 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से प्रारंभ होता है। अन्य अमूर्त आस्तियों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि के दौरान या संबंधित संयंत्र के जीवन काल में, जो भी कम हो, किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों के परिशोधन की अवधि और पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यहास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया अपरिशोधित शेष का मूल्यहास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से-पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्य हास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यहास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यहास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

## 16.0 वस्तु सूची को छोड़ कर गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करती है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट-(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है। निपटान के उचित मूल्य घटा लागन का निर्धारण केवल तब किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली यूनिट (सीजीयू) की वहन राशि उपयोग के मूल्य से अधिक हो।

- ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।
- घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेधाज्ञा की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/ निषेधाज्ञा के वापिस के लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- ङ) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यहास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

### 17.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

#### क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

#### ख) आस्थगित कर

- आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन-देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करती है।
- आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों

- को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करती है।
- iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।
  - v) आस्थगित आयकर आस्तियों और देयताओं की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देयताओं के प्रति वर्तमान कर आस्तियों को समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर आस्तियां और देयताएं एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।
  - vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/ डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।
  - vii) जब आयकर सुधारों के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर सुधार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर सुधारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करती है।

### 18.0 तृतीय पक्षकारों से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति / सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

### 19.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एस 108 - प्रचालनरत सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेगमेंट की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य संचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप है।

### 20.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में कंपनी यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए कंपनी निम्नांकित आकलन करती है कि क्या कंपनी को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा क्या कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने

का अधिकार है। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के लिए कंपनी को संपत्ति के संचालन का अधिकार होता है; या कंपनी ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष एकल कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित करती है। हालांकि, भूमि और भवनों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, कंपनी ने गैर-लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर-लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i) **कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :**

कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू-विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों का मूल्यहास/परिशोधन आरंभन की तारीख से लेकर अंतर्निहित आस्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है, यदि पट्टे द्वारा अवधि के अंत तक अंतर्निहित आस्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों की लागत यह दर्शाती है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों का मूल्यहास/परिशोधन प्रारम्भ तारीख से लेकर सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि और अंतर्निहित आस्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, पर किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान ही निर्धारित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों का वसूली के लिए मूल्यांकन तब किया जाता है जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि उनकी अग्रणीत राशि वसूलीयोग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूलीयोग्य राशि (अर्थात् निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो) को व्यक्तिगत आस्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि आस्ति ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य आस्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूलीयोग्य राशि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे आस्ति संबंधित होती है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें पट्टे में निहित ब्याज दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। भविष्य के पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान शामिल होते हैं, जिसमें सारभूत निश्चित भुगतान, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ और किसी विक्रय विकल्प के तहत अभ्यास मूल्य शामिल होता है जिसके बारे में कंपनी युक्तियुक्त रूप से निश्चित है कि उसका प्रयोग किया जाएगा या पट्टे की समयपूर्व

समाप्ति के लिए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, जब तक कि कंपनी युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि उसकी समयपूर्व समाप्ति नहीं होगी।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करती है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को तुलनपत्र में एक पृथक समान मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। कंपनी इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष संरिखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

## ii. कंपनी एक पट्टादाता के रूप में :

कंपनी जब पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

जहां कंपनी एक दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) को पट्टा होने या उसमें शामिल होने के लिए निर्धारित करता है और जहां ऑफ टेकर के पास कंपनी के साथ अपनी संविदात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्युत संयंत्र के स्वामित्व का पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल होता है, तो ऐसी व्यवस्था को वित्तीय पट्टा माना जाता है। वित्तीय पट्टे की प्रकृति में निहित पट्टों के लिए, विद्युत स्टेशन में निवेश को पट्टा प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान संविदा राशियों से निहित पट्टा प्राप्तियों को अलग करके की जाती है (जिसमें 31 मार्च 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2004-09 के अनुसार मान्यता प्राप्त मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम (एएडी) शामिल है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है)। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य और वित्तीय पट्टा आय (प्रचालनों से राजस्व का भाग बनने वाली) के बीच आवंटित किया जाता है ताकि बकाया पट्टा प्राप्य पर रिटर्न की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्तियों पर आशंकित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ते को मान्यता देते हुए इंड-एस 109-वित्तीय साधनों की हानि की अपेक्षाओं को लागू करती है।

क्रेडिट-हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसके लिए ब्याज आय की गणना उनकी परिशोधन लागत (यानी हानि भत्ते की कटौती के बाद) के संदर्भ में की जाती है, को छोड़ कर, वित्त पट्टा आय की गणना लीज प्राप्तियों की सकल वहन राशि के संदर्भ में की जाती है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को लागू करती है।

प्रचालनरत पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टों से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।

## 21.0 व्यवसाय संयोजन

- (i) व्यवसाय संयोजनों को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है, अधिग्रहण की तारीख कंपनी को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। अधिग्रहण में अंतरित मूल्य और अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। गुडविल को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई निवल पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है। जहां अधिगृहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागतों को वहन किए गए व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।
- (ii) कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से जुड़े व्यावसायिक संयोजनों का लेखाकरण हितों के संयोजन की विधि का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें संयोजित संस्थाओं की आस्तियों और देनदारियों को उनकी अग्रणीत राशि पर दर्शाया जाता है तथा उचित मूल्य को दर्शाने या किसी नई आस्ति या देनदारियों को मान्यता देने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। किए गए समायोजन केवल लेखांकन नीतियों को सुसंगत बनाने के लिए किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, जिसमें संयोजन की वास्तविक तिथि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालाँकि, जहाँ व्यवसाय संयोजन उस तारीख के बाद हुआ था, वहाँ पूर्व अवधि की जानकारी को केवल उसी तारीख से पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित प्रतिधारित आय के शेष को हस्तांतरित की वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित संगत शेष के साथ संयोजित किया जाता है। आरक्षित निधियों की पहचान सुरक्षित रखी जाती है तथा हस्तांतरणकर्ता के आरक्षित निधियाँ हस्तांतरित की आरक्षित निधियाँ बन जाती हैं। जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशियों तथा नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच का अंतर, यदि कोई हो, पूंजी आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा अन्य पूंजी आरक्षित निधियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

## 22.0 पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियाँ

पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यवहार्य नवीनतम तिथि से समायोजित किया जाता है।

### 23.0 प्रति शेयर अर्जन

क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।

ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और तनुकृत आय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

### 24.0 नकदी प्रवाह का विवरण

#### क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत "उधारी" के भीतर दिखाए जाते हैं।

ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एस 7- 'नकदी प्रवाहों के विवरण', में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार, तैयार किया गया है।

### 25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित्त किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

## 26.0 विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियां

कंपनी गैर-चालू आस्तियों और निपटान समूहों को विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के स्थान पर विक्रय के माध्यम से वसूल की जाएगी और विक्रय को अत्यधिक संभावित माना जाता है। इस संबंध में संकेतकों में शामिल है कि क्या प्रबंधन विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है, क्या ऐसी बिक्री विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी होने की आशा है और क्या विक्रय की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यह संकेत देती है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है या योजना को वापस ले लिया जाएगा। विक्रय के लिए धारित गैर-चालू आस्तियों और निपटान समूहों का मापन उनकी वहन राशि और उनके उचित मूल्य में से कम पर किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण है, तो मान्यताप्राप्त मूल्य से निपटान की लागत घटा दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त आस्तियां एक बार विक्रय के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, उनका मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

## 27.0 तुलन-पत्र तिथि के बाद घटित घटनाएँ:

तुलन-पत्र तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं, जो तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान स्थितियों से संबंधित राशियों के निर्धारण को भौतिक रूप से प्रभावित करने वाली अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती हैं, के प्रभाव को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों में समायोजित किया जाता है।

कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को रिपोर्टिंग वर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली घटनाओं या स्थितियों के प्रभाव को दशानि के लिए समायोजित नहीं करती है।

तुलन-पत्र तिथि के बाद घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है।

## 28.0 विविध

क) समान मर्दों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मर्दों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, कंपनी द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

### तुलन-पत्र के अनुलग्नक के रूप में हस्ताक्षरित

	कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से	हस्ता./-	हस्ता./-
<b>कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स</b>	<b>(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)</b>	<b>(रमेश मुखिया)</b>	
चार्टर्ड एकाउंटेंट	निदेशक	प्रबंध निदेशक	
(फर्म पंजीकरण संख्या 019636एन)	डीआईएन संख्या	डीआईएन संख्या	
	08645380	10415607	
हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	
<b>(सीए विनय जामवाल)</b>	<b>(संजय कुमार गुप्ता)</b>	<b>(सुधीर आनंद)</b>	
साझेदार	महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव	
सदस्यता सं. 502417		एफसीएस 7050	

स्थान – जम्मू

दिनांक : 08 मई, 2025

टिप्पणी सं. 2.1 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	5267.45		4886.88				10154.33				0.00	10154.33	5267.45
ii)	सड़कें और पुल	5486.29		94.75			-3.96	5577.08	782.74	186.60		969.34	4607.74	4703.55
iii)	भवन	2926.41		227.96			-8.60	3145.77	1311.29	263.72	-6.72	1568.29	1577.48	1615.12
iv)	रेलवे साइडिंग							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	1019.87						1019.87	110.54	53.79		164.33	855.54	909.33
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	446.14						446.14	50.99	23.56		74.55	371.59	395.15
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	276.75		9.33				286.08	52.13	14.98		67.11	218.97	224.62
x)	निर्माण उपकरण	1.08		0.06				1.14	0.05	0.02		0.07	1.07	1.03
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	64.79		38.87			-0.66	103.00	7.80	2.66		10.46	92.54	56.99

xii)	विद्युत प्रतिष्ठान							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
xiii)	वाहन	181.28				24.56		156.72	103.53	12.62	-21.10	95.05	61.67	77.75
xiv)	विमान/नौकाएं							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
xv)	फ़र्नीचर व फिक्सचर	577.70		194.02		38.06	-0.82	732.84	203.34	58.74	-5.77	256.31	476.53	374.36
xvi)	कम्प्यूटर	689.49		152.60		37.92	-0.02	804.15	401.51	124.06	-24.48	501.09	303.06	287.98
xvii)	संचार उपकरण	18.66		30.20		5.67		43.19	7.44	7.96	-0.76	14.64	28.55	11.22
xviii)	कार्यालय उपकरण	1157.98		309.85		25.86	-0.09	1441.88	403.61	104.27	-5.06	502.82	939.06	754.37
	<b>कुल</b>	<b>18113.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5944.52</b>	<b>0.00</b>	<b>132.07</b>	<b>-14.15</b>	<b>23912.19</b>	<b>3434.97</b>	<b>852.98</b>	<b>-63.89</b>	<b>4224.06</b>	<b>19688.13</b>	<b>14678.92</b>
	<b>गत वर्ष</b>	13452.81	23.88	4757.70	23.88	90.72	-5.89	<b>18113.89</b>	2720.19	739.49	-24.71	3434.97	14678.92	10732.62

टिप्पणी:-

2.1.1 (क) 31 मार्च 2025 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख:-

	तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		भूमि (38.15 हैक्टेयर)	4669.50	सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का म्यूटेशन। सहायक आयुक्त राजस्व के पत्र के अनुसार, भूमि फ्रीहोल्ड है और सीवीपीपीएल (कार) को कब्जा सौंप दिया गया है।
		भवन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**(ख) 31 मार्च 2024 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख:-**

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (38.15 हैक्टेयर)	4667.45	सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का म्यूटेशन। सहायक आयुक्त राजस्व के पत्र के अनुसार, भूमि फ्रीहोल्ड है और सीवीपीपीएल (कार) को कब्जा सौंप दिया गया है।
	भवन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2.1.2 समायोजन कॉलम के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में राज्य कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले 9% एसजीएसटी दावे और अनंतिम देयताओं/पूंजीकरण की तुलना में अंतिम भुगतान/निपटान के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में समायोजन की राशि शामिल है।

2.1.3 पिछले जीएएपी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक और संचित मूल्यहास के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुलग्नक-1 के रूप में प्रदान किया गया है।

2.1.4 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फ्री होल्ड भूमि में वृद्धि में पकल दुल जल विद्युत परियोजना के लिए दिए गए भूमि अधिग्रहण से संबंधित 4884.83 लाख रुपये शामिल हैं। भूमि का दाखिला खारिज वर्तमान में संबंधित कलेक्ट्रेट में प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुलग्नक-।

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	अभिवृद्धि		कम		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	5267.45	0.00	4886.88	0.00	0.00	0.00	10154.33	0.00		0.00	0.00	10154.33	5267.45
ii)	सड़कें और पुल	5477.58	0.00	94.75	0.00	0.00	-3.96	5568.37	774.03	186.60	0.00	960.63	4607.74	4703.55
iii)	भवन	3021.80	0.00	227.96	0.00	0.00	-8.60	3241.16	1406.68	263.72	-6.72	1663.68	1577.48	1615.12
iv)	रेलवे साइडिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	1018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	1018.57	109.25	53.78	0.00	163.03	855.54	909.33
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.14	50.99	23.56	0.00	74.55	371.59	395.15
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	280.56	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	289.88	55.94	14.97	0.00	70.91	218.97	224.62
x)	निर्माण उपकरण	17.45	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	17.51	16.42	0.02	0.00	16.44	1.07	1.03
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	64.79	0.00	38.87	0.00	0.00	-0.66	103.00	7.80	2.66	0.00	10.46	92.54	56.99
xii)	विद्युत प्रतिष्ठान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xiii)	वाहन	201.48	0.00	0.00	0.00	34.42	0.00	167.06	123.73	12.62	-30.96	105.39	61.67	77.75
xiv)	विमान/नौकाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xv)	फर्नीचर व फिक्सचर	606.90	0.00	194.02	0.00	38.06	-0.82	762.04	232.54	58.74	-5.77	285.51	476.53	374.36
xvi)	कम्प्यूटर	732.70	0.00	152.60	0.00	50.44	-0.02	834.84	444.72	124.06	-37.00	531.78	303.06	287.98
xvii)	संचार उपकरण	18.44	0.00	30.20	0.00	5.66	0.00	42.98	7.22	7.96	-0.75	14.43	28.55	11.22
xviii)	कार्यालय उपकरण	1221.09	0.00	309.85	0.00	26.16	-0.09	1504.69	466.72	104.27	-5.36	565.63	939.06	754.37
	<b>कुल</b>	<b>18374.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5944.51</b>	<b>0.00</b>	<b>154.74</b>	<b>-14.16</b>	<b>24150.57</b>	<b>3696.04</b>	<b>852.96</b>	<b>-86.56</b>	<b>4462.44</b>	<b>19688.13</b>	<b>14678.92</b>
	<b>गत वर्ष</b>	13714.63	23.88	4757.70	23.88	91.48	-5.90	<b>18374.96</b>	2982.01	739.49	-25.47	3696.04	14678.92	10732.62

टिप्पणी सं. 2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31 मार्च, 2025 के अनुसार
i)	सड़कें और पुल	7635.84	2052.49	(1.33)	94.76	9592.24
ii)	भवन	83160.26	36274.72	(0.80)	222.62	119211.56
iii)	भवन- पट्टे के अधीन	-				-
iv)	रेलवे साइडिंग	-				-
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	199431.49	242573.21	(73.21)		441931.49
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	71234.43	36029.91	(9.96)		107254.38
vii)	संयंत्र और मशीनरी - सब स्टेशन	31.35		(10.88)		20.47
viii)	संयंत्र और मशीनरी - पारेषण लाइनें	1075.68	2053.27	10.88		3139.83
ix)	संयंत्र और मशीनरी - अन्य	-				-
x)	निर्माण उपकरण	-				-
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	37.50	24.47		16.41	45.56
xii)	कम्प्यूटर	-				-
xiii)	संचार उपकरण	-				-
xiv)	कार्यालय उपकरण	-	52.06			52.06
xv)	स्थापना की प्रतीक्षारत परिसंपत्तियां	-	8.51			8.51
xvi)	सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किमी योजना के अधीनपरिसंपत्तियां	-				-
xvii)	सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण शुल्क	4056.23	107.56			4163.79
xviii)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय	-				-
xvix)	निर्माण को आरोप्य व्यय (टिप्पणी-32 देखें)	124687.11	24777.22	(6.80)		149457.53
	घटाएं : प्रदान किया गया पूंजीगत कार्य (टिप्पणी-2.2.4 देखें)	-				-
	<b>उप जोड़ (क)</b>	<b>491349.89</b>	<b>343953.42</b>	<b>(92.10)</b>	<b>333.79</b>	<b>834877.42</b>
	निर्माण भंडार	1.22			-	1.22
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-			-	-
	<b>उप जोड़ (ख)</b>	<b>1.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.22</b>
	<b>कुल</b>	<b>491351.11</b>	<b>343953</b>	<b>(92)</b>	<b>333.79</b>	<b>834878.64</b>
	गत वर्ष	297673.82	195296.41	(18.11)	1601.00	491351.11

**2.2.1 (क) 31 मार्च 2025 को सीडबल्यूआईपी का एजिंग शैड्यूल**

सीडबल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	3,43,527.53	2,00,719.23	1,04,268.54	1,86,363.34	8,34,878.64
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
<b>कुल</b>	3,43,527.53	2,00,719.23	1,04,268.54	1,86,363.34	8,34,878.64

**(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 के अनुसार सीडबल्यूआईपी का समापन शैड्यूल**

सीडबल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पकल दुल जल विद्युत परियोजना	-	-	-	5,42,843.74	5,42,843.74
किरु एचईपी	-	2,24,293.81	-	-	2,24,293.81
<b>कुल</b>	-	2,24,293.81	-	5,42,843.74	7,67,137.55

**2.2.2 (क) 31 मार्च 2024 को सीडबल्यूआईपी का एजिंग शैड्यूल**

सीडबल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	1,93,677.30	1,10,131.74	58,418.22	1,29,123.85	4,91,351.11
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
<b>कुल</b>	1,93,677.30	1,10,131.74	58,418.22	1,29,123.85	4,91,351.11

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी का समापन शैड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पकल दूल एचईपी			3,27,565.77		3,27,565.77
किरु एचईपी		1,29,093.64			1,29,093.64
<b>कुल</b>	-	1,29,093.64	3,27,565.77	-	4,56,659.41

- 2.2.3 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के प्रति 5944.13 लाख रुपए (गत वर्ष 3,153.80 रुपए) शामिल है।
- 2.2.4 उपयोग के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि-उपयोग का अधिकार" पर सृजित 28717.49 लाख रुपए (पिछली अवधि 23,223.49 लाख रुपए) के भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2.2.5 संबंधित उधारों के लिए बैंकों के पास सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों की जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(8) देखें।
- 2.2.6 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।
- 2.2.7 समायोजन कॉलम के तहत दिखाई गई राशि में राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को "संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाओं में वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग पर राज्य माल और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" योजना के संदर्भ में 9% एसजीएसटी के संबंध में दावे की राशि शामिल है, जिसे वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचना का.आ. 281 दिनांक 17.08.2021 और अंतर शीर्ष समायोजन आदि के तहत अधिसूचित पकल दूल, किरु और क्कार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए अधिसूचित किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	37674.36		48.15		1.82		37720.69	4700.08	908.85	0.00	5608.93	32111.76	32974.28
ii)	भवन	153.27		70.83		118.35		105.75	113.96	35.36	-118.34	30.98	74.77	39.31
iii)	निर्माण उपकरण	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	वाहन	209.85		56.18		22.61		243.42	160.04	38.46	-12.80	185.70	57.72	49.81
v)	सोलर पार्क	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi)	भूमि-उपयोग का अधिकार	45751.99						45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	45751.99
	<b>कुल</b>	<b>83789.47</b>	<b>0</b>	<b>175.16</b>	<b>0</b>	<b>142.78</b>	<b>0</b>	<b>83821.85</b>	<b>4974.08</b>	<b>982.67</b>	<b>-131.14</b>	<b>5825.61</b>	<b>77996.24</b>	<b>78815.39</b>
	<b>गत वर्ष</b>	83742.71	0.00	49.31	0.00	1.10	-1.45	<b>83789.47</b>	3932.81	1041.27	0.00	4974.08	78815.39	79809.90

टिप्पणी:-

2.3.1	(क) 31 मार्च 2025 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख/ पट्टा विलेख/ म्यूटेशन :-					
तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति - पट्टाधारी	भूमि (177.8175 हैक्टेयर)	24,256.16	सीवीपीपीएल (पकल टूल एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2015-16 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए पकल टूल एचईपी, सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड और म्यूटेशन दर्ज किया गया है।
	भूमि (92.9575 हैक्टेयर)	13,464.52	सीवीपीपीएल (किरू एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2017-18 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए किरू एचईपी, सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड और म्यूटेशन दर्ज किया गया है।

(ख) 31 मार्च 2024 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख/ पट्टा विलेख/ म्यूटेशन :-						
तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति - पट्टाधारी	भूमि (177.8175 हैक्टेयर)	24,209.84	सीवीपीपीएल (पकल दूल एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2015-16 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए पकल दूल एचईपी, सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड और म्यूटेशन दर्ज किया गया है।
	भूमि (92.9575 हैक्टेयर)	13,464.52	सीवीपीपीएल (किरू एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2017-18 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए किरू एचईपी, सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड और म्यूटेशन दर्ज किया गया है।

(ग) भूमि - उपयोग का अधिकार में वन भूमि शामिल है जिसे केवल परियोजना के उपयोग के लिए राज्य वन विभाग द्वारा विपथित(डायवर्टेड) किया गया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.3.3 संपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुलग्नक-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुलग्नक- 1 संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समा योजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	37674.36	0.00	48.15	0.00	1.82	0.00	37720.69	4700.08	908.85	0.00	5608.93	32111.76	32974.28
ii)	पट्टे के अधीन भवन	153.27	0.00	70.83	0.00	118.35	0.00	105.75	113.96	35.36	-118.34	30.98	74.77	39.31
iii)	निर्माण उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	वाहन	209.85	0.00	56.18	0.00	22.61	0.00	243.42	160.04	38.46	-12.80	185.70	57.72	49.81
v)	सोलर पार्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi)	भूमि-उपयोग का अधिकार	45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	45751.99
	<b>कुल</b>	<b>83789.47</b>	<b>0.00</b>	<b>175.16</b>	<b>0.00</b>	<b>142.78</b>	<b>0.00</b>	<b>83821.85</b>	<b>4974.08</b>	<b>982.67</b>	<b>-131.14</b>	<b>5825.61</b>	<b>77996.24</b>	<b>78815.39</b>
	<b>गत वर्ष</b>	83742.71		49.31		1.10	-1.45	<b>83789.47</b>	3932.81	1041.27	0.00	4974.08	78815.39	79809.90

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	एकमुश्त शुल्क	0.00						0.00				0.00	0.00	0.00
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	204.20		10.06				214.26	124.80	36.27	-1.97	159.10	55.16	79.40
	<b>कुल</b>	<b>204.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.26</b>	<b>124.80</b>	<b>36.27</b>	<b>-1.97</b>	<b>159.10</b>	<b>55.16</b>	<b>79.40</b>
	पिछले वर्ष	115.16		89.03				204.20	100.19	24.61		124.80	79.40	14.97

टिप्पणी :- 2.5.1 अमूर्त परिसंपत्ति का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुलग्नक-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध 1 - अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक							परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	एकमुश्त शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	204.18	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	214.23	124.78	36.27	-1.98	159.07	55.16	79.40
	<b>कुल</b>	<b>204.18</b>	<b>0.00</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.23</b>	<b>124.78</b>	<b>36.27</b>	<b>-1.98</b>	<b>159.07</b>	<b>55.16</b>	<b>79.40</b>
	पिछले वर्ष	115.15		89.03				204.18	100.18	24.61	-0.01	124.78	79.40	14.97

टिप्पणी सं. 2.6 - विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति						(लाख रुपये में)
क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2024 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31 मार्च, 2025 के अनुसार
(I)	विकास के अधीन कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	106.42				106.42
(II)	एकमुश्त शुल्क	-				-
	<b>उप जोड़</b>	106.42	-	-	-	106.42
	घटाएं : प्रावधान किए गए विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-				-
	<b>कुल</b>	<b>106.42</b>	-	-	-	<b>106.42</b>
	गत वर्ष	106.42	-	-	-	106.42
2.6.1	<b>31 मार्च 2025 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची</b>					
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	प्रगतिधीन परियोजनाएं					-
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
	<b>कुल</b>	-	-	-	-	-
2.6.2	<b>31 मार्च 2025 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची</b>					
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित में पूर्ण किया जाना है				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
						-
						-
	<b>कुल</b>	-	-	-	-	-
2.6.3	<b>31 मार्च 2024 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची</b>					
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	प्रगतिधीन परियोजनाएं		106.42			106.42
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
	<b>कुल</b>	-	<b>106.42</b>	-	-	<b>106.42</b>
2.6.4	<b>31 मार्च 2024 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची</b>					
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	में पूरा किया जाना है				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
						-
						-
	<b>कुल</b>	-	-	-	-	-

**टिप्पणी सं. 3.1 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश**

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
कुल		

**टिप्पणी सं. 3.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार**

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
व्यापार प्राप्य – अच्छे समझे गए – अप्रतिभूत (देखें टिप्पणी 3.2.1, 3.2.2 और 3.2.3)	-	-
कुल	-	-
3.2.1 व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 3.2 का अनुबंध-1 देखें।		
3.2.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी एक द्वारा अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिनमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
3.2.3 कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य
3.2.4 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) का संदर्भ लें।		

टिप्पणी सं. 3.3 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	<b>परिशोधित लागत पर</b>		
क.	संबंधित पार्टी को ऋण - ऋण बाधित अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
ख.	कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी 3.3.2 और 3.3.3 देखें)		
	- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	8.66	8.32
	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	94.55	80.38
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए हानि भत्ते (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	103.21	88.70
ग.	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता		
	- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	-	-
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि भत्ते (टिप्पणी 3.3.5 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
घ.	ग्राहक से बकाया के निपटान में राज्य सरकार		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ते (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
ङ.	सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.7 देखें)		
	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
	<b>कुल</b>	103.21	88.70
3.3.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
3.3.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(8) देखें)		
3.3.3	संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि		

	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.4	संदिग्ध कर्मचारी ऋणों के लिए अनुमेय हानि		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.5	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिम के लिए अनुमेय हानि		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.6	राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.7	व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदत्त सरकार को ऋण		
	- मूल धन	-	-
	- ब्याज	-	-
3.3.8	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
3.3.9	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
3.3.10	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 3.4 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य			(लाख रुपये में)	
	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
क.	सुरक्षा जमा			
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	138.72	18.44	
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-	
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.4.1 देखें)	-	-	
	<b>उप जोड़</b>	138.72	18.44	
ख.	12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि (देखें टिप्पणी 3.4.2)	4,682.43	-	
ग.	प्राप्य पट्टा किराया	-	-	
घ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि	-	-	
ङ.	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-	
च.	निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :			
	- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	0.01	-	
छ.	व्युत्पन्न मार्क टू मार्केट परिसंपत्ति	-	-	
ज.	हेज की गई संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न आस्ति	-	-	
झ.	विलंब भुगतान प्रभार के कारण प्राप्य	-	-	
ञ.	गारंटी शुल्क के कारण प्राप्य	-	-	
ट.	वसूलीयोग्य राशि	-	-	
ठ.	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि	-	-	
	- अनुषंगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम (देखें टिप्पणी 3.4.4)	-	-	
	घटाएं - आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के लिए अनुमेय हानि	-	-	
	<b>उप जोड़</b>	-	-	
	<b>कुल</b>	<b>4,821.16</b>	<b>18.44</b>	
<b>3.4.1</b>	<b>संदिग्ध जमाओं के लिए हानि भत्ते</b>			
	प्रारंभिक शेष	-	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि			
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त			
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित			
	अंतिम शेष	-	-	

**3.4.2** 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक जमा में 46,82,43,000/- रुपए के एफडीआर शामिल है, जो विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी के लिए 100% मार्जिन राशि प्रदान करने के लिए ली गई है।

**3.4.3** सुरक्षा के रूप में बंधक/रेहन रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(9) का संदर्भ लें।

**3.4.4 आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के लिए अनुमेय हानि**

प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
अंतिम शेष	-	-

**3.4.5** शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) का संदर्भ लें।

टिप्पणी सं. 4 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			(लाख रुपये में)
विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
<b>क.</b>	<b>पूँजी अग्रिम</b>		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	1,142.70	3,664.15
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
	- बैंक गारंटी के प्रति	16,611.66	25,922.99
	- अन्य	28,617.31	19,925.52
	घटाएं - उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित होने के चलते बुक किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 4.1 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>46,371.67</b>	<b>49,512.66</b>
<b>ख.</b>	<b>पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम</b>		
i)	<b>जमा</b>		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.2 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ग.</b>	<b>अर्जित ब्याज</b>		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	132.22	1,754.32
<b>घ.</b>	<b>अन्य</b>		
i)	पूँजीगत कार्यों के लिए माध्यस्थ पंचाट के प्रति अग्रिम (अप्रतिभूत)		
	संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	संविदाकारों को जारी - अन्य	-	-
	न्यायालय के साथ जमा	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ii)	पूर्वप्रदत्त व्यय	34.53	-
iii)	गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		
	स्रोत पर कटौती किए गए कर सहित अग्रिम आयकर	-	-
	घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	-
	गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी 23 देखें)	317.20	11.03
	<b>उप जोड़</b>	<b>317.20</b>	<b>11.03</b>
iv)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत		
	कुल		
<b>4.1</b>	<b>संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	31.89	24.51
	अंतिम शेष		
		<b>46,887.51</b>	<b>51,302.52</b>
<b>4.2</b>	<b>संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
<b>4.3</b>	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम।	शून्य	शून्य
<b>4.4</b>	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
<b>4.5</b>	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 5 मालसूची

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित)			
	भंडार और कलपुर्जे	-	-
	पारगमन में होने वाले/निरीक्षण लंबित भंडार	-	-
	खुले उपकरण	-	-
	स्थल पर सामग्री	-	-
	संविदाकारों/फैब्रिकेटर को जारी की गई सामग्री	-	-
	कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ प्रमाणित कार्बन यूनिट (वीसीयू) (कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों के मात्रात्मक ब्यौरों के टिप्पणी 34(30) देखें।	-	-
	<b>कुल</b>	-	-
	घटाएं : अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-
5.1	अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 5.1.1 देखें)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (टिप्पणी 5.1.2 देखें)		
	अंतिम शेष	-	-
5.1.1	वर्ष के दौरान, मालसूची को निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) पर पञ्चलेखित किया गया और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।	-	-
5.1.2	पिछले वर्षों में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और मूल्यहास के लिए भत्ते।	-	-

टिप्पणी सं. 6 वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
उद्धृत ऋण लिखत : अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर		-	-
सरकारी प्रतिभूति		-	-
<b>कुल</b>			
6.1.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिपक्व होने वाले बॉण्डों के प्रति निर्दिष्ट प्रतिभूति के लिए टिप्पणी 3.1.2 देखें।			

टिप्पणी सं. 7 वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	- व्यापार प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 और 7.8 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य-बिल नहीं किए गए - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 और 7.7 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य- क्रेडिट बाधित (टिप्पणी 7.3 और 7.5 देखें)	-	-
	घटाएं : व्यापार प्राप्य के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 7.1 देखें)	-	-
	<b>कुल</b>	-	-
7.1	व्यापार प्राप्य के लिए अनुमेय हानि		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
7.2	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी ने बिल न किए गए देनदारों के संबंध में किसी क्षति हानि को मान्यता प्रदान नहीं की है।		
7.3	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के साथ या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	-	-
7.4	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	-	-
7.5	व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-7 का अनुबंध-। देखें।		
7.6	निम्नलिखित के कारण प्राप्यों को दर्शाता है		
	इक्विटी पर रिटर्न का सकलीकरण		
	जल उपकरण		
	मार्च माह के लिए बिल नहीं की गई बिक्री		
	पुनर्वित्तपोषण और बॉन्ड जारी करने के खर्चों के कारण बचत		
	मूर्त रूप दिए गए आस्थगित कर सहित कर समायोजन		
	ऊर्जा की कमी		
	माल एवं सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव		
	विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन		
	संचालन एवं रखरखाव तथा सुरक्षा व्यय - नए टैरिफ विनियमन 2019-24 के अनुसार वृद्धि		
	परियोजना अवधि में परिवर्तन के कारण मूल्यहास		
	मजदूरी संशोधन		
	बिल नहीं किया गया देनदार - विद्युत व्यापार व्यवसाय		
	2014-19 के टूटिंग अप और 2019-24 के लिए दायर याचिका का प्रभाव		
	अन्य	-	-
	<b>कुल</b>	-	-
7.7	वर्तमान प्राप्तियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनकी वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान मानी जाती है।		
7.8	विभिन्न बैंकों से बिलों की छूट के माध्यम से परिसमाप्त किए गए 'शून्य (पिछले वर्ष 'शून्य) की राशि के व्यापार प्राप्य को बिल छूट समझौते की शर्तों के मद्देनजर अमान्य नहीं किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों द्वारा चूक के मामले में होने वाले ऋण घाटे के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देती है। छूट वाले बिलों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयता के संबंध में टिप्पणी 20.1.1 देखें।		
7.9	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं.8 वर्तमान- वित्तीय परिसंपत्तियां - नकद और नकदी समकक्ष

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.	बैंकों के साथ शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i)	- चालू खाते में	4,103.27	2,582.97
ii)	- जमा खाते में		
	(तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)	-	26,000.00
iii)	- चालू खाते में - बैंकों के साथ अन्य निर्दिष्ट शेष (देखें टिप्पणी 8.2)		
	अन्य बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	बैंक ऑफ भूटान	-	-
ख.	चेक, हस्तगत ड्राफ्ट	-	-
ग.	हस्तगत नकदी (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	-
	<b>कुल</b>	<b>4,103.27</b>	<b>28,582.97</b>

8.1	हस्तगत स्टाम्प शामिल है।	-	-
8.2	इसमें वे शेष राशियाँ शामिल हैं जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं:-	-	-
	(i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखी गई।	-	-
	<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी 9: वर्तमान -वित्तीय परिसंपत्तियां - नकद और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.	3 महीने से अधिक 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा (देखें टिप्पणी 9.1)	2,811.00	2,811.00
ख.	बैंकों के साथ निर्दिष्ट शेष		
	जमा-अदा न किया गया लाभांश (टिप्पणी 9.2 और 9.3 देखें)	-	-
	जमा-अदा न किया गया मूलधन/ ब्याज	-	-
	अन्य (टिप्पणी 9.2 और 9.3 देखें)	-	-
	<b>कुल</b>	<b>2,811.00</b>	<b>2,811.00</b>

9.1 कंपनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं होने वाले शेष शामिल है।

	(i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखी गई।	-	-
--	--	---	---

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.	संबंधित पक्ष को ऋण (उस पर ब्याज सहित) - अप्रतिभूत (टिप्पणी 34(8), 10.1 देखें)	-	-
	- ऋण प्राप्य (अच्छे माने गए)	-	-
	- ऋण प्राप्य- ऋण बाधित	-	-
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी 10.3 देखें)		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	1.38	1.56
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	121.60	87.94
	- ऋण बाधित- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	122.98	89.50
ग.	ग्राहक से देय राशि के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		
	- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	सहायक कंपनियों /संयुक्त उद्यमों को अग्रिम	-	-
	कुल	122.98	89.50
10.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	-	-
10.3	संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
10.4	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए हानि भत्ता	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
10.5	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
10.6	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
10.7	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 11 - वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.	सुरक्षा जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	119.28
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत		
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 11.1 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	<b>119.28</b>
ख.	निम्नलिखित से वसूली योग्य राशि		
	- बीमा कंपनी	-	-
	- कर्मचारी लाभ न्यास	-	-
	- अन्य (टिप्पणी 11.2 देखें)	47,664.60	26,032.77
	<b>उप जोड़</b>	47,664.60	26,032.77
	घटाएं: संदिग्ध वसूली योग्य राशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.3 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	47,664.60	26,032.77
ग.	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	-
घ.	विलंबित भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	-	-
	घटाएं : विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों पर क्षति भत्ता (टिप्पणी 11.4 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
ङ	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) (टिप्पणी 34(15) देखें)	-	-
च.	बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज आय (टिप्पणी 11.5 देखें)	5.24	51.76
छ.	वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
ज.	लाभार्थी से वसूली योग्य ब्याज	-	-
झ.	निवेश पर अर्जित ब्याज (बांड)	-	-
ञ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि		
	- मूलधन	-	-
	- प्रोद्भूत ब्याज	-	-
ट.	ग्राहकों से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर अर्जित ब्याज	-	-
ठ.	व्युत्पन्न(डेरिवेटिव) मार्क से बाजार परिसंपत्ति	-	-
ड.	हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न परिसंपत्ति	-	-
ढ.	गारंटी शुल्क के कारण प्राप्य	-	-
ण	मूल कंपनी - एनएचपीसी लिमिटेड से वसूली योग्य दावा	-	-
	<b>कुल</b>	<b>47,669.84</b>	<b>26,203.81</b>
11.1	संदिग्ध जमा पर क्षति भत्ता		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-

11.2	<p>वसूली योग्य राशि - इसमें राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को " केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य के सामान और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" संबंधी प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि शामिल है, जो कश्मीर में पकलदुल एचईपी, किरु एचईपी और ऋार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसओ 281 दिनांकित 17.08.2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) पर इसके द्वारा अदा की गई नकदी सहित कंपनी के जीएसटीआर 2ए में प्रदर्शित आपूर्तिकारों के बीजकों की सीमा तक है। जहां भी राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि को पहले के वर्षों में पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी की लागत के रूप में बुक किया गया था, उसे भी पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के अनुरूप समायोजन के बाद वसूली योग्य राशि में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2025 तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की 61.92 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है और उक्त टिप्पणी 11 में दर्शाई गई राशि राज्य सरकार से प्राप्त राशि के समायोजन के पश्चात है।</p>	47,458.01	25,861.70
11.3	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.4	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.5	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर अर्जित ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	शून्य	शून्य
11.6	सुरक्षा के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(9) देखें।		
11.7	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 12 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	<b>वर्तमान कर परिसंपत्ति</b>		
क.	स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	-
ख.	घटाएं : वर्तमान कर का प्रावधान	-	-
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क-ख)	-	-
	वर्तमान कर	-	-
	<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी सं. 13.1 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
क)	जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	16.38	-
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा उठाई गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.1 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>16.38</b>	<b>-</b>
ख)	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी 13.1.8 देखें)		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	103.89	134.62
	घटाएं - उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने पर बुक किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.2 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>103.89</b>	<b>134.62</b>
ग)	अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 13.1.7 देखें)	0.39	1.93
	<b>उप जोड़</b>	<b>0.39</b>	<b>1.93</b>
घ)	अर्जित ब्याज		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	1880.94	187.74
	- संदिग्ध माने गए	-	-
	घटाएं : संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.3 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>1880.94</b>	<b>187.74</b>
ख.	अन्य		

क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		
	घटाएँ : बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.4 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
ख)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षारत हानियाँ	-	-
	घटाएँ : लंबित जांच/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.5 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
ग)	प्रगतिधीन कार्य	-	-
	प्रगतिधीन निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
	प्रगतिधीन परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
घ)	पूर्व-प्रदत्त व्यय	98.66	72.46
ङ)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	21.18	9.12
च)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियाँ	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
ज)	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य	1.82	1.43
झ)	घटाएँ: माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.6 देखें)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>1.82</b>	<b>1.43</b>
ञ)	अन्य (मुख्य रूप से ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण)	-	-
	<b>कुल</b>	<b>2,123.26</b>	<b>407.30</b>
13.1.1	<b>संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते</b>		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.2	<b>संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता)</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.3	<b>संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.4	<b>बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	

	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.5	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.6	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.7	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय		
13.1.8	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
13.1.9	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

### टिप्पणी सं. 13.2 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 13.2.1 देखें)	6.95	1.76
कुल	<b>6.95</b>	1.76

13.2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में संयंत्र और उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियां (कार्यालय उपकरण, वाहन, फर्नीचर और फिक्स्चर, आदि) शामिल हैं,

जिन्हें प्रचालन के सामान्य क्रम में परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/अप्रचलन के कारण निपटान के लिए पहचाना गया है।

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
<b>क.</b>	<b>तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (अन्य व्यापक आय के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 30.2)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
<b>ख.</b>	<b>टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यहास</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
<b>ग.</b>	<b>मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर</b>		
	प्रारंभिक शेष	52.31	56.37
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	24.51	(4.06)
	वर्ष के दौरान समायोजित		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	76.82	<b>52.31</b>
<b>घ.</b>	<b>न्यायालय/ माध्यस्थम मामलों पर ब्याज भुगतान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)		
	वर्ष के दौरान समायोजन		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष		
<b>ङ.</b>	<b>वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए विलंबित कर प्राप्य के प्रति समायोजन</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
<b>च.</b>	<b>टैरिफ अवधि 2014-2019 और उससे आगे के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	<b>76.82</b>	<b>52.31</b>
	घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर विलंबित कर	-	-
	जोड़े : लाभार्थियों से प्राप्त विलंबित कर	-	-
	<b>विनियामक कर का निवल विनियामक आस्थगित कर शेष</b>	<b>76.82</b>	<b>52.31</b>

14.1 क्षति और नियामक विलंबित लेखा शेष के संबंध में और प्रकटीकरणों के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-34 (17) और 34(19) देखें।

#### टिप्पणी सं. 14.2 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
<b>लाभार्थियों को दिया जाने वाला मेट क्रेडिट</b>		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त (देखें टिप्पणी 31)	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (देखें टिप्पणी 31)	-	-
अंतिम शेष	-	-

14.2.1 विनियामक आस्थगित लेखा शेष के संबंध में और प्रकटीकरण के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(19) देखें।

टिप्पणी: 15.1 इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/-)	80000.00	800000.00	52000.00	520000.00
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/)	56300.11	<b>563001.10</b>	44503.41	<b>445034.13</b>

**15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :**

प्रारंभिक शेष	44503.41	445034.10	36923.91	369239.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब किए गए शेयरों/शेयर पूंजी की संख्या	11796.70	117967.00	7579.50	75795.00
घटाएं:- अवधि/ वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>अंतिम शेष</b>	<b>56300.11</b>	<b>563001.10</b>	<b>44503.41</b>	<b>445034.10</b>

**15.1.2** कंपनी ने शेयरधारकों को शेयरधारिता के अनुपात में मत के अधिकार वाले केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मत अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

**15.1.3** 5 प्रतिशत से अधिक धारित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर और धारित शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नीचे दी गई है :-

	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	संख्या	(%) में	संख्या	(%) में
i) एनएचपीसी लिमिटेड	33301.01	59.15%	24041.11	54.02%
ii) जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	22999.10	40.85%	20462.30	45.98%
कुल	56300.11	100.00%	44503.41	100.00%

**15.1.4** 31 मार्च 2025 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	33301.01	59.15%	5.13%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	22999.10	40.85%	-5.13%

**15.1.5** 31 मार्च 2024 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	24041.11	54.02%	1.28%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	20462.30	45.98%	-1.28%

ब्यौरा		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
(i)	<b>पूँजीगत आरक्षित</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	अंतिम शेष	-	-
(ii)	<b>आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि</b>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	22,916.00	22,469.00
	जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	95,051.00	76,242.00
	घटाएँ : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,17,967.00	75,795.00
	<b>तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार</b>	-	<b>22,916.00</b>
(ii)	<b>पूँजी मोचन आरक्षित</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	अंतिम शेष	-	-
(iv)	<b>बांड मोचन आरक्षित</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	घटाएँ: अधिशेष/प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-
	अंतिम शेष	-	-
(v)	<b>सामान्य आरक्षित</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	अंतिम शेष	-	-
(vi)	<b>अधिशेष/प्रतिधारित आय</b>		
	प्रारंभिक शेष	8,983.47	7,915.28
	जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	-1,248.11	1,068.19
	जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय		
	जोड़ें: बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरण		
	घटा: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)		
	अंतिम शेष	<b>7,735.36</b>	<b>8,983.47</b>
(vii)	<b>अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-ऋण लिखत</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	अंतिम शेष	-	-
(viii)	<b>अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-इक्विटी लिखत</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	अंतिम शेष	-	-
(ix)	<b>अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-हेज आरक्षित की लागत</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	अंतिम शेष	-	-
	<b>कुल</b>	<b>7,735.36</b>	<b>31,899.47</b>

(i) **आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन**

**सामान्य आरक्षित** : सामान्य आरक्षित का उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय ये लाभों के अंतरण के लिए किया जाता है क्योंकि उक्त को इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा सृजित किया जाता है। उक्त का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) **अधिशेष/प्रतिधारित आय** : अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी के अविभाजित लाभ/ संचित आय की राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल है।

टिप्पणी सं. 16.1 गैर वर्तमान - वित्तीय दायित्व - ऋण		लाख रुपए में	
विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	परिशोधित लागत पर		
क.	<b>- प्रतिभूत ऋण</b>		
	-बॉन्ड	-	-
	<b>-सावधि ऋण</b>		
	- बैंकों से	1,57,756.44	-
	- अन्य (वित्तीय संस्थानों) से	-	-
ख.	<b>- अप्रतिभूत ऋण</b>		
	-बॉन्ड	-	-
	<b>-सावधि ऋण</b>		
	- बैंक से	-	-
	- भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) (देखें टिप्पणी 16.1.2)	88,197.52	60,987.31
	- अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	-	-
ग.	<b>मूल कंपनी से ऋण</b>		
	- सावधि ऋण - अप्रतिभूत	-	-
	कुल	2,45,953.96	60,987.31
16.1.1	ऋण प्रसंविदाएँ : पूंजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।		
16.1.2	भारत सरकार से सावधि ऋण (अधीनस्थ ऋण) उचित मूल्यांकन के बाद निवल है क्योंकि इन ऋणों पर ब्याज दर प्रचलित बाजार दर से कम है। 31.03.2025 तक बकाया कुल अधीनस्थ ऋण 2196,39,000,000/- रुपए (पिछले वर्ष 1,62,771,00,000/- रुपए) है। इसमें वर्तमान परिपक्वता राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) शामिल है।		
16.1.3			
<b>16.1.3 क</b>	<b>मोचन, चुकौती और प्रतिभूतियों का विवरण:-</b>		
	<b>(क) सावधि ऋण - बैंकों से (प्रतिभूत)</b>		
1.	<b>(i) आरईसी (किरु एचईपी के लिए)</b> (किरु एचईपी के लिए ऋण, 8.60% प्रति वर्ष ब्याज दर (आंतरिक बेंचमार्क दर/255 बीपीएस की निश्चित छूट के साथ कार्ड दर) पर स्वीकृत, वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ, वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष। मूलधन का भुगतान सीओडी से एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद पहली तिमाही के अंत से शुरू होने वाली 72 त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान बकाया ऋण राशि पर मासिक आधार पर किया जाएगा। ऋण की सुरक्षा किरु एचईपी की चल और अचल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रभार सृजित करके की जाएगी। (टिप्पणी 34(8) देखें)।	63,157.00	-
2.	<b>(ii) पीएफसी (किरु एचईपी के लिए)</b>		

	(किरू एचईपी के लिए ऋण, 8.60% प्रति वर्ष ब्याज दर (आंतरिक बेंचमार्क दर/255 बीपीएस की निश्चित छूट के साथ कार्ड दर) पर स्वीकृत, वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ, वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष। मूलधन का भुगतान सीओडी से एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद पहली तिमाही के अंत से शुरू होकर 72 त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान बकाया ऋण राशि पर मासिक आधार पर किया जाएगा। ऋण की सुरक्षा किरू एचईपी की चल और अचल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रभार सृजित करके की जाएगी। (टिप्पणी 34(8) देखें)।	36,344.44	-
3.	<b>(iii) आरईसी (पकल दूल जल विद्युत परियोजना के लिए)</b> (वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ 9.20% प्रति वर्ष (आंतरिक बेंचमार्क दर/कार्ड दर 170 आधार अंकों की निश्चित छूट के साथ) स्वीकृत। मूलधन का भुगतान सीओडी से 03 महीने की अधिस्थगन अवधि के बाद पहली तिमाही के अंत से शुरू होकर 59 त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान बकाया ऋण राशि पर मासिक आधार पर किया जाएगा। ऋण की सुरक्षा किरू एचईपी की चल और अचल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रभार सृजित करके की जाएगी। (टिप्पणी 34(8) देखें)।	58,255.00	-
	<b>कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत)</b>	<b>1,57,756.44</b>	-
	<b>घटाएँ - मूलधन की वर्तमान परिपक्वता अवधि</b>	-	-
	<b>घटाएँ - अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज की वर्तमान परिपक्वता अवधि</b>	121.74	-
	<b>कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत) (क)</b>	<b>1,57,634.70</b>	-
	(ख). सावधि ऋण - अन्य पक्षों से - सरकारी (अप्रतिभूत)		
	कुल सावधि ऋण - सरकारी (अप्रतिभूत)	88,197.52	60,987.31
	(पकल दूल जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष से पुनर्भुगतान शुरू होगा और 19वें वर्ष तक जारी रहेगा, अर्थात् सितंबर 2034 से, परियोजना पूरी होने के बाद 1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित)।		
	<b>घटाएँ : मूलधन की वर्तमान परिपक्वता</b>	-	-
	<b>घटाएँ - अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज की वर्तमान परिपक्वता अवधि</b>	-	-
	कुल सावधि ऋण - सरकारी (अप्रतिभूत) (ख)	<b>88,197.52</b>	<b>60,987.31</b>
	सकल योग (क+ख)	<b>2,45,832.22</b>	<b>60,987.31</b>
16.1.3 ख	प्रतिभूति का विवरण		
16.1.4	ऋण का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	<b>विवरण</b>	<b>31 मार्च, 2025 के अनुसार</b>	<b>31 मार्च, 2024 के अनुसार</b>
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	74,742.24	
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	45,821.60	
	5 वर्ष से अधिक	2,56,831.61	1,62,771.00
	<b>कुल</b>	<b>3,77,395.45</b>	<b>1,62,771.00</b>

टिप्पणी संख्या 16.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं		(लाख रुपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	पट्टा देयताएं (देखें टिप्पणी 34(16)(क))	68.78	21.12
	<b>कुल</b>	<b>68.78</b>	<b>21.12</b>
16.2.1	<b>पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण</b>		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है:		
	<b>विवरण</b>	<b>31 मार्च, 2025 के अनुसार</b>	<b>31 मार्च, 2024 के अनुसार</b>
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	70.18	8.06
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
	5 वर्ष से अधिक		
	<b>कुल</b>	<b>70.18</b>	<b>8.06</b>
16.2.2	<b>पट्टा देयता में संचलन</b>	<b>31 मार्च, 2025 के अनुसार</b>	<b>31 मार्च, 2024 के अनुसार</b>
	प्रारंभिक शेष	90.58	149.39
	पट्टा देनदारियों में वृद्धि	117.20	42.38
	वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	4.90	7.36
	घटाएं : पट्टा देनदारियों का भुगतान	76.17	108.55
	<b>अंतिम शेष</b>	<b>136.51</b>	<b>90.58</b>
	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20.2 देखें)	<b>67.73</b>	<b>69.46</b>
	पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	<b>68.78</b>	<b>21.12</b>

टिप्पणी सं. 16.3 गैर वर्तमान - वित्तीय देयताएं - अन्य		(लाख रुपये में)	
विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बाण्ड के प्रति देय		
	- मूलधन	-	-
	प्रतिधारण राशि	3.62	10.32
	पूंजीगत कार्यों/ आपूर्तियों के प्रति देयता	-	-
	विलंब भुगतान अधिभार के लिए देय	-	-
	वित्तीय गारंटियों के लिए देय	-	-
	व्युत्पन्न मार्क से बाजार देयता	-	-
	व्युत्पन्न देयता - हेज की गई संविदा	-	-
	देय मुद्रा विकल्प प्रीमियम	-	-
	<b>कुल</b>	<b>3.62</b>	<b>10.32</b>
16.3.1	<b>टिप्पणी सं. - 16.3 का परिपक्वता विश्लेषण</b>		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर जमा/प्रतिधारण राशि की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है:		
	<b>विवरण</b>	<b>31 मार्च, 2025 के अनुसार</b>	<b>31 मार्च, 2024 के अनुसार</b>
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	4.28	11.81
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
	5 वर्ष से अधिक		
	<b>कुल</b>	<b>4.28</b>	<b>11.81</b>

टिप्पणी सं 17 प्रावधान गैर-वर्तमान

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i)	<b>दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)</b>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,440.05	1,192.11
	वर्ष के दौरान वर्धन	352.63	247.94
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	<b>1,792.68</b>	<b>1,440.05</b>
ख.	<b>अन्य</b>		
i)	<b>प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान</b>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ii)	<b>आजीविका सहायता का प्रावधान</b>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
iii)	<b>प्रावधान-अन्य</b>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	<b>1,792.68</b>	<b>1,440.05</b>
17.1	प्रावधानों की प्रकृति और प्रयोजन के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (18) में दी गई है।		

टिप्पणी सं. 18 गैर वर्तमान - आस्थगित कर देयताएं (निवल) -

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	विलंबित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति	-	-
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
ग)	अन्य मर्दे	-	-
	<b>विलंबित कर देयता</b>	-	-
	<b>घटाएं: - प्रावधानों को समायोजित करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों का समायोजन</b>		
क)	कर्मचारी लाभ योजना, संदिग्ध ऋण, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान	-	-
ख)	अन्य मर्दे	-	-
ग)	मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
	<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियां</b>	-	-
	<b>आस्थगित कर देयता (निवल)</b>	-	-

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	अग्रिम में प्राप्त आय- मूल्यहास के प्रति अग्रिम	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय (टिप्पणी 19.2 देखें)	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (टिप्पणी 19.1 देखें)	1,46,755.89	1,07,769.64
	<b>कुल</b>	<b>1,46,755.89</b>	<b>1,07,769.64</b>
19.1	सरकार से सहायता अनुदान		
	<b>प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान)</b>	1,07,769.64	66,726.48
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	<b>38,986.25</b>	<b>41,043.16</b>
	घटाएं: लाभ और हानि के विवरण को अंतरित (टिप्पणी 24.2 देखें)		
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी 19.1.1 देखें)	<b>1,46,755.89</b>	<b>1,07,769.64</b>
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (वर्तमान)- (टिप्पणी संख्या-21 देखें)	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	<b>1,46,755.89</b>	<b>1,07,769.64</b>
19.1.1	अनुदान में शामिल हैं:-		
(1)	पकल टूल एचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया।	1,43,371.56	1,07,769.64
(2)	किरुप एचईपी की आधारढांचा सुविधा को समर्थ बनाने के लिए बजटीय सहायता के संबंध में विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान	3,384.33	-
	<b>कुल</b>	<b>1,46,755.89</b>	<b>1,07,769.64</b>

विवरण		31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
<b>क.</b>	<b>मांग पर चुकाने योग्य ऋण</b>		
	बैंकों से - प्रतिभूत	-	-
<b>ख.</b>	<b>अन्य ऋण</b>		
	बैंक से - प्रतिभूत	-	-
<b>ग.</b>	<b>दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता</b>		
	- बॉन्ड - प्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण - बैंक-प्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण - वित्तीय संस्थान-प्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण - बैंक-अप्रतिभूत	-	-
	- अप्रतिभूत-सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	-	-
	- अन्य-अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	-	-
	<b>उप जोड़ (ग)</b>	-	-
<b>घ.</b>	<b>मूल कंपनी से ऋण</b>		
	- सावधि ऋण - अप्रतिभूत	-	-
	<b>कुल</b>	-	-

टिप्पणी सं. 20.2 वर्तमान - वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं -

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
पट्टा देयताएं (टिप्पणी 34(15) देखें)	67.73	69.46
<b>कुल</b>	<b>67.73</b>	<b>69.46</b>

टिप्पणी सं. 20.3 देय व्यापार - वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम (उद्यमों) की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.1 देखें)	186.74	129.25
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.3 देखें)	427.22	287.21
<b>कुल</b>	<b>613.96</b>	<b>416.46</b>
20.3.1 <b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-</b>		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	186.74	129.25
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(15) के तहत दिया गया है।		
20.3.2	व्यापार देयों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-20.3 का अनुबंध-। देखें।	
20.3.3	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों के कुल बकाया देयों में मूल कंपनी को देय शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) शामिल है।		
20.3.4	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।	

टिप्पणी सं. 20.3 का अनुलग्नक-1

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2025 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	186.74						186.74
(2) अन्य	381.39		14.4	26.42	1.50	3.51	427.22
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
<b>कुल</b>	<b>568.13</b>	<b>0</b>	<b>14.4</b>	<b>26.42</b>	<b>1.50</b>	<b>3.51</b>	<b>613.96</b>

31 मार्च, 2024 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	77.89	0.08	51.28				129.25
(2) अन्य	114.57	0.00	164.05	5.83	2.76		287.21
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
<b>कुल</b>	<b>192.46</b>	<b>0.08</b>	<b>215.33</b>	<b>5.83</b>	<b>2.76</b>	<b>0</b>	<b>416.46</b>

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	बॉण्ड आवेदन राशि	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.5)	45,355.40	24,970.54
	जमा	-	-
	पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.1)	4.46	17.54
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति दायित्व	28.51	23.76
	ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं (देखें टिप्पणी 20.4.3)	121.74	-
	उपार्जित और ऋण पर देय ब्याज (देखें टिप्पणी 20.4.4)	-	-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बॉण्ड के प्रति देय		
	- मूल धन	-	-
	- ब्याज	-	-
	धरोहर राशि जमा / प्रतिधारण राशि	8,334.32	5,424.05
	मूल/ सहायक कंपनियों के कारण	1,943.34	934.36
	शेयर आवेदन राशि के लिए देयता - वापसी योग्य सीमा तक	-	-
	अदा न किया गया लाभांश (देखें टिप्पणी 20.4.2)	-	-
	अदा न किया गया मूल धन/ ब्याज (देखें टिप्पणी 20.4.2)	-	-
	विलंब भुगतान अधिभार हेतु देय	-	-
	वित्तीय गारंटी हेतु देय	-	-
	व्युत्पन्न मार्क से बाजार देयता	-	-
	व्युत्पन्न देयता - हेज की गई संविदा	-	-
	देय मुद्रा विकल्प प्रीमियम	-	-
	कर्मचारियों को देय	28.93	31.23
	पूर्व कर्मचारियों को देय	-	-
	अन्यों को देय	6.10	4.94
	<b>कुल</b>	<b>55,822.80</b>	<b>31,406.42</b>
20.4.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	4.46	17.54
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया ब्याज	-	-
20.4.1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(15) में दिया गया है।		
20.4.2	"अदा नहीं किए गए लाभांश" और "चुकता नहीं किए गए मूलधन/ब्याज" में वे राशियाँ शामिल हैं जिनका दावा निवेशकों/इक्विटी शेयरों/बॉण्ड धारकों द्वारा नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) के अदा नहीं किए गए लाभांश का भुगतान किया गया है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं है।		
20.4.3	ऋण पर अर्जित कितु देय नहीं ब्याज में मूल कंपनी को देय शून्य रुपये की ब्याज राशि शामिल है।		
20.4.4	ऋण पर अर्जित और देय ब्याज में मूल कंपनी को देय शून्य रुपये की ब्याज राशि शामिल है।		
20.4.5	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता में मूल कंपनी को देय 610.02/- लाख रुपए की राशि शामिल है।		
20.4.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

**टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं**

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
जमा/एजेसी आधार कार्यों पर अव्ययित राशि कार्य	-	-
देय जल उपयोग शुल्क	-	-
देय होने वाली सांविधिक देनदारियां	3,166.56	2,057.06
अनुबंध देयताएं-जमा कार्य	-	-
अनुबंध देयताएं-परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संबंध में वसूली योग्य राशि का प्रावधान	-	-
ग्राहकों और अन्य लोगों से अग्रिम	-	-
सरकार से सहायता-अनुदान - आस्थगित आय से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या-19.1 देखें)	-	-
<b>कुल</b>	<b>3,166.56</b>	<b>2,057.06</b>

21.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

(लाख रुपये में)

**टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान**

व्यौरा	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क.		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	
i)	<b>दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)</b>	
	प्रारंभिक शेष	38.49
	वर्ष के दौरान वर्धन	45.93
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	38.49
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	
	अंतिम शेष	<b>45.93</b>
ii)	<b>वेतन संशोधन के लिए प्रावधान</b>	
	प्रारंभिक शेष	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-
	अंतिम शेष	-
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	-
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-
iii)	<b>निष्पादन संबंधी वेतन/ प्रोत्साहन के लिए प्रावधान</b>	
	प्रारंभिक शेष	692.64
	वर्ष के दौरान वर्धन	618.80
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	707.15
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-
	अंतिम शेष	<b>604.29</b>
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	<b>143.48</b>
		<b>871.21</b>
		<b>670.57</b>
		<b>849.01</b>
		<b>0.13</b>
		<b>692.64</b>
		<b>2.16</b>

	अग्रिम का निवल अंतिम शेष	460.81	690.48
iv)	<b>सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
v)	<b>वेतन संशोधन का प्रावधान- तीसरी वेतन संशोधन समिति</b>		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
vi)	<b>कर्मचारी पारिश्रमिक के लिए प्रावधान- वेतन विसंगति</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	1,419.94	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	1,419.94	-
ख.	<b>अन्य</b>		
i)	<b>टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
ii)	<b>प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	12,749.14	10,165.73
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	3,083.41
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	500.00
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	12,749.14	12,749.14
iii)	<b>बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
iv)	<b>आजीविका सहायता का प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
v)	<b>माध्यस्थम अवार्ड / न्यायालय मामलों के संबंध में प्रावधान</b>		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
vi)	<b>प्रावधान- अन्य</b>		
	प्रारंभिक शेष		-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	1,685.89	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	1,685.89	
	<b>कुल</b>	<b>1,685.89</b>	<b>13,478.11</b>

22.1	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।
------	--

ब्यौरा	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	899.60	1,345.35
वर्ष के दौरान वर्धन	269.72	899.60
वर्ष के दौरान समायोजित की गई	899.60	1,345.35
वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई		
अंतिम शेष (क)	<b>269.72</b>	<b>899.60</b>
घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	<b>586.92</b>	<b>910.63</b>
<b>निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)</b>	<b>(317.20)</b>	<b>(11.03)</b>
(उपरोक्त टिप्पणी संख्या-4 के अधीन प्रकट की गई)	317.20	11.03
<b>कुल</b>	-	-

ब्यौरा		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन राजस्व		
क.	बिक्री (टिप्पणी 24.1.1 और 24.1.3 देखें)		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	मूल्यहास के प्रति अग्रिम में से मान्यता प्रदत्त राजस्व	-	-
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	-
	<b>उप-जोड़ (i)</b>	-	-
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के कारण बिक्री समायोजन	-	-
	टैरिफ समायोजन	-	-
	विनियमित विद्युत समायोजन	-	-
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित) (टिप्पणी 32 देखें)	-	-
	ग्राहकों को छूट	-	-
	<b>उप-जोड़ (ii)</b>	-	-
	<b>उप - जोड़ (क) = (i - ii)</b>	-	-
ख.	वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी 34(15)(ख) देखें)	-	-
ग.	प्रचालन पट्टे से आय (टिप्पणी 34(15)(ग) देखें)	-	-
घ.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों से राजस्व		
	अनुबंध आय	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
	<b>उप - जोड़ (घ)</b>	-	-
ङ.	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	घटाएं : ग्राहकों को छूट		
	व्यापार अंतर (टिप्पणी 24.1.4 देखें)	-	-
	<b>उप - जोड़ (ङ)</b>	-	-
	<b>उप-जोड़-1 (क+ख+ग+घ+ङ)</b>	-	-
च.	अन्य प्रचालन राजस्व		
	स्व-उत्पन्न वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	-
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	-	-
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज - टैरिफ का संशोधन	-	-
	<b>उप-जोड़-II</b>	-	-
	<b>कुल (I+II)</b>	-	-

ब्यौरा		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ब्याज आय		
	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- गैर कर योग्य	-	-
	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- कर योग्य	-	-
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5% कर मुक्त बांड) जारीकर्ता	-	-
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	- जमा खाता	1,071.68	3,574.38
	- कर्मचारी के ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	26.01	1.22
	- ठेकेदारों को अग्रिम	4,320.09	3,740.26
	- वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि को समाप्त करना	-	-
	- अन्य	-	-
ख)	लाभांश आय		
	- सहायक कंपनियों से लाभांश (टिप्पणी 34.8 देखें)	-	-
	- लाभांश - अन्य	-	-
ग)	अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय को सीधे आरोप्य व्यय का निवल)		
	विलंब भुगतान अधिभार	-	-
	व्यापार में बाधा के कारण हानि की वसूली	-	-
	निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	-
	बीमा दावे से आय	-	-
	देयताएं/क्षति भत्ते/पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं होने वाले प्रावधान (टिप्पणी 24.2.1 देखें)	-	-
	<b>ठेकेदार को जारी सामग्री</b>		
	(i) ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	-	-
	(ii) घटाएं : ठेकेदारों को वसूली योग्य आधार पर जारी सामग्री की लागत	-	-
	(iii) ठेकेदार को जारी सामग्री के कारण निवल समायोजन	-	-
	सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी 19.1 देखें)	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	-	-
	व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ	-	-
	गारंटी शुल्क के कारण आय	-	-
	अन्य	204.29	303.89
	<b>उप जोड़</b>	<b>5,622.07</b>	<b>7,619.75</b>
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ आय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय आय आवंटन	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>5,622.07</b>	<b>7,619.75</b>
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	4,532.94	4,044.35
	घटाएं: ग्राहक/ ठेकेदारों से अग्रिम/जमा को अंतरित	-	-

	और जमा कार्यों के प्रति		
	घटाएँ: अन्य आय का अनुदान में अंतरण	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1,089.13</b>	<b>3,575.40</b>

24.2.1	<b>पञ्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं /हानि प्रावधानों/प्रावधानों का विवरण</b>		
(क)	खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते		
(ख)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		
(ग)	राज्य सरकार को खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		
(घ)	खराब और संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए भत्ते		
(ङ)	मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और हास के लिए भत्ते		
(च)	व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता		
(छ)	खराब और संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते		
(ज)	ऋण के लिए हानि भत्ते जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
(झ)	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
(ञ)	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
(ट)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
(ठ)	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
(ड)	दीर्घावधि लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
(ढ)	पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
(ण)	टैरिफ समायोजन का प्रावधान		
(त)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
(थ)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
(द)	बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान		
(ध)	तीसरी पीआरसी के लिए प्रावधान		
(न)	अन्य	-	-
	<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

टिप्पणी सं. 25.1 विद्युत की खरीद - व्यापार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	-	-
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 25.2 उत्पादन व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
जल उपयोग शुल्क	-	-
भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
उप जोड़	-	-
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में स्थानांतरित	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	9,389.48	8,125.82
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान (टिप्पणी 26.2 और 26.3 देखें)	1,189.38	1,008.44
कर्मचारी कल्याण व्यय	935.98	813.81
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
उप जोड़	<b>11,514.84</b>	<b>9,948.07</b>
जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	<b>11,514.84</b>	<b>9,948.07</b>
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	10,254.99	8,890.02
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
कुल	<b>1,259.85</b>	<b>1,058.05</b>

26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास के लिए पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
26.2 भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान में निम्नलिखित शामिल है:		
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	516.94	506.72
ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति/ नई पेंशन योजना के प्रति	319.62	366.53

26.3 वेतन और मजदूरी में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल है।

विवरण		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	<b>परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज</b>		
	बॉण्ड	-	-
	सावधि ऋण	4,012.51	-
	विदेशी ऋण	-	-
	भारत सरकार ऋण	-	-
	अल्पकालिक ऋण	138.90	-
	नकद ऋण सुविधाएं / डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज शुल्क	-	-
	पट्टा देयताएं	4.90	7.36
	छूट की समाप्ति-भारत सरकार ऋण	5,944.13	3,153.80
	<b>उप जोड़</b>	<b>10,100.44</b>	<b>3,161.16</b>
ख.	<b>अन्य ऋण लागत</b>		
	कॉल स्प्रेड/कूपन अदला-बदली	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	38.20	37.00
	छूट को समाप्त करना - प्रावधान और वित्तीय देनदारियों	2.38	0.98
	<b>उप जोड़</b>	<b>40.58</b>	<b>37.98</b>
ग.	<b>विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू शुद्ध (लाभ) / हानि</b>		
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियों को अंतरित	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

घ.	अन्य		
	माध्यस्थम / न्यायालय मामलों पर ब्याज	-	-
	लाभार्थियों को ब्याज	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
घ.	आयकर पर ब्याज	-	4.10
	कुल (क + ख + ग + घ)	<b>10,141.02</b>	<b>3,203.24</b>
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	<b>कुल</b>	<b>10,141.02</b>	<b>3,203.24</b>
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	10,139.97	3,197.57
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	<b>1.05</b>	<b>5.67</b>

**टिप्पणी संख्या 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय**

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	852.96	739.49
	मूल्यहास-उपयोग का अधिकार	982.67	1,041.27
	परिशोधन-अमूर्त परिसंपत्तियां	36.27	24.61
	विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 19 और 5(घ)(iii) देखें)	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): अन्य यूनिटों को/से आवंटित मूल्यहास	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>1,871.90</b>	<b>1,805.37</b>
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	1,789.73	1,726.54
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	<b>कुल</b>	<b>82.17</b>	<b>78.83</b>

## टिप्पणी सं. 29 अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ख.	मरम्मत और रखरखाव		
	- भवन	1,420.99	1,064.83
	- मशीनरी	-	0.02
	- अन्य	182.57	147.27
	किराया (टिप्पणी 29.3 देखें)	742.37	334.54
	किराया प्रभार	305.02	250.21
	दरें और कर	165.39	86.14
	बीमा	8.56	7.71
	सुरक्षा व्यय	275.43	308.20
	विद्युत प्रभार	110.53	103.73
	यात्रा और परिवहन	211.69	188.11
	वाहनों पर व्यय	64.99	88.01
	टेलीफोन, टैलेक्स और डाक	265.92	211.62
	विज्ञापन और प्रचार	26.25	22.48
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	12.28	7.03
	मुद्रण और लेखन सामग्री	48.59	60.26
	विधिक व्यय	16.04	12.85
	परामर्श शुल्क - देशीय	2,880.44	2,990.34
	परामर्श शुल्क - विदेशी	-	-
	लेखापरीक्षा व्यय (टिप्पणी 29.2 देखें)	8.26	5.90
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय संबंधी व्यय/ विकास व्यय	282.24	4,603.49
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है	307.12	1,687.56
	आस्तियों पर हानि (निवल)	15.68	13.64
	निवेश की बिक्री पर हानि	-	-
	बीमा दावों से क्षति	-	-
	दान	-	0.39
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 34(13) देखें)	48.38	34.57
	सामुदायिक विकास व्यय	-	-
	निदेशकों का बैठक शुल्क	-	-
	माध्यस्थम/ अदालती मामलों पर मुआवजा	-	-
	स्व-उत्पन्न किए गए वीईआर/आरईसी पर व्यय	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	24.50	4.70
	प्रशिक्षण व्यय	37.93	11.22
	याचिका शुल्क / पंजीकरण शुल्क / अन्य शुल्क - सीईआरसी / आरएलडीसी / आरपीसी / आईईएक्स /	-	-

	पीएक्सआईएल को		
	केन्द्रीय विद्यालय के संचालन/चालन व्यय	-	-
	अन्य विद्यालयों के संचालन/चालन व्यय	-	-
	अतिथि गृह/ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन/चालन व्यय	10.56	0.96
	डीजी सेट-आवासीय के अलावा अन्य परिचालन व्यय	7.18	1.72
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि	-	-
	ऋण लिखत की बिक्री - ओसीआई से पुनवर्गीकरण समायोजन	-	-
	व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-
	अन्य सामान्य व्यय	323.47	207.72
	उप जोड़	<b>7,802.38</b>	<b>12,455.22</b>
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	<b>7,802.38</b>	<b>12,455.22</b>
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	7,125.45	11,960.62
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	34.39	32.85
	घटाएं: पुनर्खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
	उप-जोड़ (i)	<b>642.54</b>	<b>461.75</b>
<b>ड.</b>	<b>प्रावधान/क्षति भत्ता</b>		
	व्यापार प्राप्तियों के लिए क्षति भत्ता	-	-
	प्रत्याशित ऋण हानि के लिए क्षति भत्ता - व्यापार प्राप्तियां	-	-
	अशोध्य और संदिग्ध अग्रिम/जमा के लिए भत्ता	-	-
	खराब और संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जों/निर्माण भंडार के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति भत्ता	-	-
	अमर्त परिसंपत्तियों के लिए भत्ता	106.42	-
	परियोजना व्यय के लिए भत्ता	-	-
	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ता	-	-
	स्व-निर्मित वीईआर की मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
	कैचमेंट क्षेत्र उपचार योजना के लिए भत्ता	-	-
	अन्य	-	-
	उप जोड़	<b>106.42</b>	-
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	<b>106.42</b>	-
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	-	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-

	<b>उप-जोड़ (ii)</b>	<b>106.42</b>	-
	<b>कुल (i+ii)</b>	<b>748.96</b>	<b>461.75</b>
29.1	पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
			(लाख रुपये में)
29.2	लेखापरीक्षा व्यय का विवरण निम्नवत है:-	<b>31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए</b>	<b>31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए</b>
	i) सांविधिक लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षक के रूप में		
	लेखापरीक्षा शुल्क	4.72	4.72
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	<b>अन्य क्षमता में</b>		
	कराधान मामले	-	-
	सीमित समीक्षा	3.54	-
	कंपनी कानून मामले	-	-
	प्रबंधन सेवाएं	-	-
	अन्य मामले/सेवाएं	-	1.18
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	<b>ii) लागत लेखापरीक्षक</b>		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	<b>iii) माल और सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक</b>		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	<b>8.26</b>	<b>5.90</b>
29.3	किराए में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं।		
(i)	एक माह या उससे कम की पट्टा अवधि के अलावा अन्य अल्पकालिक पट्टों पर व्यय	660.63	267.33
(ii)	कम मूल्य की संपत्ति के दीर्घकालिक पट्टे पर व्यय	-	-
(iii)	पट्टा देनदारियों के माप में शामिल नहीं होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	81.74	67.21

टिप्पणी सं. 30.1 आयकर व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर (टिप्पणी 30.1.1 देखें)	269.72	899.60
पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	-	(0.75)
<b>कुल वर्तमान कर व्यय</b>	<b>269.72</b>	<b>898.85</b>
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
- मेट क्रेडिट पात्रता के कारण समायोजन	-	-
आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि (कमी)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	-	-
निवल आस्थगित कर	-	-
कुल	<b>269.72</b>	<b>898.85</b>

30.1.1 वर्तमान कर अन्य आय अर्थात् एफडीआर पर ब्याज से आय से है

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (क) रोजगारपक्ष निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन घटाएं : रोजगारपक्ष निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आयकर	- -	- -
रोजगारपक्ष निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल) घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन -नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में संचलन- रोजगारपक्ष निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन घटाएं: नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव	- - - - -	- - - - -
<b>उप जोड़ (क)</b>	-	-
(ख) एफवीटीओसीआई पर इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन घटाएं : उक्त मद पर आयकर	- -	- -
<b>उप जोड़ (ख)</b>	-	-
<b>कुल (i)=(क)+(ख)</b>	-	-
(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (क) एफवीटीओसीआई पर ऋण निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन घटाएं : उक्त मद पर आयकर		
<b>उप जोड़ (क)</b>		
(ख) हेज आरक्षित की लागत घटाएं: उक्त मद पर आयकर	- -	- -
<b>उप जोड़ (ख)</b>		
<b>कुल (ii) = (क)+(ख)</b>	-	-
<b>कुल = (i+ii)</b>	-	-

टिप्पणी सं. 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	-
(ii)	टैरिफ को मंद किए जाने के कारण मूल्यहास	-	-
(iii)	मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	(24.51)	(4.06)
(iv)	न्यायलय/ माध्यस्थम मामलों पर ब्याज भुगतान		
(v)	वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन	-	-
(vi)	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उसके बाद के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	-	-
(vii)	मैट क्रेडिट को मान्यता दिए जाने के कारण नियामक देयता	-	-
	<b>कुल (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi) + (vii)</b>	(24.51)	(4.06)
	<b>विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव</b>		
	घटाएं : नियामक आस्थगित लेखा शेष पर आस्थगित कर	-	-
	जोड़ें: लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	-	-
	<b>कुल</b>	(24.51)	(4.06)

31.1 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14.1 और 14.2 देखें।

टिप्पणी सं. 32 वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	<b>उत्पादन व्यय</b>		
	जल उपयोग प्रभार	-	-
	भंडार की खपत	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
ख.	<b>कर्मचारी लाभ व्यय</b>		
	वेतन और मजदूरी	6,190.73	5,569.98
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	783.16	697.29
	कर्मचारी कल्याण व्यय	579.53	480.76
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>7,553.42</b>	<b>6,748.03</b>
ग.	<b>वित्त लागत</b>		
	निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी 2.2.3 देखें)		
	बांड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	4,151.41	-
	पट्टा देयताएं	2.58	3.20
		<b>4,153.99</b>	<b>3.20</b>
	नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	-	-
	हेजिंग लेनदेन पर हानि	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	38.03	37.00
	ईएसी को व्यय का हस्तांतरण- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	5,944.13	3,153.80
	ईएसी को व्ययों का अंतरण -सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रतिधारण धन-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.85	0.53
	ईएसी-प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय में व्यय का अंतरण-समय मूल्य के लिए समायोजन	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>10,138.00</b>	<b>3,194.53</b>
घ.	<b>मूल्यहास और परिशोधन व्यय</b>	1,623.28	1,573.86
	<b>उप जोड़</b>	<b>1,623.28</b>	<b>1,573.86</b>
ड	अन्य व्यय		
	मरम्मत और रखरखाव :		
	-भवन	989.03	697.75
	-मशीनरी	-	0.02
	-अन्य	136.52	118.28
	किराया और किराया प्रभार	998.34	573.39
	दरें और कर	26.43	6.39
	बीमा	2.11	1.96
	सुरक्षा व्यय	169.51	209.56

	विद्युत शुल्क	58.87	51.55
	यात्रा और परिवहन	83.61	89.96
	वाहनों पर व्यय	38.66	50.32
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	163.21	135.40
	विज्ञापन और प्रचार व्यय	0.54	12.26
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	-	-
	मुद्रण और लेखन सामग्री	28.20	37.71
	विधिक और परामर्श शुल्क:		
	- देशीय	2,869.02	2,980.39
	- विदेशी	-	-
	क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय / पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय/ विकास व्यय	282.24	4,603.49
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्यों पर व्यय (टिप्पणी 29.4 देखें)	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी से संबद्ध नहीं है	307.12	1,687.56
	बट्टे खाते में डाले गए संपत्तियां/दावे	-	0.02
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	-
	संपत्ति की बिक्री पर हानि	3.31	6.33
	अन्य सामान्य व्यय	214.84	130.22
	विनिमय दर भिन्नता (डेबिट)	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>6,371.56</b>	<b>11,392.56</b>
च.	<b>प्रावधान</b>	-	-
	<b>उप जोड़</b>	-	-
छ.	<b>निगम/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय</b>		
	अन्य आय	(36.96)	(3.62)
	अन्य व्यय	753.89	568.06
	कर्मचारी लाभ व्यय	2,701.57	2,141.99
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	166.45	152.68
	वित्त लागत	1.97	3.04
	प्रावधान	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>3,586.92</b>	<b>2,862.15</b>
ज.	<b>घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां</b>		
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	-	-
	ऋण और अग्रिम पर ब्याज	4,320.29	3,740.41
	संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	-	-
	विविध प्राप्तियां	175.44	300.11
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - सुरक्षा जमा	0.25	0.21
	ईएसी को आय का अंतरण - व्युत्पन्न पर एमटीएम लाभ	-	-
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर	-	-
	<b>उप जोड़</b>	<b>4,495.98</b>	<b>4,040.73</b>
	<b>कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज) (टिप्पणी 2.2 देखें)</b>	<b>24,777.20</b>	<b>21,730.40</b>

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज़ और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज़

(लाख रूपए में)

	वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	<b>गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां</b>							
(i)	गैर-वर्तमान निवेश							
क)	इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1						
ख)	ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत"	3.1						
	<b>उप जोड़</b>			-	-		-	-
(ii)	व्यापार प्राप्य	3.2			-			-
(iii)	ऋण							
क)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3			-			-
ख)	कर्मचारी	3.3			103.21			88.70
ग)	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3			-			-
घ)	अन्य	3.3			-			-
(iv)	अन्य							
	जमा	3.4			138.72			18.44
	ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			-			-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4			-			-
	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	3.4			-			-
	गारंटी शुल्क के कारण प्राप्य	3.4			-			-
	वसूलीयोग्य राशि	3.4			-			-
	व्युत्पन्न मार्क से बाजार परिसंपत्ति	3.4		-			-	

	हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न परिसंपत्ति	3.4			-			-	
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4				4,682.44			-
	<b>कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां</b>				-	<b>4,924.37</b>		-	<b>107.14</b>
	<b>वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां</b>								
(i)	वर्तमान निवेश	6			-			-	
(ii)	व्यापार प्राप्य	7				-			-
(iii)	नकदी और नकदी समतुल्य	8				4,103.27			28,582.97
(iv)	नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9				2,811.00			2,811.00
(v)	ऋण	10							
	कर्मचारी ऋण					122.98			89.50
	संबंधित पक्ष को ऋण					-			-
	अन्य					-			-
(vi)	अन्य (पट्टा प्राप्य और व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति तथा हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न परिसंपत्ति को छोड़कर)	11				47,669.84			26,203.81
(vii)	अन्य (व्युत्पन्न मार्क से मार्किट परिसंपत्ति)	11			-			-	
(viii)	अन्य (हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न परिसंपत्ति)	11			-			-	
(ix)	अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11				-			-
	<b>कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां</b>				-	<b>54,707.09</b>		-	<b>57,687.28</b>
	<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>				-	<b>59,631.46</b>		-	<b>57,794.42</b>

	वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	<b>वित्तीय देयताएं</b>		-	-				
	गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं							
(i)	दीर्घावधि ऋण	16.1			2,45,953.96			60,987.31
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			68.78			21.12
(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं (व्युत्पन्न एमटीएम देयता तथा हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न देयता को छोड़कर)	16.3			3.62			10.32
(iv)	अन्य वित्तीय देयताएं (व्युत्पन्न मार्क से मार्किट परिसंपत्ति)	16.3	-			-		
(v)	अन्य वित्तीय देयताएं (हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न परिसंपत्ति)	16.3		-			-	
	<b>कुल गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं</b>		-	-	<b>2,46,026.36</b>	-	-	<b>61,018.75</b>
	<b>वर्तमान वित्तीय देयताएं</b>							
(iv)	ऋण - अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1			-			-
(v)	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			67.73			69.46
(vi)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			613.96			416.46
(vii)	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क)	ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			121.74			-
ख)	व्युत्पन्न मार्क टू मार्किट देयता	20.4	-			-		
ग)	व्युत्पन्न देयता - हेज संविदा	20.4		-			-	
घ)	अन्य वर्तमान देयताएं	20.4			55,701.06			31,406.42
	<b>कुल वर्तमान वित्तीय देयताएं</b>		-	-	<b>56,504.49</b>	-	-	<b>31,892.34</b>
	<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>		-	-	<b>3,02,530.85</b>	-	-	<b>92,911.09</b>

## ख) उचित मूल्य मापन

### 1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है।

**स्तर-1 :** स्तर-1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा धन बाजार में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

**स्तर-2 :** सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है। इसमें व्युत्पन्न मार्क टू मार्किट देयताएं, सावधि ऋण आदि शामिल हैं।

**स्तर-3 :** यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

### (क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(लाख रूपए में)								
	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	<b>एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां</b>							
(i)	<b>निवेश -</b>							
	- इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	-			-		
	- ऋण लिखतों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत*	3.1 और 6	-			-		
	<b>एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां</b>							
(i)	व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.4 और 11		-			-	
(ii)	हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न परिसंपत्ति	3.4 और 11		-			-	

	<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>		-	-	-	-	-	-
	<b>एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं</b>							
(i)	व्युत्पन्न एमटीएम देयता (मांग फैलाव विकल्प)	16.3 और 20.4		-			-	
(ii)	हेज संविदा के अंतर्गत व्युत्पन्न देयता	16.3 और 20.4		-			-	
	<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>			-			-	

**टिप्पणी :**

\* इन लिखतों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है :**

		(लाख रूपए में)						
	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>							
(i)	व्यापार प्राप्य	3.2			-			-
(ii)	ऋण							
क)	कर्मचारी (वर्तमान ऋण सहित)	3.3 और 10		208.55			170.74	
ख)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3		-			-	
ग)	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		-			-	
घ)	अन्य	3.3		-			-	
(iii)	<b>अन्य</b>							
	सुरक्षा जमा	3.4		138.72			18.44	
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		4,682.44			-	
	वसूलीयोग्य - अन्य	3.4						

	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4						
	<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>		0	5,029.71	-	-	189.18	-
	<b>वित्तीय देयताएं</b>							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1,20.1 और 20.4						
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3	-		9.17	0		10.35
	<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>		0	-	9.17	0		10.35

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(लाख रूपए में)						
	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	<b>वित्तीय परिसंपत्तियां</b>					
(i)	व्यापार प्राप्य	3.2	-	-	-	-
(ii)	ऋण					
क)	कर्मचारी (वर्तमान ऋण सहित)	3.3 और 10	226.19	208.55	178.20	170.74
ख)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3	-	-	-	-
ग)	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	-	-	-	-
घ)	अन्य		-	-	-	-
<b>(ii)</b>	<b>अन्य</b>					
	सुरक्षा जमा	3.4	138.72	138.72	18.44	18.44
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4	4,682.44	4,682.44	-	-
	वसूलीयोग्य - अन्य	3.4	-	-	-	-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4	-	-	-	-
	<b>कुल वित्तीय परिसंपत्तियां</b>		<b>5,047.35</b>	<b>5,029.71</b>	<b>196.64</b>	<b>189.18</b>

	वित्तीय देयताएं					
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	2,46,075.70	2,46,075.70	60,987.31	60,987.31
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3	3.62	9.17	10.32	10.35
	<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>		<b>2,46,079.32</b>	<b>2,46,084.87</b>	<b>60,997.63</b>	<b>60,997.66</b>

**टिप्पणी :-**

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

**(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया**

- कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
  - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
- स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर एनएचपीसी की भारत औसत दर पर।
- बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागत वास्तविक होती है।

## (2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

### (क) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती है:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्त्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्त्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

#### ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है :

#### i. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

## ii. नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

## iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं -

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते। इसके अलावा, कंपनी ब्याज दर हेज और मुद्रा की अदला-बदली के माध्यम से इसके मध्यम अवधि विदेशी मुद्रा ऋणों को भी हेज करती है।

## (ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और इसके वित्त-पोषण क्रियाकलापों, बैंकों के साथ जमा और अन्य वित्तीय लिखतों सहित, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

### **व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व और पट्टा प्राप्य:-**

कंपनी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रेक रिकॉर्ड की निगरानी करती है। बकाया प्राप्य की नियमित निगरानी की जाती है। कंपनी के मामले में, व्यापारिक प्राप्य के संबंध में जोखिम का संकेंद्रण कम है, क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार की कंपनियाँ/डिस्कॉम हैं और बड़े पैमाने पर स्वतंत्र बाजारों में कार्य करते हैं। बिल न किए गए राजस्व का संबंध मुख्य रूप से कंपनी के उस कार्य के लिए प्रतिफल के अधिकार से है जो पूर्ण हो चुका है लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है और इसमें समान प्रकार के अनुबंधों के लिए व्यापारिक प्राप्य के समान ही जोखिम विशेषताएँ हैं।

कंपनी की पट्टा प्राप्ति, टिप्पणी संख्या 34 में उल्लिखित, भारतीय लेखांकन मानक 116- 'पट्टे' के अनुसार वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत विद्युत क्रय समझौतों से संबंधित हैं। ये विद्युत क्रय समझौते एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए हैं और पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों, अर्थात् विद्युत संयंत्रों के पीपीई, पर ब्याज आय और मूलधन की वसूली का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर व्यापारिक प्राप्ति के लिए किया जाता है।

**परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:-**

**कर्मचारी ऋण:** कंपनी ने अपनी नीति के अनुसार कर्मचारियों को रियायती दरों पर ऋण दिए हैं, जिनकी गणना तुलन-पत्र की तिथि पर परिशोधित लागत पर की गई है। ऋण की वसूली कर्मचारियों के मासिक वेतन से निश्चित किस्तों के आधार पर की जाती है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु दीर्घकालिक ऋण, उन परिसंपत्तियों के बंधक/दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित किए जाते हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए जाते हैं। प्रबंधन ने पिछले आंकड़ों का आकलन किया है और इन ऋणों पर चूक की कोई संभावना नहीं देखता है।

**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण:** कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार 9% ब्याज दर (वार्षिक चक्रवृद्धि) पर ऋण दिया है। ऋण की गणना परिशोधित लागत पर की गई है और यह राज्य में चालू होने वाली पहली जलविद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निःशुल्क विद्युत के हिस्से से वसूल किया जा सकता है। प्रबंधन को ऋण पर चूक की कोई संभावना नहीं दिखती है।

**वित्तीय दस्तावेज़ और नकदी जमा :**

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

**कंपनी द्वारा जारी की गई कारपोरेट गारंटी : शून्य**

**(i) ऋण जोखिम का प्रभाव**

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	-	-
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	103.21	88.70
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां (पट्टा प्राप्य और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि को छोड़कर)	4,821.16	18.44
वर्तमान निवेश	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	4,103.27	28,582.97

नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	2,811.00	2,811.00
ऋण - वर्तमान	122.98	89.50
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	47,669.84	26,203.81
<b>कुल (क)</b>	<b>59,631.46</b>	<b>57,794.42</b>
<b>वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है</b>		
व्यापार प्राप्य	-	-
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	-	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>59,631.46</b>	<b>57,794.42</b>

**(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान:-**

**(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है**

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

**(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है**

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के आकलन के अनुसार वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।

कंपनी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताओं वाले थोक ग्राहकों को विद्युत बेचती है। कंपनी के पास सरकार के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पृथक राज्य सरकारों द्वारा 2001-02 के दौरान एसईबी बकाया के एकमुश्त निपटान योजना के जारी होने के बाद, जो अक्टूबर 2016 तक वैध थी, भारत सरकार ने इन टीपीए को 10 वर्षों की एक और अवधि के लिए विस्तार देने की मंजूरी दे दी है और अधिकांश राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। टीपीए और विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों को पिछले 12 महीनों के लिए कंपनी के औसत मासिक बिलिंग के 105% को कवर करने वाले एलसी खोलने की आवश्यकता होती है। टीपीए यह भी प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाया राशि के भुगतान में कोई चूक होती है, तो बकाया राशि राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से काटकर संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसके अलावा, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 देय तिथि से 30 दिनों के बाद बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी द्वारा क्रमिक तरीके से विद्युत के विनियमन का प्रावधान करता है, अर्थात् जब किसी लाभार्थी द्वारा बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 75 दिनों (45 दिनों की देय अवधि + 30 दिनों की देय अवधि) के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024-29 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार के लिए लाभार्थियों पर विलंब भुगतान अधिभार लगाने की अनुमति देता है, जो भुगतान में देरी के कारण कंपनी को धन के समय मूल्य के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करता है। इसके अलावा, यह तथ्य कि लाभार्थी मुख्य रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्कॉम हैं और व्यापार प्राप्तियों के लिए ऐतिहासिक ऋण हानि के अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभार्थियों से प्राप्तियों के मूल्य में हानि या व्यापार प्राप्तियों की वसूली में देरी के कारण धन के समय मूल्य के कारण हानि की परिकल्पना नहीं करती है। हालाँकि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में बदलावों को ध्यान में रखते हुए, बकाया व्यापारिक प्राप्तियों का निरंतर मूल्यांकन करती है और मामले-दर-मामला आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली न होने के कारण किसी भी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

### (iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:

(लाख रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	प्राप्य दावे	ऋण	कुल
<b>01.04.2023 को शेष</b>	-	-		-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-		-	-
<b>01.04.2024 को शेष</b>	-	-		-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-		-	-
<b>31.03.2025 को शेष</b>	-	-		-	-

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

### (ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(लाख रूपए में)		
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
<b>परिवर्तनशील दर ऋण</b>	-	-
(क) सावधि ऋण – प्रतिभूत	-	-
(ख) सावधि ऋण – अप्रतिभूत	-	-
(ग) नकदी क्रेडिट		
<b>स्थिर दर ऋण</b>		
(क) सावधि ऋण – प्रतिभूत		
(ख) सावधि ऋण – अप्रतिभूत		
(ग) नकदी क्रेडिट		
<b>कुल</b>		

आहरित नहीं की गई ऋण सुविधाओं की शर्तें :-

ii. वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

**31 मार्च, 2025 को**

(लाख रूपए में)						
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2025 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	3,77,395.44	-	74,742.24	45,821.60	2,56,831.61
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	136.51	67.73	70.18	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	55,827.45	55,823.18	4.28	-	-
व्यापार देय	20.3	613.96	613.96	-	-	-
<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>		<b>4,33,973.36</b>	<b>56,504.87</b>	<b>74,816.70</b>	<b>45,821.60</b>	<b>2,56,831.61</b>

31 मार्च, 2024 को

(लाख रूपए में)						
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	1,62,771.00	-	-	-	1,62,771.00
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	90.58	69.46	8.08	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	31,419.43	31,407.62	11.81	-	-
व्यापार देय	20.3	416.46	416.46	-	-	-
<b>कुल वित्तीय देयताएं</b>		<b>1,94,697.47</b>	<b>31,893.54</b>	<b>19.89</b>	<b>-</b>	<b>1,62,771.00</b>

**(घ) बाजार जोखिम**

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

**i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता**

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)		भारित औसत ब्याज दर (%)	
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	8.66%	1,57,756.44		

परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	7.85%	88,197.52	7.80%	60,987.31
नियत दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
<b>कुल</b>		<b>2,45,953.96</b>		<b>60,987.31</b>

#### ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

#### (ii) मूल्य जोखिम:

##### (क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्टिंग तिथि को, इक्विटी और ऋण लिखत से संपर्क निम्नानुसार हैं :-

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
इक्विटी लिखत	-	-
ऋण लिखत	-	-

#### (ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

##### इक्विटी लिखतों में निवेश के लिए (पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष के लिए कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव को संक्षेप में प्रस्तुत करती है:

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव
पीटीसी इंडिया लिमिटेड				

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उद्धृत शेयर मूल्य में पिछले 3 वर्षों के छह मासिक उतार-चढ़ाव के औसत के आधार पर संवेदनशीलता की गणना की गई है।

ऋण लिखतों में निवेश के लिए (सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष के लिए कंपनी की इक्विटी पर ऋण लिखतों के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करती है:

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियां				
सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम कर मुक्त बॉण्ड				

### iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

#### (क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
<b>वित्तीय देयताएं</b>		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीवाई)		
एमयूपीजी बैंक (जेपीवाई)		
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कारपोरेशन (जेपीवाई)		
अन्य वित्तीय देयताएं	5,292.47	2,308.45
<b>विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)</b>	<b>5,292.47</b>	<b>2,308.45</b>

उपरोक्त में से, एमयूपीजी बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से प्राप्त ऋण को हेज किया गया है। शेष राशि के लिए, विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ/(हानि) टैरिफ विनियमन 2024-29 के अनुसार लाभार्थियों से वसूल किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे जोखिम के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण नहीं होगा।

#### (ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। तदनुसार, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

### (3) पूँजी प्रबंधन

#### (क) पूँजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूँजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। पूँजी प्रबंधन के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य एक चालू व्यवसाय के रूप में अपनी क्षमता को सुरक्षित रखना है, ताकि वह शेयरधारकों को प्रतिफल और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करती रहे। विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ निर्धारण के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों में 70:30 का ऋण: इक्विटी अनुपात निर्धारित किया गया है। तदनुसार, कंपनी सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक पूँजी संरचना को बनाए रखने के लिए अपनी पूँजी संरचना का प्रबंधन करती है।

कंपनी ऋण: इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूँजी की निगरानी करती है, जो कुल ऋण को कुल पूँजी से विभाजित करके प्राप्त होता है। ऋण: इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

(लाख रूपए में)

#### गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(क) कुल ऋण	2,46,090.47	61,077.89
(ख) कुल पूँजी	5,70,736.48	4,76,933.60
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.43	0.13

टिप्पणी : कंपनी के पूँजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूँजी में जारी पूँजी और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। कुल ऋण में दीर्घकालिक ऋण और पट्टा देयताएँ (जिनमें वर्तमान परिपक्वता अवधियाँ शामिल हैं), अल्पकालिक उधार और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से चुकाए जाने वाले बांड के लिए देय राशि शामिल है।

#### (ख) ऋण प्रसंविदाएं:

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का पालन करना आवश्यक है:

परियोजना स्तर पर, निम्नलिखित मदों (i) से (iii) में से किन्हीं दो के संबंध में, निर्धारित स्तरों से किसी भी प्रतिकूल विचलन की स्थिति में, गैर-अनुपालन की अवधि के लिए निम्नलिखित दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

एसएन पैरामीटर प्रतिकूल विचलन के लिए बेंचमार्क जुर्माना

(i) कुल बकाया देयताएं / मूर्त निवल मूल्य (टीओएल / टीएनडब्ल्यू)

2.30 i) 10% तक - शून्य

(ii) > 10% - 25 बीपीएस प्रति वर्ष

(ii) निश्चित संपत्ति कवरेज अनुपात (एफएसीआर) 1.20

(iii) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) 1.20

- टीओएल = (सुरक्षित ऋण + असुरक्षित ऋण (प्रवर्तकों से असुरक्षित ऋण को छोड़कर) + वर्तमान देयताएं और प्रावधान)
- टीएनडब्ल्यू = (चुकता शेयर पूंजी + आरक्षित और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) + निवल आस्थगित कर देयता - अमूर्त परिसंपत्ति)
- एफएसीआर = (निवल स्थिर परिसंपत्ति + सीडब्ल्यूआईपी) / (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण का बकाया)
- डीएससीआर = (पीएटी + मूल्यहास + देय ब्याज) / (बकाया ब्याज + देय मूल किस्त)

प्रसंविदाओं के उल्लंघन की स्थिति में, उधारकर्ता को 60 दिनों की सुधार अवधि प्रदान की जाएगी। यदि उल्लंघन को सुधार अवधि के भीतर, ऋणदाताओं को स्वीकार्य तरीके से ठीक कर लिया जाता है, तो कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

वित्तीय प्रसंविदाओं का परीक्षण प्रचालन के पहले पूर्ण वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2027-28 के बाद और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परियोजना के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

**टिप्पणी सं. -33(4):-  
वित्तीय अनुपात**

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	विवरण	अंश	हर	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	% अंतर	विचलन का कारण
(क)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.75	1.22	-38.97	चालू अनुपात में कमी का कारण परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के लिए निधियों के उपयोग के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी और बैंक शेष में कमी है।
(ख)	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.43	0.13	236.69	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उप-ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप उधार में वृद्धि के कारण वर्तमान अनुपात में कमी हुई है।
(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(घ)	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पश्चात लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	(0.24)	0.24	-199.28	इस अनुपात में कमी का कारण पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में कमी है, जो बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय में कमी के कारण अन्य आय में कमी के कारण है।
(ङ)	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत मालसूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत देनदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(छ)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	खरीद	औसत व्यापार देयताएं	13.06	15.74	-17.00	
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(झ)	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	निवल लाभ	प्रचालन से राजस्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ज)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज और कर पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी (मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयताएं)	(0.10)	0.30	-133.21	इस अनुपात में कमी का कारण पिछले वर्ष की तुलना में ईबीआईटी में कमी आना है, जो बैंकों के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय में कमी के कारण है।
(ट)	निवेश पर प्रतिफल (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	समय भारित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

**टिप्पणी 1:-** कंपनी को पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।

## टिप्पणी संख्या - 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### 1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं -

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

#### (i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **108.245.50 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **98697.35 लाख रूपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **264.42 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **264.42 लाख रूपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **2537.33 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **104776.21 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **98697.35 लाख रूपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बर्हिप्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

#### (ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

#### (iii) विवादित कर मांग

उपायुक्त, जीएसटी, जम्मू द्वारा उठाए गई कैम्पा निधि को किए गए भुगतान पर विवादित जीएसटी मांग की राशि **355.62 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **322.22 लाख रूपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और **355.62 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **322.22 लाख रूपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) **अन्य**

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03. 2025 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2025 को आकस्मिक देयता	31.03.2024 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2024 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	<b>1,08,245.50</b>	<b>2,537.33</b>	<b>1,04,776.21</b>	<b>98,697.35</b>	<b>6,078.86</b>	<b>6,953.92</b>
2.	भूमि मुआवजा मामले	-	-	-	-	-	-
3.	विवादित कर मामले	<b>355.62</b>	-	<b>355.62</b>	<b>322.22</b>	<b>33.39</b>	-
4.	अन्य	-	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1,08,601.12</b>	<b>2,537.33</b>	<b>1,05,131.82</b>	<b>99,019.57</b>	<b>6,112.25</b>	<b>6,953.92</b>

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **शून्य रूपए** (पिछले वर्ष **शून्य रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपतियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **80.07 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **79.39 लाख रूपए**) अदालत के आदेशों के अनुसार मामलों के प्रतिवाद के लिए न्यायालयों में जमा कराए/अदा किए गए हैं और इन्हें अन्य वर्तमान परिसंपतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 13 भी देखें)।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

**2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :**

**क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :**

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **1315.59 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **351.81 लाख रूपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **963.78 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, इन दावों को मान्यता नहीं दी गई है।

**(ख) अन्य मामले**

प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाए गए अनुसार अन्य विविध मामलों के कारण दावों **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) को मान्यता नहीं दी गई है।

**3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :**

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)			
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	7,32,260.89	9,64,064.41
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	141.43
	<b>कुल</b>	<b>7,32,260.89</b>	<b>9,64,205.89</b>

4. अन्य प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) : कोई नहीं।

**5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :**

(लाख रुपए में)			
क्रम सं	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	0	0
(ii)	ऋण लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि *	0	0
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि में समायोजित राशि	0	0
(iv)	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में मान्यता दी गई राशि	24.51	(4.06)

\* हालांकि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव प्रचलित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियम 2019-24 के निबंधनों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। वर्ष के लिए उधारियों की लागत के अंतर्गत शामिल विनिमय दर भिन्नता को कंपनी की उल्लेखनीय

लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति (लाभार्थियों से वसूलीयोग्य) में स्थानांतरित किया जाता है।

**6. प्रचालनरत खंड :**

- क) विद्युत उत्पादन कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है।  
ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

**7. इंड एस-24 “संबंधित पक्ष प्रकटन” के अंतर्गत प्रकटन :**

**(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :**

**(i) मूल कंपनी :**

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत
जेकेएसपीडीसी	भारत

**(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष - जेकेएसपीडीसी के नामिति (22.11.2019 से)
2.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (20.10.2022 से)
3.	श्री संतोष डी. वैद्य, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (31.08.2023 से)
4.	श्री आर.पी.गोयल	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (01.10.2020 से)
5.	श्री विजय कुमार सिन्हा	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (01.01.2024 से 31.07.2024 तक)
6.	श्री राम स्वरूप	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (13.08.2024 से 04.09.2024 तक)
7.	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (04.09.2024 से)
8.	श्री रमेश मुखिया	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (05.12.2023 से)
9.	श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (21.12.2022 से)
10.	श्री सुधीर आनंद	कंपनी सचिव, सीवीपीपीएल

**(iii) सीवीपीपीएल की रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं:**

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
सीवीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत

**(iv) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :**

कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है जो क्रमशः केन्द्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया

है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	सीवीपीपीएल के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	मूल कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2.	एनएचपीसी	धारक कंपनी
3.	जेकेएसपीडीसी	कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले शेयरधारक
4.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	मूल कंपनी (जेकेएसपीडीसी) पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

(i) एनएचपीसी के साथ लेन-देन और शेष

लेन-देन	(लाख रुपये में)	
	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं		
• एनएचपीसी	3,082.68	2,888.26
कंपनी से लिए गए ऋण पर अदा किया गया ब्याज		
• एनएचपीसी	138.90	-
कंपनी द्वारा प्रदान किया गया लाभांश		
• एनएचपीसी		
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	70,821.00	44,981.00
प्रतिनियुक्ति/तेनाती पर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी #	20,000.00	-
कंपनी द्वारा ऋण और अग्रिम का प्रतिदाय		
• एनएचपीसी	20,000.00	-

# ऋण एनएचपीसी से 8.45 प्रतिशत की दर पर लिया गया था।

मूल कंपनी के साथ शेष	(लाख रुपये में)	
	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
निम्नलिखित से प्राप्य (अप्रतिभूत)		

• एनएचपीसी	-	-
<b>निम्नलिखित को देय (अप्रतिभूत)</b>		
• एनएचपीसी	2,553.36	1,478.79
<b>निम्नलिखित द्वारा इक्विटी में निवेश</b>		
• एनएचपीसी	3,33,010.13	2,62,189.13
<b>निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम</b>		
• एनएचपीसी	-	-
<b>निम्नलिखित को देय ऋण और अग्रिम</b>		
• एनएचपीसी	-	-

(ii) जेकेएसपीडीसी के साथ लेनदेन और शेष :-

(लाख रुपए में)

जेकेएसपीडीसी के साथ लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)	24,230.00	31,261.00
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-

(लाख रुपए में)

जेकेएसपीडीसी के साथ शेष	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)	-	-
देय (अप्रतिभूत)	-	-
इक्विटी में निवेश	2,29,991.00	2,05,761.00
प्राप्य ऋण और अग्रिम	-	-
देय ऋण और अग्रिम	-	-

## (iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन और शेष :

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2025 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
<b>1. अध्यक्ष</b>							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	24.21	-	-	-	-	-	-
<b>2. प्रबंध निदेशक</b>							
रमेश मुखिया पैन:- AFUPM3498K	88.66	-	-	-	-	-	-
<b>3. कंपनी सचिव</b>							
सुधीर आनंद पैन:-AFIPA4889E	29.17	-	-	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2024 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
<b>1. अध्यक्ष</b>							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	23.26	-	-	-	-	-	-
<b>2. प्रबंध निदेशक</b>							
रमेश मुखिया पैन:- AFUPM3498K	22.15	-	-	-	-	-	-

हसन नदीम पैन:- ABGPH4911G	42.22	-	-	-	-	-	-
<b>3. कंपनी सचिव</b>							
सुधीर आनंद पैन:-AFIPA4889E	27.59	-	-	-	-	-	-

(iv) रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन और शेष

(लाख रुपये में)

रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाएं (नाम)	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाओं से धन वापिसी का निवल)		रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाओं से शेष	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सीवीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	14.22	8.68	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	318.65	321.68	-	-
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	8.52	8.35	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	212.17	326.55	-	-

(v) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केन्द्र सरकार)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	56,868.00	60,422.00
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	3,384.33	-

(vi) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(लाख रुपए में)		
विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	2,19,639.00	1,62,771.00
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (प्रतिभूत)	-	-

(vii) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात् जम्मू और कश्मीर सरकार)

(लाख रुपए में)		
विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	133.40	5,820.93
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-

(viii) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(लाख रुपए में)		
विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
जम्मू और कश्मीर सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	-	-
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (अप्रतिभूत)	47,458.01	25,861.70

(ग) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

(क) उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइ्टरी मदों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मदों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

(ख) कंपनी द्वारा मूल कंपनी से प्राप्त परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

(ग) 31.03.2025 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

8. **प्रतिभूति के विवरण:** उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई आस्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार है

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
		ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां #	ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	9,818.84	-	-
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	-	7,67,137.55	-	-
3	वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	-	<b>7,76,956.39</b>	-	-

# परिसंपत्तियों के समान पूल के प्रति रेहन रखी गई प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य 31.03.2025 को 7,76,956.39 लाख रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) है।

9. **भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में प्रकटीकरण**

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है और ऐसा अंशदान योजना के प्रचालन की तिथि अर्थात् 05.06.2018 से प्रचालन रत है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **14.22 लाख रुपए** (पिछले वर्ष **8.68 लाख रुपए**) है।

(ii) **भविष्य निधि:** यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व है:

(क) **योजनाओं का विवरण**

(i) **उपदान:** कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। उक्त के लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(iii) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) **तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन**

(i) **उपदान:** 31.03.2025 तथा 31.03.2024 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2024-25 तथा 2023-24 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(लाख रुपए में)
			निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
			iii = ¼i½&¼i i)
<b>2024-25</b>			
<b>01.04.2024 को प्रारंभिक शेष</b>	<b>486.44</b>	-	<b>486.44</b>
वर्तमान सेवा लागत	80.22	-	80.22
ब्याज व्यय/(आय)	35.27	-	35.27
अदा किए गए लाभ	-12.67	-	-12.67
<b>लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय</b>	<b>102.81</b>	-	<b>102.81</b>
<b>पुनर्मापन</b>			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-

जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
<b>अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
<b>31.03.2025 को अंतिम शेष</b>	<b>589.26</b>	-	<b>589.26</b>

विवरण	(लाख रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = ½i + ½ii - ½i
	<b>2023-24</b>		
<b>01.04.2023 को प्रारंभिक शेष</b>	<b>405.04</b>	-	<b>405.04</b>
वर्तमान सेवा लागत	53.96	-	53.96
ब्याज व्यय/(आय)	29.93	-	29.93
अदा किए गए लाभ	(2.49)		(2.49)
<b>लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय</b>	<b>81.41</b>	-	<b>81.41</b>
<b>पुनर्मापन</b>			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
<b>अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
<b>31.03.2024 को अंतिम शेष</b>	<b>486.44</b>	-	<b>486.44</b>

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताए गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(लाख रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	589.26	486.44
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
<b>वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)</b>	589.26	486.44
गैर-वित्तपोषित योजनाएं		
<b>परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)</b>	589.26	486.44

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	7.47%	7.67%	इससे वृद्धि	8.28%	8.52%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	3.14%	4.51%	इससे कमी	3.82%	4.82%

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** 31.03.2025 तथा 31.03.2024 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2024-25 तथा 2023-24 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = ¼i½&¼ii
	2024-25		
<b>01.04.2024 को प्रारंभिक शेष</b>	<b>321.08</b>	-	<b>321.08</b>
वर्तमान सेवा लागत	77.89	-	77.89
ब्याज व्यय/(आय)	23.28	-	23.28
<b>लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>	<b>101.17</b>	-	<b>101.17</b>
<b>पुनर्मापन</b>			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-

<b>अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
<b>31.03.2025 को अंतिम शेष</b>	<b>422.24</b>	-	<b>422.24</b>

(लाख रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = 1/4i + 1/2 & 1/4ii
<b>2023-24</b>			
<b>01.04.2023 को प्रारंभिक शेष</b>	<b>243.43</b>	-	<b>243.43</b>
वर्तमान सेवा लागत	59.66	-	59.66
ब्याज व्यय/(आय)	17.99	-	17.99
<b>लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>	<b>77.65</b>	-	<b>77.65</b>
<b>पुनर्मापन</b>			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
<b>अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
<b>31.03.2024 को अंतिम शेष</b>	<b>321.08</b>	-	<b>321.08</b>

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(लाख रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	422.24	321.08
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
<b>वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)</b>	422.24	321.08
गैर-वित्तपोषित योजनाएं		
<b>परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)</b>	422.24	321.08

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	8.71%	9.20%	इससे वृद्धि	9.01%	9.83%

(iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते 31.03.2025 तथा 31.03.2024 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2024-25 तथा 2023-24 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

(लाख रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = $\frac{1}{4}i + \frac{1}{2}ii + \frac{1}{4}i$
	2024-25		
<b>01.04.2024 को प्रारंभिक शेष</b>	<b>2.94</b>	-	<b>2.94</b>
वर्तमान सेवा लागत	0.62	-	0.62
ब्याज व्यय/(आय)	0.21	-	0.21
<b>लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>	<b>0.83</b>	-	<b>0.83</b>
<b>पुनर्मापन</b>			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
<b>अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>			

अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
<b>31.03.2025 को अंतिम शेष</b>	<b>3.77</b>	-	<b>3.77</b>

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = $\frac{1}{4}i + \frac{1}{2}ii + \frac{1}{4}i$
	2023-24		
<b>01.04.2023 को प्रारंभिक शेष</b>	<b>2.32</b>	-	<b>2.32</b>
वर्तमान सेवा लागत	0.44	-	0.44
ब्याज व्यय/(आय)	0.17	-	0.17
<b>लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>	<b>0.61</b>	-	<b>0.61</b>
<b>पुनर्मापन</b>			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
<b>अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि</b>			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
<b>31.03.2024 को अंतिम शेष</b>	<b>2.49</b>	-	<b>2.49</b>

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

**संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :**

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	7.49%	9.60%	इससे वृद्धि	8.12%	10.41%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
छूट दर	6.99%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) जोखिम प्रदर्शन: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

#### जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ङ) निकासी - वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

(च) परिभाषित लाभ दायित्वों का छूट न प्रदान किया गया प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

उपदान, रोजगार-पक्ष चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	(लाख रुपए में)				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
<b>31.03.2025</b>					
उपदान	15.04	12.03	43.49	518.70	589.26
रोजगार-पक्ष चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	0.72	0.89	2.99	417.65	422.24

सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	0.01	0.08	0.26	3.42	3.77
<b>कुल</b>	<b>15.76</b>	<b>13.00</b>	<b>46.73</b>	<b>939.77</b>	<b>1,015.27</b>
<b>31.03.2024</b>					
उपदान	12.47	9.77	27.51	436.69	486.44
रोजगार-पक्ष चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	0.02	0.03	0.30	320.72	321.08
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	0.01	0.06	0.18	2.70	2.94
<b>कुल</b>	<b>12.50</b>	<b>9.87</b>	<b>27.99</b>	<b>760.11</b>	<b>810.46</b>

- (ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **567.87 लाख रुपए** (31 मार्च 2024 : **506.56 लाख रुपए**) है।
- (घ) एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में, जो वर्तमान में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के रोल पर हैं, बीमांकित मूल्यांकन से संबंधित व्यय को डेबिट/क्रेडिट सलाह के माध्यम से संबंधित वर्ष में सीवीपीपीपीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान आईयूटी प्रमाण-पत्र में उसी के प्रभाव को स्वीकार किया गया है।
10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जे की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य विविध मामले	-	-
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जे तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	-	-
ग)	विदेशी मुद्रा में आय (विशिष्ट प्रकृति)	-	-

11. प्रति शेयर अर्जन:-

- क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए

विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	(0.0251)	0.0262
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	(0.0246)	0.0261
प्रति शेयर सम मूल्य (रुपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (लाख रुपए में)	(1,272.62)	1,072.25
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (लाख रुपए में)	(1,248.11)	1,068.19

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2025 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	50,796.06	40,855.68

## 12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है

(क) कंपनी की बैंकों और अन्य पक्षों से शेष की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बैंक खाते और ऋणों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष नहीं है।

(ख) व्यापार प्राप्य, देय व्यापार, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 0.05 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2024 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2025 को बकाया राशि निम्नानुसार है :

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31.12.2024 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2025 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित) *	-	-	-
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम	51,625.51	49,952.35	47,003.98
व्यापार/अन्य देय	10,946.85	6,886.10	41,932.36
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	8,016.81	7,768.44	11,875.09

\* व्यापार प्राप्य में लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और ग्राहकों से अग्रिम का निवल के कारण प्राप्य शामिल है।

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

**13. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (टिप्पणी 29 देखें)**

i. भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	वर्ष के दौरान व्यय की जाने के लिए अपेक्षित राशि		
	(i) सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2%)	46.88	34.57
	(ii) सीएसआर परियोजना से उत्पन्न अधिशेष	-	-
	(iii) पिछले वर्ष से उपलब्ध समायोजन	-	1.20
	(iv) वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(i)+(ii) -(iii)]	46.88	33.37
ख.	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	48.38	34.57
ग.	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	19.88	14.70
घ.	आगे वाले वर्षों के लिए उपलब्ध समायोजन (ग-क(iv))	-	-
ङ.	वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि (ख-ग)	-	19.87
च.	चालू परियोजनाओं पर किया जाने वाला सीएसआर व्यय और पृथक सीएसआर व्यय न किए गए लेखे में जमा किया जाना	28.50	19.82
छ.	निधि में जमा की जाने वाली खर्च न की गई राशि	-	0.05

टिप्पणी:- आने वाले वर्षों में उपलब्ध सेट ऑफ को विवेकपूर्ण तरीके से परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि भविष्य के वर्षों में इसके समायोजन में अनिश्चितता शामिल है।

(ii) किए गए व्ययों के विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	सीएसआर व्यय वाले व्यय के शीर्ष	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	19.88	14.70
2	शिक्षा और कौशल विकास	-	-
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	-	-

4	पर्यावरण	-	-
5	कला और संस्कृति	-	-
6	खेल	-	-
7	ग्रामीण विकास	-	-
8	स्वच्छ विद्यालय अभियान	-	-
9	स्वच्छ भारत अभियान	-	-
10	आपदा प्रबंधन	-	-
11	केंद्र सरकार की निधियों को योगदान (पीएम केयर्स फंड में योगदान सहित)	-	-
12	प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-
13	सीएसआर प्रभाव आकलन	-	-
14	चल रहे क्रियाकलाप	28.50	19.82
15	व्यय नहीं की गई राशि	-	0.05
	<b>कुल राशि</b>	<b>48.38</b>	<b>34.57</b>

iii. अन्य प्रकटीकरण:-

क. वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और नकद में भुगतान किए जाने वाले व्यय के विवरण व्यय की प्रकृति (पूँजी या राजस्व प्रकृति) के साथ निम्नानुसार है: -

(राशि रुपये में)

	उद्देश्य	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
		नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)	नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	19.88	28.50	48.38	14.70	19.82	34.52
	<b>कुल</b>	<b>19.88</b>	<b>28.50</b>	<b>48.38</b>	14.70	19.82	34.52

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, 48.38 लाख रुपए की राशि के कुल व्यय में से संबंधित पक्षकारों को 28.50 लाख रुपए का भुगतान किया जाना शेष है जो देनदारियों से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल हैं।

14. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i)	तुलन-पत्र की तारीख पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज : क) व्यापार देय: - मूल धन (टिप्पणी 20.3 देखें) - ब्याज ख) अन्य: - मूल धन (टिप्पणी 20.4 देखें) - ब्याज	186.74 - 4.46 -	129.25 - 17.54 -
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में देरी के वर्ष के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(iv)	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उपाजित और शेष अदत्त ब्याज की राशि।	-	-
(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक और बाद के वर्षों में भी देय होने वाली देय ब्याज की राशि।	-	-

## 15. इंड एस - 116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

### क) कंपनी पट्टाधारी के रूप में

#### (i) इंड एस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। कंपनी अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फनबचर की छोटी वस्तु और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करती है। इन पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:-

- क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंतियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
  - ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।
  - ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।
  - घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.47 प्रतिशत है।

#### (ii) पट्टे की प्रकृति : कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंतियों के संबंध में हैं:

- (क) 3-4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।
- (ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रंजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।
- (ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।
- (घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत माना गया है

(लाख रुपये में)			
क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	660.63	267.33
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	-	-
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	81.74	67.21

(iii) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **186.51 लाख रुपये** (गत वर्ष **149.06 लाख रुपये**) है।

(iv) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)		
विवरण	31.03.2025	31.03.2024
प्रारंभिक शेष	90.59	149.39
पट्टा देयताओं में वृद्धि	117.20	42.38
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	4.90	7.36
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	76.18	108.55
<b>अंतिम शेष</b>	<b>136.51</b>	<b>90.59</b>

16. **इंड एस-27 – ‘पृथक वित्तीय विवरण’ के अंतर्गत प्रकटीकरण मूल कंपनी का हित:**

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	प्रधान क्रियाकलाप	निम्नलिखित के अनुसार स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2025	31.03.2024
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	59.15%	54.02%
जेकेएसपीडीसी	भारत	विद्युत उत्पादन	40.85%	45.98%

17. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने अवधारित किया है कि कंपनी को सौंपी गई परियोजना निविदा/अवार्ड/निर्माण चरण के तहत है और आज की तारीख तक कोई नकद सृजन इकाई (सीजीयू) विद्यमान नहीं है और ऐसा कोई संकेत भी मौजूद नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी सीजीयू की हानि का संकेत दे।

18. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

**(i) सामान्य**

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

**(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं. 9 पर प्रकट किया गया है)।**

**क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :**

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

**ख) कर्मचारी पारिश्रमिक-वेतन विसंगति के लिए प्रावधान**

एनएचपीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स काउंसिल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कंपनी के कर्मचारियों के वेतन विसंगति के लिए अल्पकालिक प्रावधान को मान्यता दी गई है।

**(iii) अन्य प्रावधान**

**क) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :**

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

**ख) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:**

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

**ग) प्रावधान - अन्य -इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-**

(i) संभावित बहिर्पवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

**19. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:**

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 - "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा 13कक - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का सामयोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां(+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक लेखा शेष	आस्थगित
क	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष		<b>52.31</b>
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति (+)/ देयता (-))		26.67
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)/ वापिस की गई (+)		2.17
घ	<b>लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय/ (व्यय) (ख-ग)</b>		<b>24.51</b>
ङ	<b>31.03.2025 को अंतिम शेष (क+घ)</b>		<b>76.82</b>

वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार विद्युत केंद्र की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अधधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में विद्युत की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

20. **बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण** : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई साथ संव्यवहार की प्रकृति	कंपनी के 31 मार्च, 2025 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2024 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
लागू नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	प्राप्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	देय	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	अन्य बकाया देय (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

21. कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि के पंजीकरण के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार, जहां सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के पास कोई आरोप या संतुष्टि अभी तक दर्ज की जानी है, अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

शुल्क या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	पंजीकरण में विलंब का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

22. लेखांकन नीतियों और अनुमानों में परिवर्तन का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

23. एनएचपीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का आदेश, जिसके अनुसार 1 जनवरी, 1997 से कुछ वेतनमानों में वेतन विसंगतियों का समाधान किया जाना था, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ। उक्त आदेश के अनुसार, कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को देय बकाया 1,419.94 लाख रुपये अनुमानित किया गया है। इसमें से 1,227.42 लाख रुपये पूंजीकृत किए गए हैं जबकि 192.52 लाख रुपये लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

**24. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण:**

- कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से") जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थी के ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य कोई कार्रवाई करेगी।
- कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त-पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।
- कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिष्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है अथवा लंबित नहीं है।

- (vii) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में दाखिल की गई तिमाही विवरणी/चालू परिसंपत्तियों का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।
- (viii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो उन लेखाओं की बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।

25. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/ पुनर्कथित किया गया है।

## 26. राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति

वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचना का.आ. 281 दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति योजना (आरएसजीटीपीपी) के निबंधनों के अनुसार, राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार कंपनी के पकलडुल एचईपी, किरू एचईपी और कार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करता है। तदनुसार, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे उन बाजकों के लिए दायर किए जा रहे हैं जिनका कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना और पश्चातवर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति बीजकों पर एसजीएसटी के लिए की जाएगी जो कंपनी के जीएसटीआर 2क में और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर नकद भुगतान में परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता बीजकों पर एसजीएसटी, जो कंपनी के जीएसटीआर-2ए और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर भुगतान की गई नकद राशि में परिलक्षित होता है, को खातों की बहियों में राज्य कर विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता दी गई है (टिप्पणी 11 देखें)। इसके अलावा, 147.49 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष : 130.97 लाख रुपए) के बीजक पर एसजीएसटी को, जो जीएसटीआर 2ए में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है तथा उसे उस समय राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता की जाएगी, जब वह पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में तदनुसूची समायोजन के साथ समाशोधन (चल रही प्रक्रिया) के उपरांत जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित होगी।

### तुलन-पत्र के अनुबंध के रूप में हस्ताक्षरित

	कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से	
	हस्ता./-	हस्ता./-
<b>कृते वी ए के एण्ड एसोसिएट्स</b>	<b>(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)</b>	<b>(रमेश मुखिया)</b>
चार्टर्ड एकाउंटेंट	निदेशक	प्रबंध निदेशक
(फर्म पंजीकरण संख्या 019636एन)	डीआईएन संख्या 08645380	डीआईएन संख्या 10415607
हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
<b>(सीए विनय जामवाल)</b>	<b>(संजय कुमार गुप्ता)</b>	<b>(सुधीर आनंद)</b>
साझेदार	महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 502417		एफसीएस 7050
स्थान - जम्मू		
दिनांक : 08 मई, 2025		